

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2018 ∕ज्येष्ठ 18, 1940 No. 387] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2018/JYAISTHA 18, 1940

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2018

सा.का.नि. 535(अ).— केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित का अधिक्रांत करते हुए -

- (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (2) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (3) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद, (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015;
- (4) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (5) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (6) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (7) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (8) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (9) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (10) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (11) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (12) ऋण वसूली अधिकरण, रांची, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003;

3257 GI/2018 (1)

- (13) ऋण वसूली अधिकरण, रांची, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (14) ऋण वसुली अधिकरण, रांची, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (15) ऋण वसूली अधिकरण, रांची, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (16) ऋण वसूली अधिकरण, रांची, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (17) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (18) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (19) ऋण वसुली अधिकरण, जबलपुर, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (20) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (21) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (22) ऋण वसूली अधिकरण, पटना, समृह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समृह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (23) ऋण वसूली अधिकरण, पटना, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (24) ऋण वसूली अधिकरण, पटना, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (25) ऋण वसूली अधिकरण, पटना, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (26) ऋण वसूली अधिकरण, पटना, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (27) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003:
- (28) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (29) ऋण वसुली अधिकरण, लखनऊ, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (30) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (31) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (32) ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (33) ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;

केन्द्रीय सरकार, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद और ऋण वसूली अधिकरण, रांची, ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, ऋण वसूली अधिकरण, पटना, ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ और ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में समूह 'क', 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद और ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, रांची, जबलपुर, पटना, लखनऊ और देहरादून भर्ती नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **ग्रेड और संख्या** ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद और उसके अधिकारिता के अंतर्गत प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण में विभिन्न ग्रेड और प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों की संख्या उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।
- 3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन से उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो दूसरी अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

- 5. **नियुक्ति प्राधिकारी** तीसरी अनुसूची के स्तंभ (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) के अंतर्गत तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा।
- 6. **अपील प्राधिकारी** अनुशासनात्मक और अपील प्राधिकारी उपाबद्ध संलग्न चौथी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- 7. **स्थानांतरण** ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद और उसके अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ऋण वसूली अधिकरणों में पद पर नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है। परन्तु प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा संवर्गीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
- 8. **ज्येष्ठता** (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद तथा उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी ऋण वसूली अधिकरणों के लिए प्रत्येक ग्रेड हेत् एक साझी वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी।
- (2) ज्येष्ठता का निर्धारण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के नियत किया जाएगा।
- 9. **निरर्हता** वह व्यक्ति:
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 10. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 11. व्यावृत्ति इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पहली अनुसूची (नियम 2 देखें)

क्रम सं.	पद का नाम			प्र	दों की संख्या				कुल
		डीआरएटी,	डीआरटी,	डीआरटी,	डीआरटी,	डीआरटी,	डीआरटी,	डीआरटी,	
		इलाहाबाद	इलाहाबाद	देहरादून	लखनऊ	जबलपुर	पटना	रांची	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	रजिस्ट्रार	1	0	1	1	1	1	1	6
2.	सहायक रजिस्ट्रार	0	1	1	1	1	1	1	6
3.	वसूली अधिकारी	0	2	2	2	2	2	2	12
4.	अनुभाग अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	7
5.	निजी सचिव	1	1	1	1	1	1	1	7
6.	सहायक	2	4	4	4	4	4	4	26
7.	लेखा सहायक	0	1	1	1	1	1	1	6

8.	आशुलिपिक	1	2	2	2	2	2	2	13
	ग्रेड-1								
9.	उच्च श्रेणी लिपिक	2	3	3	3	3	3	3	20
10.	आशुलिपिक ग्रेड-II	1	1	1	1	1	1	1	7
11.	अवर श्रेणी लिपिक	2	4	4	4	4	4	4	26
12.	स्टाफ कार ड्राईवर	1	1	0	1	1	1	1	
13.	बहु कार्य कर्मचारिवृंद	4	7	0	7	7	7	7	39

दूसरी अनुसूची (नियम 3 और 4 देखें)

				गियम ५ जार ४ ५७	1)	
पद का	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	क्या चयन	सीधी भर्ती से आने वालों हेतु	सीधी भर्ती से आने वालों हेतु
नाम			स्तर	अथवा गैर-	आयु-सीमा	शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
				चयन पद है		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	* 06 (2018)	समूह 'क'	स्तर 12 (78800-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
रजिस्ट्रार	* कार्यभार के		209200 रुपए)			
	आधार पर					
	परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	यदि कोई हो	होगी या प्रोन्निति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की			में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 50% प्रोन्नित द्वारा जिसमें ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोज्ञितः वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में सहायक रजिस्टार या वसूली अधिकारी जिसने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। टिप्पणी: जहां पर किनष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने किनष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता या पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वस्ली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य	लागू नहीं होता।

उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिनुक्तिः: (क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें अथवा न्यायालयों अथवा अभिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) जो विभाग के मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा (ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी,- (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित सेवा के साथ आधार पर वेतनमान में V सदृश पदधारण करते हों; (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतनमान IV में पद पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ; वांखनीय: विधिक अथवा न्यायायिक कार्य का अनुभव टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य सारवार वाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि	3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने हेतु) की संरचना निम्नानुसार है: 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य 3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य 4. विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक – सदस्य
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 सहायक रजिस्ट्रार	* 06 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	THAT E					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोप्तिः (i) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में अनुभाग अधिकारियों से 75%; और (ii) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में निजी सचिवों से 25%। टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोच्चित पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वस्ली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) – सदस्य	लागू नहीं होता ।

	इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने	3. निदेशक या उप सचिव,
	ष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी	(ऋण वसूली अधिकरण),
कर	ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा	वित्तीय सेवाएं विभाग –
	धे सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	सदस्य
प्रति	नियुक्तिः	चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर
(क)	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या	विचार करने के लिए)
	करणों के अंतर्गत अधिकारी	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-
(i)	मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान	1. संयुक्त सचिव,
पदः	गरण करता हो; या	(ऋण वसूली अधिकरण),
(ii)	वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) में नियुक्ति के	वित्तीय सेवाएं विभाग –
पश्च	ात श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के अतिरिक्त मूल संवर्ग	अध्यक्ष
	वेभाग में या उसके समान पद में स्तर 9 में अनुभाग अधिकारी	2. पीठासीन अधिकारी,
के प	द में नियमित आधार पर हो; या	ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय
(iii)	वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) के स्तर 8 या	सेवाएं विभाग द्वारा नामित
	तुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर	किया जाए) – सदस्य
	ु ही नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की हो;	3. निदेशक या उप सचिव,
l (iv)		वित्तीय सेवाएं विभाग –
	तुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी	सदस्य
	ात वर्ष की सेवा की हो।	4. निदेशक या उप सचिव,
(ख)		(ऋण वसूली अधिकरण),
	स्केल-IV के अधिकारी जो मूल संवर्ग या विभाग में	वित्तीय सेवाएं विभाग –
	मित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों;	सदस्य
	स्केल-।।। के अधिकारी जिसने पद में पांच वर्ष नियमित	5 संयुक्त विधिक सलाहकार,
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य
	ं की हो। नीय:	
	ावः धेक या न्यायिक कार्य में अनुभव	
	ru 1: पोषक प्रवर्ग श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि	
	ति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के	
	ारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति	
	ति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।	
	ाण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा	
	– . ो अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले	
	रत अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित	
साम	ान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
	ाण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकत्म आयु-	
	ा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक	
नही	होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 वसूली अधिकारी	* 12 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू	प्रतिनियुक्ति	(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या	चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर	लागू
होता	नहीं	द्वारा	अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी	विचार करने के लिए)	नहीं ।
	होता		(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	
			पदधारण करता हो; या	1. संयुक्त सचिव,	
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-	(ऋण वसूली अधिकरण),	
			167800 रुपए) स्तर 9 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद में	वित्तीय सेवाएं विभाग –	
			नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की	अध्यक्ष	

सेवा की हो; या	2. पीठासीन अधिकारी,
(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-	ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय
151100 रुपए) स्तर 8 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद पर	सेवाएं विभाग द्वारा नामित
" नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; या	किया जाए) – सदस्य
1 5	3. निदेशक या उप सचिव,
(iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-	वित्तीय सेवाएं विभाग 🕒
142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद	सदस्य
पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो; या	4. निदेशक या उप सचिव (ऋण
(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-	वसूली अधिकण), वित्तीय सेवाएं
(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश	विभाग - सदस्य
पदधारण करने वाले स्केल-IV अधिकारी; या	5. संयुक्त विधिक सलाहकार,
(ii) पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात	भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य
श्रेणी में स्केल- ।। अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष सेवा की है।	
वांछनीय:	
विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव	
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा	
किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले	
धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित	
सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-	
सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक	
नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 अनुभाग अधिकारी	* 07 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसमें सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर	प्रोक्तिः वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 में ऐसे सहायकों ने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। टिप्पणः जहां पर किनष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके विरष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वर्शते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने किनष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिनयुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयो या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400- 112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। वांछनीयः विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव टिप्पण 1: पोषक श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की प्रत्यक्ष पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ	समृह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष 2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण न सदस्य 3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकरण – सदस्य 3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकरण – सदस्य	नागू नहीं होता ।

पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति
द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ के पात्र नहीं होंगे।
टिप्पण 2: प्रतिनिय्क्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा
किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले
धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्तिं की अवधि सहित
सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम
आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से
अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 निजी सचिव	* 07 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू	प्रोन्नति	प्रोन्नति:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति	लागू
तहा होता	लागू. नहीं होता	प्राप्तात द्वारा जिसमें सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	बेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) के स्तर 6 में ऐसा आशुलिपिक ग्रेड-। जिसने श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके विरष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य आशुलिपिक ग्रेड में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात ग्रेड । में पांच वर्ष की सेवा की हो। वांखनीय: विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचार किए जाने के तहत पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संवर्ग-बाह्म पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत्य तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ख' विभागीय प्राप्तति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अध्यक्ष, ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकरण - अध्यक्ष 2. सचिव या पंजीयक, ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण - सदस्य 3. सहायक पंजीयक या वस्ली अधिकारी, ऋण वस्ली अधिकरण - सदस्य	लागू न हीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6 सहायक	* 26 (2018)	समूह 'ख'	स्तर 6	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	* कार्यभार के आधार		(35400-112400 रुपए)			
	पर परिवर्तन किया जा					
	सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(8) लागू नहीं होता	(9) प्रोन्नति प्राप्त लोगों के लिए दो वर्ष	(10) प्रोन्नति द्वारा जिसके सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति	प्रोज्ञतिः वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां पर किष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके विरष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इतमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने किष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अविधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिचुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(12) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष 2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य 3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकरण – सदस्य 3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकरण – सदस्य	(13) लागू नहीं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 लेखा सहायक	* 06 (2018) * कार्यभार पर परिवर्तन किया जासकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी,-	लागू नहीं होता	लागू नहीं
होता	होता	द्वारा	(क) (i) वर्तमान संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश		होता ।
			पद धारित करने वाले; अथवा		
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100		
			रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के		
			पश्चात श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।		
			(ख) जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समकक्ष		

केन्द्रीय सरकार के किसी भी संस्थान से नकद और लेखा के काम का	
प्रशिक्षण लिया हो।	
टिप्पण: 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के	
उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले	
धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है	
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण: 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा	
आवेदन प्राप्त करने की तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	आशुलिपिक	* 13 (2018)	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।
ग्रेड	ı	* कार्यभार के		112400 रुपए)			
		आधार पर					
		परिवर्तन किया					
		जा सकता है।					

	Т	Т			1
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू	प्रोन्नति	प्रोन्नति	प्रोन्नित:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं
न्हीं	व्यक्तियों	द्वारा	वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में	(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	होता ।
होता	के लिए	जिसके ना	आशुलिपिक ग्रेड-2 जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—	
	दो वर्ष	हो सकने	सेवा की हो।	1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय	
		पर	टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा	्र अधिकरण अथवा पीठासीन अधिकारी,	
		प्रतिनियुक्ति	अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर	ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष	
		द्वारा	विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी		
			विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित	2. सचिव या रजिस्ट्रार,	
			अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष.	ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण अथवा	
			इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने	ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य	
				3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली	
			अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा	अधिकारी,	
			पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड	ऋण वसूली अधिकरण 🕒 सदस्य	
			में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर		
			ली हो।		
			प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या		
			कन्द्राय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालया या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी		
			(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार		
			पर सदृश पदधारण करता हो; या		
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स		
			(25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य में		
			नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में		
			दस वर्ष की सेवा की हो।		
			टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो		
			प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार		
			किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त		
			व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने		
			के पात्र नहीं होंगे।		
			टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत		
			केन्द्रीय सरकार या उसी या किसी अन्य संगठन या		
			विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी		
			अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि		
			साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
			टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए		
			अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम		
			तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9 उच्च श्रेणी	* 20 (2018)	समूह	स्तर 4 (25500-	अचयन	लागू नहीं होता	(i) किसी मान्यता प्राप्त
लिपिक	* कार्यभार के	'ग'	81100 रुपए)			विश्वविद्यालय से डिग्री या
	आधार पर					समतुल्य
	परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(8) लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य	(10) प्रोन्निति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोचितः वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 में अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पणः जहां पर किनष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वर्शतें कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने किष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रिविचुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात अवर श्रेणी लिपिक जिसने आठ वर्ष सेवा की हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति कही अवधि जिसके अंतर्गत कन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(12) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋणवस्ली अधिकरण – सदस्य 3. वस्ली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋणवस्ली अधिकरण – सदस्य	त्रिक्ष होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 10 आशुलिपिक ग्रेड ।।	(2) * 07 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3)	(4) स्तर 4 (25500- 81100 रुपए)	(5) लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जासकती है।	(7) (i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उसके समतुल्य (ii) कौशल परीक्षण की शर्ते श्रूत लेख: 10 मिनट और 80 शब्द प्रति
					ानधारण । नणायक ताराख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा	मिनट

				ए गए विज्ञापन के पुसार होगा।	प्रतिलेखन: 65 मिनट (मिनट (हिन्दी टाइपराइटिंग प मिनट (अंग्रेजी)	t) (मैनुअल र) अथवा 50 , 65 मिनट
					(हिन्दी) (कंप्यूट	र पर)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर	लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय (पुष्टि पर विचार व निम्नलिखित से मिलकर 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण 3. वसूली अधिकारी	रने के लिए) बनेगी:- ा अधिकरण – – सदस्य	लागू नहीं होता

रजिस्ट्रार,

ऋण वसूली अधिकरण

– सदस्य

(ii) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के

लिए विहित आईता रखता हो।

रहे हों; अथवा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 अवर श्रेणी लिपिक	* 26 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सम्ह 'ग'	स्तर 2 (19900- 63200 रुपए)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती है, वहां आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख आवेदन की अंतिम तारीख के अनुसार होगा)।	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गित (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दवावों के आधार पर प्रत्येक घंटा 10,500 कुंजी दवावों अथवा प्रत्येक घंटा 9000 कुंजी दवावों के तदनुरूप हो)।

हां र			(12)	(13)	
	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	(i) 50% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 50% विभागीय अर्हकता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उसमें	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य और 3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण –	/	हीं

	ताकि पूर्व में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर
प्रतिनियुक्ति	उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो कि
द्वारा	बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।
	प्रतिनियुक्तिः
	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या
	अधिकरणों के कर्मचारिवृंद में से:-
	(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार
	पर सदृश पदधारण करता हो; या
	(ii) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1
	में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
	(ख) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ
	्रा) के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों
	टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के
	इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस
	नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद
	पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन
	वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए
	अधिकतम आयु-सोमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम
	तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12 स्टाफ कार	* 06(2018)	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900-	लागू	18 से 25* वर्ष के बीच (केन्द्र	(i) मोटर कार के लिए विधि
चालक	* कार्यभार के		63200 रुपए)	नहीं	सरकार द्वारा जारी अनुदेशों	मान्य चालन अनुज्ञा-पत्र होना
(साधारण	आधार पर				अथवा आदेशों के अनुसार	चाहिए;
श्रेणी)	परिवर्तन किया				सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष	 (ii) मोटर रचना तंत्र की
	जा सकता है।				तक शिथिल की जा सकती है)	जानकारी (आवेदक वाहन की
					टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख	छोटी त्रुटियों को दूर करने
					। करन के लिए निर्णायक ताराख । भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	योग्य होना चाहिए);
					प्राप्त करने के लिए नियत की गई	(iii) मोटर कार के लिए
					अंतिम तारीख वह होगी (न कि	चालन का कम से कम 3 वर्ष
					वह अंतिम तारीख जो असम,	का अनुभव; और
					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	(iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,	चाहिए।
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर	वांछनीय: होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में
					राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल	। ।सावल स्वयसवक क रूप म । कम से कम 3 वर्ष की सेवा।
					प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले	टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा
					तथा चम्बा जिले के पांगी उप	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा
					खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप	में उन कारणों के लिए जो
					तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के	सक्षम प्राधिकारी के
					लिए विहित की गई है)।	विवेकानुसार शिथिल की जा
					* यदि सीधी भर्ती सीधी खुली	सकती है।
					प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम	टिप्पण 2: अनुभव संबंधी
					से की जाती है, तो आयु सीमा	अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी
					18-27 वर्ष के बीच होगी।	के विवेकानुसार अनुसूचित
						जातियों और अनुसूचित
						जनजातियों के अभ्यर्थियों की
						दशा में तब शिथिल की जा
						सकती हैं जब चयन के किसी
						प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए
						यह राय हूं ।क उनक ।लए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के
						लिए अपेक्षित अनुभव रखने
	ı	l	ı	L	l	

			वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना
			नहीं है।

(0)	T (0)	(40)	(44)	(10)	(42)
(8)	(9) सीधी भर्ती	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	साधा भता से आने	प्रतिनियुक्ति तथा	प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन: ऋण वसूली अपील अधिकरण अथवा ऋण वसूली	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं
होता	वाले अथवा	आमेलन आमेलन	अधिकरणों के समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स (18000-	(पुष्टि पर विचार करने के लिए) में	
61/11	पुनर्नियोजन	जिसके ना	***	निम्नलिखित शामिल होंगे:-	
	वालों हेतु	हो सकने	56900 रुपए) में स्तर 1 के उन नियमित कर्मचारियों में से मोटर कार चलाने की क्षमता के आकलन हेत्	1. पंजीयक या सचिव,	
	दो वर्ष	पर सीधी	म स माटर कार चलान का क्षमता के आकलन हतु चालन परीक्षा के आधार पर जिनके पास विधिमान्य	ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण 🗕	
		भर्ती द्वारा	चालन अनुज्ञण्ति हो। इसमें सफल ना होने पर केन्द्रीय	अध्यक्ष	
			सरकार के अन्य मंत्रालयों में समूह 'ग' के वेतन	2. पंजीयक या सचिव,	
		सशस्त्र बलों	मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन	ऋण वसूली अधिकरण 🕒 सदस्य	
		के कार्मिकों	नियमित कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित	3. वसूली अधिकारी या सहायक	
		हेतु;	आवश्यक अर्हताएं को पूरा करते हों।	पंजीयक, ऋण वसूली अधिकरण	
		प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति अथवा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए	– सदस्य	
		अथवा	पुनर्नियोजन:		
		पुनर्नियोजन	सशस्त्र बलों के वे कार्मिक जो कि सेवानिवृत्त होने वाले		
			हैं अथवा जिन्हें कि एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व		
			में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास		
			अपेक्षित अनुभव और विनिर्धारित अर्हताएं हैं, पर भी		
			विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख		
			तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा उस		
			तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है		
			तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा		
			सकता है।		
			टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के		
			इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस		
			नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर		
			प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से		
			अधिक नहीं होगी।		
			टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए		
			अधिकतम् आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम		
			तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
कर्मचारिवृंद	(2) * 39 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) समूह 'ग'	(4) स्तर 1 (18000- 56900 रुपए)	(5) लागू नहीं होता	(6) 18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	(7) मैट्रिकुलेशन समतुल्य	या

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13))
लागू नहीं	दो वर्ष	कर्मचारी चयन	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	लागू होता	नहीं

होता	आयोग द्वारा सीधी भर्ती	राजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष राजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य उ. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण –	
		सदस्य	

तीसरी अनुसूची (नियम 5 देखें)

क्रम संख्या	पद	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार

चौथी अनुसूची (नियम 6 देखें)

क्रम संख्या	पद	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	केन्द्र सरकार (माननीय वित्त मंत्री)
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील)
			नियम, 1965 में यथा उपबंधित

[फ़ा. सं. 5/2/2016- डीआरटी] वीवीएस खड़ायत, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2018

G.S.R.535(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), and in supersession of—

- 1) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 2) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 3) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad (Court Master) Recruitment Rules, 2015;
- 4) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 5) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 6) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 7) the Debts Recovery Tribunal, Allahabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 8) the Debts Recovery Tribunal, Allahabad, (Groups 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 9) the Debts Recovery Tribunal, Allahabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 10) the Debts Recovery Tribunal, Allahabad (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 11) the Debts Recovery Tribunal, Allahabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;

- 12) the Debts Recovery Tribunal, Ranchi Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2003;
- 13) the Debts Recovery Tribunal, Ranchi, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 14) the Debts Recovery Tribunal, Ranchi (Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2017;
- 15) the Debts Recovery Tribunal, Ranchi (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 16) the Debts Recovery Tribunal, Ranchi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 17) the Debts Recovery Tribunal, Jabalpur, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 18) the Debts Recovery Tribunal, Jabalpur (Group 'C' and 'D' Posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998:
- 19) the Debts Recovery Tribunal, Jabalpur (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 20) the Debts Recovery Tribunal, Jabalpur (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 21) the Debts Recovery Tribunal, Jabalpur (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 22) the Debts Recovery Tribunal, Patna, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 23) the Debts Recovery Tribunal, Patna (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- 24) the Debts Recovery Tribunal, Patna (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 25) the Debts Recovery Tribunal, Patna (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 26) the Debts Recovery Tribunal, Patna (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 27) the Debts Recovery Tribunal, Lucknow, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2003;
- 28) the Debts Recovery Tribunal, Lucknow, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 29) the Debts Recovery Tribunal, Lucknow (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 30) the Debts Recovery Tribunal, Lucknow (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 31) the Debts Recovery Tribunal, Lucknow (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 32) the Debts Recovery Tribunal, Dehradun (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 33) the Debts Recovery Tribunal, Dehradun (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017.

except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Group 'A', 'B' and 'C' in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, and, Debts Recovery Tribunal, Allahabad, Debts Recovery Tribunal, Ranchi, Debts Recovery Tribunal, Jabalpur, Debts Recovery Tribunal, Patna, Debts Recovery Tribunal, Lucknow and Debts Recovery Tribunal, Dehradun, namely:—

- 1. **Short Title and Commencement.** (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad and Debts Recovery Tribunals at, Allahabad, Ranchi, Jabalpur, Patna, Lucknow and Dehradun Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Grade and strength.**—The various grades and the number of posts in each grade in Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad and each Debts Recovery Tribunal under its jurisdiction are as specified in the First Schedule annexed hereto.
- 3. Number of post, classification and Level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Second Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related to the said post shall be specified in columns (5) to (13) of the Second Schedule.

- 5. **Appointing Authority.**—The Appointing Authority in respect of the post specified under column (2) of the Third Schedule shall be the authority specified in the corresponding entry under column (3) of the said Schedule.
- 6. **Disciplinary and Appellate Authorities**.—The Disciplinary and Appellate Authorities shall be as specified in the Fourth Schedule attached hereto.
- 7. **Transfer**.—Every person appointed to the post in Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, and Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction is liable to be transferred within the jurisdiction of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad. Provided that an officer appointed on deputation basis or against encadred posts are not liable to be transferred.
- 8. **Seniority**.— (1) A common seniority list shall be maintained for each grade for the Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad and all the Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction.
- (2)The seniority shall be fixed as per the orders issued by the Central Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training from time to time in this regard.
 - 9. **Disqualifications:** No person.—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 10. **Power to relax** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 11. **Saving** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

FIRST SCHEDULE (See Rule 2)

Serial Number	Name of the post		Number of post						Total
		DRAT, Allahabad	DRT Allahabad	DRT Dehradun	DRT Lucknow	DRT Jabalpur	DRT Patna	DRT Ranchi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Registrar	1	0	1	1	1	1	1	6
2.	Assistant Registrar	0	1	1	1	1	1	1	6
3.	Recovery Officer	0	2	2	2	2	2	2	12
4.	Section Officer	1	1	1	1	1	1	1	7
5.	Private Secretary	1	1	1	1	1	1	1	7
6.	Assistant	2	4	4	4	4	4	4	26
7.	Accounts Assistant	0	1	1	1	1	1	1	6
8.	Stenographer Grade-I	1	2	2	2	2	2	2	13
9.	Upper Division Clerk	2	3	3	3	3	3	3	20

10.	Stenographer Grade-II	1	1	1	1	1	1	1	7
11.	Lower Division Clerk	2	4	4	4	4	4	4	26
12.	Staff Car Driver	1	1	0	1	1	1	1	6
13.	Multi-Tasking Staff	4	7	0	7	7	7	7	39

Second Schedule (See rule 3 and 4)

Name of the	Number of	Classification.	Level in	Whether selection	Age Limit for direct	Educational and
post.	post.		the pay matrix.	or non-selection	recruits.	other qualifications
			maurx.	post.		required for
						direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Registrar.	06* (2018)	Group 'A'.	Level 12 (Rs.78800-	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
	*Subject to		209200).			
	variation					
	dependent					
	on workload					

XXII dl	D. d. d. C	M.d. 1	I	If a Demonstrated Description	C:
Whether age	Period of probation,	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its	Circumstanc es in which
and educational	if any.		or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation	committee exists, what is its composition.	Union Public
	ii aliy.	whether by direct	*	composition.	
qualification			or absorption to be made.		Service
prescribed for direct		recruitment or by promotion or	absorption to be made.		Commission is to be
for direct recruits will		by deputation or			is to be consulted in
		• 1			
apply in the		absorption and percentage of			making recruitment.
promotees.		posts to be			recruitment.
promotees.		filled by various			
		methods.			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	(i) 50% by	Promotion:	Departmental Promotion	Not
applicable.	applicable.	promotion		Committee	applicable
11	11	failing which by	Assistant Registrar or Recovery	(for considering promotion)	
		deputation;	Officer in level 11 in the pay matrix	consisting of :-	
		depatation,	(Rs. 67700-208700) with five years		
			regular service in the grade.	1. Joint Secretary (Debts	
				Recovery Tribunal),	
		(ii) 50% by	Note : Where juniors who have	Department of Financial	
		deputation.	completed their qualifying or	Services -	
			eligibility service are being	Chairperson;	
			considered for promotion, their	2. Presiding Officer,	
			seniors would also be considered	Debts Recovery	
			provided they are not short of the	Tribunal (To be	
			requisite qualifying or eligibility	nominated	
			service by more than half of such	by Department of	
			qualifying or eligibility service or	Financial Services)	
			two years, whichever is less, and	- Member;	
				3. Director, Department	
			have successfully completed	of Financial Services	
			probation period for promotion to	- Member.	
			the next higher grade along with		
			their juniors who have already	Selection Committee (for	
			completed such qualifying or	considering deputation)	
			eligibility service.	consisting of :-	
				Joint Secretary (Debts	
				Recovery Tribunal),	
				Department of Financial	
	I	l		Department of I manetar	

Deputation:	Services -
(a) Officers under the Central	Chairperson;
Government	2. Presiding Officer, Debts Recovery
or State Governments or Courts	Tribunal (To be
or Tribunals;	nominated
Thoulais,	by Department of Financial Services)
(i) holding analogous post on	- Member;
regular basis in the parent cadre of	3. Director,
department; or (ii) with five years service in the	Department of Financial Services
grade	- Member;
rendered after appointment	
thereto on a regular basis in level 11 in	
the	
pay matrix (Rs. 67700-208700)	
or equivalent, in the parent cadre or	
department; or .	
(b) Officers of the multi-	
(b) Officers of the public sector banks,-	
·	
(i) holding analogous posts in scale V on a regular basis in the	
parent cadre or department;	
(ii) with five years regular	
service in the post in scale IV in the parent cadre or department;	
parent cause of department,	
Desirable:	
Experience in legal or judicial work.	
Note1: The departmental officers in	
the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be	
eligible for consideration for	
appointment on deputation.	
Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for	
appointment by promotion.	
Note 2: The period of deputation	
including the period of deputation	
in another ex-cadre post held	
immediately preceding this appointment in the same or some	
other Organisation or Department of	
the Central Government shall	
ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age limit for	
appointment on deputation shall be	
not exceeding fifty-six years as on	
the closing last date of receipt of applications.	
прупсацонь.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.Assistant Registrar.	06* (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs.67700- 208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	By promotion	Promotion:	Departmental Promotion	Not
applicable.	years.	failing which	(i) 75% from the Section	Committee (for considering promotion) consisting of :-	applicable.
		by deputation.	Officers in level 7 in the pay	promotion) consisting of	
			matrix (Rs. 44900-142400) with	1. Joint Secretary (Debts	
			seven years regular service in	Recovery Tribunal),	
			the grade; and	Department of	
			(ii) 25% from the Private	Financial Services - Chairperson;	
			(ii) 25% from the Private Secretaries in level 7 in the pay	2. Presiding Officer, Debts	
			matrix (Rs.44900-142400) with	Recovery Tribunal (To	
			seven years regular service in	be nominated by	
			the grade.	Department of	
			N. 177	Financial Services) - Member;	
			Note: Where juniors who have	3. Director or Deputy Secretary,	
			completed their qualifying or eligibility service are being	(Debts Recovery Tribunal),	
			considered for promotion, their	Department of	
			seniors would also be considered	Financial Services -	
			provided they are not short of the	Member.	
			requisite qualifying or eligibility		
			service by more than half of such	Selection Committee (for	
			qualifying or eligibility service or	considering deputation) consisting	
			two years, whichever is less, and	of:-	
			have successfully completed	1 Joint Socratory (Dobts	
			probation period for promotion to the next higher grade along with	 Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), 	
			their juniors who have already	Department of Financial	
			completed such qualifying or	Services - Chairperson;	
			eligibility service.	2. Presiding Officer, Debts	
				Recovery Tribunal (To be	
				nominated by Department of Financial Services) –	
			Deputation:	Member;	
			_	3. Director or Deputy	
			(a) Officers under the Central	Secretary, Department	
			Government or State Governments or Courts	of Financial Services - Member;	
			or Tribunals,-	4. Director or Deputy	
			,	Secretary(Debts	
			(i) holding analogous post on	Recovery Tribunal),	
			regular basis in the parent cadre	Department of Financial	
			or department; or	Services -	
			(ii) with five years service in the	Member; 5. Joint Legal Adviser,	
			grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the	Reserve Bank of India -	
			post of Section Officer in level 9	Member.	
			in the pay matrix (Rs. 53100-		
			167800) or equivalent, in the		
			parent cadre or department; or		
			(iii) with six years service in the		
			grade rendered after appointment		
			thereto on a regular basis in the		
			post of Section Officer in Level		
			8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent; and		
			(iv)with seven years service in		
			the grade rendered after		
			appointment thereto on a regular		
			basis in the post of Section		
			Officer in level 7 in the pay		
			matrix (Rs.44900-142400) or		
			equivalent;		

(b) Officers of the public sector
banks,-
(i) Scale IV Officers holding
analogous post on regular basis in
the parent cadre or department; or
(ii) Scale III Officers with five
years regular service in the post.
)
Desirable:
Desirable.
Experience in legal or judicial
Experience in legal or judicial work.
WOIK.
No. 1. The department of Comme
Note1: The departmental officers
in the feeder category who are in
the direct line of promotion shall
not be eligible for consideration
for appointment on deputation.
Similarly, the deputationists shall
not be eligible for consideration
for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation
including the period of
deputation in another ex-cadre
post held immediately preceding
this appointment in the same or
some other Organisation or
Department of the Central
Government shall ordinarily not
exceed four years.
Note 3: The maximum age limit
for appointment on deputation
shall be not exceeding fifty-six
years as on the closing last date
of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.Recovery Officer.	12 * (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs 67700- 208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Ву		Selection Committee (for	Not
applicable.	applicable.	deputation.		considering deputation) consisting	applicable.
			(a) Officers under the Central	of:-	
			Government or State		
			Governments or Courts or	Joint Secretary (Debts	
			Tribunals	Recovery Tribunal),	
			(i) holding analogous	Department of Financial	
			post on regular	Services -	
			basis in the parent	Chairperson;	
			cadre or	2. Presiding Officer,	
			department; or	Debts Recovery	
			(ii) with five years	Tribunal (To be	
			•	nominated by Department	

			1
	service in the grade	of Financial Services -	
	rendered after	Member;	
	appointment thereto	3. Director or Deputy	
	on a regular basis in	Secretary, Department	
	the post of Section	of Financial Services -	
	Officer in level 9	Member;	
		4 .Director or Deputy	
	in the pay matrix	Secretary (Debts	
	(Rs.53100-167800)	Recovery Tribunal),	
	or equivalent, in the	Department of Financial	
	parent cadre or	Services -	
	department;or	Member;	
	-	5. Joint Legal Adviser,	
	(iii) with six years	Reserve Bank of	
	service in the grade	India -	
	rendered after	Member.	
	appointment thereto	Wember.	
	on a regular basis in		
	the post of Section		
	Officer in level 8 in		
	the pay matrix		
	(Rs.47600-151100)		
	or equivalent, in the		
	parent cadre or		
	department; or		
	department,or		
	(iv)with seven		
	years service in the		
	=		
	grade rendered after		
	appointment thereto		
	on a regular basis in		
	the post of Section		
	Officer		
	in level 7 in the pay		
	matrix (Rs.44900-		
	142400) or		
	equivalent,		
	in the parent cadre or		
	department;		
	4) 000		
	(b) Officers of the public		
	sector banks,-		
	(i) Scale IV Officers		
	holding analogous post on		
	regular basis in the parent		
	cadre or department;or		
	table of department, or		
	(ii) Scale III Officers with		
	five years service in the grade		
	rendered after appointment		
	thereto on a regular basis in		
	the post.		
			i .
i I I			
	Decirelle		
	Desirable:		

Degree in law or having legal experience.	
Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.	
Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.Section	07* (2018)	Group 'B'.	Level 7	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Officer.			(Rs.			
	*subject to		44900-			
	variation		142400).			
	dependent					
	on					
	workload.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	Assistants in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal Chairperson; 2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal Member; 3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal Member.	Not applicable.

eligibility service.	
Deputation:	
Deputation.	
Officers under the Central	
Government or State Governments	
or Courts or Tribunals;	
(2)	
(i) holding analogous post on a	
regular basis in the parent cadre or department; or	
(ii) with five years regular service	
in the grade rendered after	
appointment thereto on a	
regular basis in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-	
112400) or equivalent, in the	
parent cadre or department.	
Desirable:	
Evenosiones in legal on indicate	
Experience in legal or judicial work.	
work.	
Note1: The departmental officers	
in the feeder category who are in	
the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for	
appointment on deputation.	
Similarly, the deputationists shall	
not be eligible for consideration for	
appointment by promotion.	
Note 2: The period of deputation	
including the period of deputation	
in another ex-cadre post held	
immediately preceding this	
appointment in the same or some other Organisation or Department	
of the Central Government shall	
ordinarily not exceed three years.	
Note 2. The manimum and Paris	
Note 3 : The maximum age limit for appointment on deputation	
shall be not exceeding fifty-six	
years as on the closing last date of	
receipt of applications.	

(1) (2) (3)	4) (5)	(6)	(7)
5.Private 07 * (2018) Group 'B'. Le (R subject to 44	el 7 Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Ву	Promotion:	Group 'B' Departmental	Not
applicable.	applicable.	promotion		Promotion Committee (for	applicable.

failing which by deputation.

Stenographers Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-

 (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Stenographer Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department.

Desirable:

Experience in legal or judicial work.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

(ii) Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications. considering promotion) consisting of :-

1. Chairperson, Debts Recovery

Appellate Tribunal or Presiding

- Officer, Debts Recovery Tribunal
- Chairperson;
- 2. Secretary or Registrar, Debts Recovery

Appellate

Tribunal or Debts Recovery

- Tribunal
- Member;
- 3 . Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal
- Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.Assistant.	26 * (2018) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs.35400- 112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

	workload.						
(9)	(9)	(10)	(1	1)	(12)		(12)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Upper Division in the pay ma 81100) with te service in the gr. Note: Where ju completed their eligibility serv considered for seniors would all provided they ar requisite qualify service by more qualifying or elig two years, which have successf probation period the next higher their juniors with their succession.	uniors who have r qualifying or ice are being promotion, their iso be considered e not short of the ing or eligibility than half of such gibility service or hever is less, and ully completed for promotion to grade along with the have already a qualifying or	Group 'B' Departmenta Committee (for promotion) consisting of 1. Chairperson, Debts Re Appellate Tribunal or Officer, Debts Recover Tribunal Chairperson; 2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Apper Tribunal or Debts Rec Tribunal Member; 3. Assistant Registrar or Recovery Officer, De Recovery Tribunal Member.	considering	Not applicable.
			(i) holding an a regular be cadre or de (ii) with ten the grade appointment regular bathe pay me 81100) or parent cad Note1: The depay in the feeder cathe direct line on the eligible for appointment Similarly, the denote be eligible for appointment Note 2: The per including the deputation in a post held imment some other to Department or designation of the source of the deputation of the deputation of the deputation of the deputation of the source of the department of the dep	state Government bunals,- nalogous post on basis in the parent epartment; or years service in erendered after ent thereto on a sis in Level 4 in atrix (Rs. 25500-equivalent, in the re or department. For the promotion shall for consideration eputation.			

exceed three years.	
Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.Accounts	06* (2018)	Group 'B'.	Level 6	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Assistant.			(Rs.			
	*subject to		35400-			
	variation		112400).			
	dependent					
	on					
	workload.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Officers under the Central Government,-	Not applicable.	Not applicable.
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
			(ii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department; and		
			(b) who have undergone training in cash and accounts work in Institute of Secretariat Training and Management or equivalent Institute of Central Government		
			Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
			Note 2 : The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.Stenographer	13* (2018)	Group 'B'.	Level 6	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Grade I.			(Rs.			
	*Subject to		35400-			
	variation		112400).			
	dependent					
	on					
	workload.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years	By	Promotion:	Group 'B' Departmental Promotion	Not
applicable.	for	promotion		Committee (for considering	applicable.
	promotees.	failing	Stenographers Grade II in level 4	promotion) consisting of :-	
		which by	in the pay matrix (Rs. 25500-		
		deputation.	81100) with ten years regular	Chairperson, Debts Recovery	
				Appellate Tribunal or Presiding	

Officer, Debts Recovery service in the grade. Tribunal Chairperson; 2. Secretary or Registrar, Note: Where juniors who have Debts Recovery Appellate completed their qualifying or Tribunal or Debts Recovery eligibility service are being Tribunal considered for promotion, their Member; seniors would also be considered 3 . Assistant Registrar or provided they are not short of the Recovery Officer, Debts requisite qualifying or eligibility Recovery Tribunal service by more than half of such Member. qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under Central the State Government or Governments or Courts or Tribunals,-(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department. Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period deputation in another ex-cadre post held immediately preceding

this appointment in the same or some other Organisation or

department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Upper Division	20 * (2018)	Group 'C'.	Level 4 (Rs.25500-	Non-selection.	Not applicable.	Degree of a recognized
Clerk.	*Subject to variation dependent on workload.		81100).			university or equivalent.

	T	1			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. Nil for promotees.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Lower Division Clerk in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Lower Division Clerk with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent, in the parent cadre or department. Notel: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson; 2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member; 3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal - Member.	

promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.Stenographer	* 07	Group 'C'.	Level 4	Not	Between 18 and 27	(i) 12 th class pass or equivalent
Grade II.	(2018)		(Rs.	applicable.	years	from a recognised Board or
			25500-			University;
	*Subject		81100).		(Relaxable for	
	to				Government Servant	(ii) Skill Test Norms:-
	variation				upto 40 years in	
	dependent				accordance with	Dictation:
	on				instructions or orders	10 minutes @ 80 words per
	workload				issued by the Central	minute
					Government).	
						Transcription:
					Note : The crucial date	65 minutes (English), 75
					for determining the age	minutes (Hindi) (On
					limit shall be as	Manual Typewriter) or 50
					advertised by the Staff	minutes (English), 65
					Selection Commission.	minutes (Hindi) (On
						Computer).

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two	By direct recruitment	Not	Group 'C' Departmental Promotion	Not
	years.	through Staff Selection	applicable.	Committee (for considering	Applicable.
		Commission.		confirmation) consisting of :-	
		Note: Vacancies caused by		1.Registrar or Secretary,	
		the incumbent being away on deputation or long		Debts Recovery Appellate Tribunal	
		illness or study leave or		Chairperson;	
		under other circumstances		Champerson,	
		for a duration of one year		2.Registrar or Secretary,	
		or more may be filled on		Debts Recovery Tribunal - Member;	
		deputation basis from the			
		officers of the Central		3.Recovery Officer or	
		Government,-		Assistant Registrar, Debts	
				Recovery Tribunal -	
		(a) (i) holding		Member.	
		analogous posts			
		on regular basis			
		in the parent			
		cadre or			
		department; and			
		(ii) possessing the			

qualifications prescribed for		
direct recruits under column (7).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.Lower	26* (2018)	Group 'C'.	Level 2	Non-	Between 18 and 27	(i) 12 th class or equivalent
Division		-	(Rs.	selection.	years. (Relaxable for	qualification
Clerk.	* subject to		19900-		Government	from a recognised Board or
	variation		63200.		Servants upto 40	University.
	dependent				years in accordance	
	on workload.				with the instructions	(ii) Typing speed of 35 words per
					or orders issued by	minute in English or 30 words per
					the Central	minute in Hindi on computer.
					Government).	
						(35 words per minute and 30
					Note : The crucial	words per minute correspond to
					date for determining	10500 Key Depressions per Hour
					the age limit shall be	or 9000 Key Depressions per
					as fixed by Staff	Hour on an average of 5 key
					Selection	depressions for each word)
					Commission (where	
					recruitment is not	
					through Staff	
					Selection	
					Commission, crucial	
					date for determining	
					the age-limit shall be	
					the last date for	
					receipt of	
					applications).	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Yes	Two	(i) 50% by direct	Promotion:	Group 'C' Departmental	Not
	years for	recruitment		Promotion Committee (for	Applicable.
	direct	through Staff	From amongst Multi-Tasking	promotion or confirmation)	
	recruits.	Selection	Staff with three years regular	consisting of :-	
		Commission.	service in the grade and who	4.5.	
			possess 12 th class pass or	1.Registrar or Secretary	
		(ii) 50% by	equivalent qualification, on the	Debts Recovery	
		promotion on the	basis of a departmental qualifying examination.	AppellateTribunal	
		r · · · · · · ·	examination.	- Chairperson;	
		on the basis of a	Note1 The maximum age-limit	2.Registrar or Secretary,	
		departmental	for appearing in the examination	Debts Recovery Tribunal	
		qualifying	shall be forty five years.	- Member;	
		quantying		,	
		examination	Note 2 Relaxable in case of the	3.Assistant Registrar or	
		failing which	employees belonging to Scheduled	Recovery Officer,	
		hy danutation	Caste or Scheduled Tribe upto five	Debts Recovery Tribunal	
		by deputation.	years in accordance with the	- Member.	
			instructions or orders issued by the		
			Central Government.		
			Note 3 If more of such		
			employees than the number of		
			vacancies available under clause		
			(ii) under column 10 qualified at		
			the examination, such excess		
			number of employees shall be		
			considered for filling		
			the vacancies arising in the		
			the vacancies arising in the		L

employees qualifying at an earlier	
examination are considered before	
those who qualify at a later	
examination.	
Deputation:-	
From amongst staff of Central or	
State Government or Courts or	
Tribunals:-	
(a) (i) holding analogous post on	
regular basis in the parent cadre or department; or	
(ii) With three years regular	
service in level-1 (Rs 18000-	
56900/) in the Pay Matrix in	
the parent cadre or	
department; and	
(b) Possessing educational	
qualifications as prescribed	
under column (7) for direct	
recruits	
Note1. The nation of deputation	
Note1 The period of deputation including the period of deputation	
in another ex-cadre post held	
immediately preceding this	
appointment in the same or some	
other Organisation or Department	
of Central Government shall	
ordinarily not exceed three years.	
Note 2 The maximum age limit	
for appointment by deputation	
shall not exceed fifty-six years as	
on date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.Staff	06* (2018)	Group	Level 2	Not	Between 18 and 25* years	(i) Possession of a valid
Car		'C'.	(Rs.19900-	applicable.	(Relaxable for Government	driving licence for motor
Drive	*subject to		63200).		Servants upto 40 years in	cars;
r	variation				accordance with the	(ii) Knowledge of motor
(Ordi	dependent				instructions or orders issued by	mechanism (The candidate
nary	on				the Central Government).	should be able to remove
Grade	workload					minor-defects in vehicle);
).					Note 1: The crucial date for	(iii) Experience of driving a
					determining the age limit shall	motor car for at least 3
					be the closing date for receipt	years; and
					of application from candidates	(iv) Pass in 10 th standard.
					in India (and not the closing	
					date prescribed for those in	
					Assam, Meghalaya, Arunachal	Desirable: 3 years service
					Pradesh, Mizoram, Manipur,	as Home Guard or Civil
					Nagaland, Tripura, Sikkim,	Volunteers.
					Ladakh Division of Jammu and	
					Kashmir State, Lahaul and Spiti	
					District and Pangi Sub-Division	Note : The qualification
					of Chamba District of Himachal	regarding experience is relaxable

	Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). *If the direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.	at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
		,

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	Deputation or	Deputation or absorption:	Group 'C' Departmental	Not
applicable.	years for direct recruits or re- employed.	absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.	From amongst regular Group 'C' employees in Level 1 in the pay matrix (Rs 18000-56900) in Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunals who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from amongst regular Group 'C' employees in Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in	Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson; 2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal	applicable.
			column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:	- Member; 3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts	
			The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; therafter they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	Recovery Tribunal - Member.	
			Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
13.Multi-	39* (2018)	Group 'C'.	Level 1	Not applicable.	Between 18 and 25 years.	Matriculation	or
Tasking			(Rs.18000-			equivalent.	
Staff.	*subject to		56900).		Note 1: The crucial date for		
	variation				determining the age limit shall be		
	dependent				the closing date for receipt of		
	on				application from candidates in		

workload.	Ir	India (and not the closing date	
		prescribed for those in Assam,	
	M	Meghalaya, Arunachal Pradesh,	
	M	Mizoram, Manipur, Nagaland,	
	T	Tripura, Sikkim, Ladakh Division	
	of	of Jammu and Kashmir State,	
	L	Lahaul and Spiti district and Pangi	
	sı	sub-division of Chamba district of	
	Н	Himachal Pradesh, Andaman and	
	N	Nicobar Islands and	
	L	Lakshadweep).	

(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
Not	Two	Ву	direct	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
applicable.	years.	recruitment			Committee (for considering	
		through	Staff		confirmation) consisting of :-	
		Selection				
		Commission	١.		1.Registrar or Secretary,	
					Debts Recovery Appellate	
					Tribunal -	
					Chairperson;	
					2.Registrar or Secretary,	
					Debts Recovery Tribunal -	
					Member;	
					3.Recovery Officer or	
					Assistant Registrar, Debts	
					Recovery Tribunal -	
					Member.	

Third Schedule (See Rule 5)

Serial Number Post		Appointing Authority	
(1)	(2)	(3)	
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal	
3.	Group 'A'	Central Government	

Fourth Schedule (See Rule 6)

Serial Number	Post	Appointing Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate
			Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal	Central Government (Hon'ble Minister
			of Finance)
3.	Group 'A'	Central Government	As provided in Central Civil Services
			(Classification, Control and Appeal)
			Rules, 1965

[F.No. 5/2/2016-DRT] V.V.S KHARAYAT, Under Secy.-[P

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2018

सा.का.नि. **536(अ**).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित का अधिक्रांत करते हुए -

- (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (2) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (3) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई, (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015;
- (4) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (5) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (6) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (7) ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (৪) ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (9) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, एर्णाकुलम, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (10) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, एर्णाकुलम, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (11) ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (12) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, एर्णाकुलम, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (13) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, एर्णाकुलम, (अशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (14) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (15) ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (16) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चेन्नई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (17) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चेन्नई, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (18) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चेन्नई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (19) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (20) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चेन्नई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (21) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चेन्नई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (22) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चेन्नई, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (23) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चेन्नई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (24) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, चेन्नई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2009;
- (25) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, चेन्नई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (26) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, चेन्नई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (27) ऋण वसुली अधिकरण, मद्रै, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2009;
- (28) ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (29) ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;

- (30) ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003;
- (31) ऋण वसुली अधिकरण, कोयम्बतूर, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (32) ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (33) ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (34) ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (35) ऋण वसूली अधिकरण, बंगलोर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (36) ऋण वसूली अधिकरण, बंगलोर, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (37) ऋण वसुली अधिकरण नं. 1, बंगलोर, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (38) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, बंगलोर, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (39) ऋण वसूली अधिकरण, बंगलोर, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (40) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, बंगलोर, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (41) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, बंगलोर, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;

केन्द्रीय सरकार, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हों ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम-1, ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम-2, ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई-1, ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई-2, ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई-3, ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै, ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर, ऋण वसूली अधिकरण, बंगलोर-1 और ऋण वसूली अधिकरण, बंगलोर-2 में समूह 'क', 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम, चेन्नई, मद्दै, कोयम्बतूर और बंगलोर भर्ती नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **ग्रेड और संख्या** ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई और उसके अधिकारिता के अंतर्गत प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण में विभिन्न ग्रेड और प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों की संख्या उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।
- 3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन से उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो दूसरी अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **नियुक्ति प्राधिकारी** तीसरी अनुसूची के स्तंभ (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) के अंतर्गत तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा।
- 6. **अपील प्राधिकारी** अनुशासनात्मक और अपील प्राधिकारी उपाबद्ध संलग्न चौथी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- 7. **स्थानांतरण** ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई और उसके अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ऋण वसूली अधिकरणों में पद पर नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है। परन्तु प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा संवर्गीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
- 8. ज्येष्ठता (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई तथा उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी ऋण वसूली अधिकरणों के लिए प्रत्येक ग्रेड हेतु एक साझी वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी।
- (2) ज्येष्ठता का निर्धारण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के नियत किया जाएगा।

9. **निरर्हता** - वह व्यक्तिः

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हे, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता हे कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 10. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 11. व्यावृत्ति इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पहली अनुसूची (नियम 2 देखें)

क्रम सं.	पद का नाम				पदों की	संख्या						कुल
		डीआरएटी, चेन्नई	डीआरटी- 1, बंगलोर	डीआरटी- 2, बंगलोर	डीआरटी- 1,चेन्नई	डीआरटी- 2, चेन्नई	डीआरटी- 3, चेन्नई	डीआरटी, कोयम्बतूर	डीआरटी-1, एर्णाकुलम	डीआरटी- 2, एर्णाकुलम	डीआरटी, मदुरै	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	रजिस्ट्रार	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9
2.	सहायक रजिस्ट्रार	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3.	वसूली अधिकारी	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
4.	अनुभाग अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
5.	निजी सचिव	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6.	सहायक	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
7.	लेखा सहायक	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8.	आशुलिपिक ग्रेड- 1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
9.	उच्च श्रेणी लिपिक	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
10.	आशुलिपिक ग्रेड- ॥	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	8
11.	अवर श्रेणी लिपिक	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
12.	स्टाफ कार ड्राईवर	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	5
13.	बहु कार्य कर्मचारिवृंद	3	7	0	7	7	6	7	7	0	6	50

दूसरी अनुसूची (नियम 3 और 4 देखें)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	क्या चयन	सीधी भर्ती से आने	सीधी भर्ती से आने वालों
			स्तर	अथवा गैर-	वालों हेतु आयु-सीमा	हेतु शैक्षिक तथा अन्य
				चयन पद है		योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 रजिस्ट्रार	* 09 (2018)	समूह 'क'	स्तर 12	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

* कार्यभार के	(78800-	
आधार पर	209200 रुपए)	
परिवर्तन किया		
जा सकता है।		

जाने वार्ले व्यक्तियों के : लिए विहित :	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	त्रातशतता (10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं व होता	(७) लागू नहीं होता	(i) 50% प्रोन्नित द्वारा जिसमें ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोम्नति: वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में सहायक रजिस्टार या वसूली अधिकारी जिसने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। टिप्पणी: जहां पर किनष्ट लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने किनष्ट व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता या पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिचुक्तिः (क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें अथवा न्यायालयों अथवा अभिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) जो विभाग के मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वस्ली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य 3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने हेतु) की संरचना निम्नानुसार है: 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वस्ली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी,	लागू नहीं होता

(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी,-	ऋण वसूली अधिकरण,	
(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित सेवा	(वित्तीय सेवाएं विभाग	
के साथ आधार पर वेतनमान में V सदृश	द्वारा नामित किया	
पदधारण करते हों;	जाएगा) – सदस्य	
(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतनमान IV में	3. निदेशक, वित्तीय	
पद पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ;	सेवाएं विभाग – सदस्य	
वांछनीय:	4. विधिक सलाहकार,	
विधिक अथवा न्यायायिक कार्य का अनुभव	भारतीय रिजर्व बैंक –	
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय	सदस्य	
अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,		
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए		
जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त		
व्यक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके		
अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य		
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले		
धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर		
प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष		
से अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के		
लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं		
का जातम ताराख का छप्पन वर्ष संजाबक नहा होगी।		
हागा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 सहायक रजिस्ट्रार	* 09 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू
होता		द्वारा	(i) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ	(प्रोन्नति पर विचार करने के	नहीं
		जिसमें ना	वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में	लिए) में निम्नलिखित से	होता
		हो सकने	्र अनुभाग अधिकारियों से 75%; और	मिलकर बनेगी:-	
		पर	्र (ii) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ	1. संयुक्त सचिव,	
		प्रतिनियुक्ति	वेतन मैट्टिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में	(ऋण वसूली अधिकरण),	
		द्वारा	निजी सचिवों से 25%।	वित्तीय सेवाएं विभाग	
				– अध्यक्ष	
			टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार	2. पीठासीन अधिकारी,	
			3	ऋण वसूली अधिकरण	
			किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया	(वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा	
			जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता	नामित किया जाए) –	
			सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो,	"	
			से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों	सदस्य	
			जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली	3. निदेशक या उप सचिव,	

अविधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अतिनेयुक्तिः (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारण करता हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के अतिरिक्त मूल संवर्ग या विभाग में या उसके समान पद में स्तर 9 में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) के स्तर हो या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की हो; (iv) वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो। (ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी- (ii) स्केल-IV के अधिकारी जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों; (iii) स्केल-III के अधिकारी जिसने पद में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव टेप्पण 1: पोषक प्रवर्ग श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो के प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर स्विक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, अतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। टेप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर अविनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) — सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग — सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य 5 संयुक्त विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य
अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	
ESON OF THE CONTRACTOR OF THE	या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारण करता हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के अतिरिक्त मूल संवर्ग या विभाग में या उसके समान पद में स्तर 9 में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) के स्तर 8 या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की हो; (iv) वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो। (ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी- (i) स्केल-IV के अधिकारी जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 वसूली	* 18 (2018)	समूह 'क'	स्तर 11	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं
अधिकारी	* कार्यभार के आधार		(67700-208700 रुपए)	होता		होता।
	पर परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(8) लागू नहीं होता	(9) लागू नहीं होता	(10) प्रतिनियुक्ति द्वारा	(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) स्तर 9 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) स्तर 8 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; या (iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो; या (ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी- (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करने वाले स्केल-IV अधिकारी; या (iii) पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में स्केल-III अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष सेवा की है। वांखनीय: विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव टिरपण 1: प्रतिनियुक्ति की अविध, केन्द्रीय सरकार के इसी	(12) चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वस्ली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वस्ली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव (ऋण वस्ली अधिकण), वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य 5. संयुक्त विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक सदस्य	(13) लागू नहीं।
			की है। वां छनीय: विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव	भारतीय रिजर्व बैंक -	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 अनुभाग	* 10 (2018)	समूह 'ख'	स्तर 7	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं
अधिकारी	* कार्यभार के आधार		(44900-142400 रुपए)			होता
	पर परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू	प्रोन्नति	प्रोन्नति:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति	लागू
होता	नहीं	द्वारा	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 में ऐसे	समिति (प्रोन्नति पर विचार	नहीं
	होता	जिसमें	सहायकों ने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।	करने के लिए) निम्नलिखित	होता।
		सफल ना	टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा	से मिलकर बनेगी:-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 निजी	* 10 (2018)	समूह 'ख'	स्तर 7	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं
सचिव	* कार्यभार के आधार		(44900-142400 रुपए)			होता
	पर परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू	प्रोन्नति	प्रोन्नति:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति	लागू
होता	नहीं	द्वारा	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) के स्तर 6 में ऐसा	समिति (प्रोन्नति पर विचार	नहीं
	होता	जिसमें	आशुलिपिक ग्रेड-I जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा	करने के लिए) निम्नलिखित	होता।
		सफल ना	की हो।	से मिलकर बनेगी:-	
		हो सकने	टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा	1. अध्यक्ष, ऋण वसूली	
		पर प्रतिनियुक्ति	अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार	अपीलीय अधिकरण या	
		प्रातानयुक्ति	किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया	पीठासीन अधिकारी ऋण	

 1		
द्वारा	जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता	वसूली अधिकरण – अध्यक्ष
	सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो,	2. सचिव या पंजीयक,
	से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों	ऋण वसूली अपीलीय
	जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली	अधिकरण या ऋण वसूली
	है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा	अधिकरण – सदस्य
	अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	3. सहायक पंजीयक या
	प्रतिनियुक्ति:	वसुली अधिकारी, ऋण
	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या	
	अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी	वसूली अधिकरण – सदस्य
	(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर	
	सदृश पदधारण करता हो; या	
	(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स	
	(35400-112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य	
	पश्चात ग्रेड l में पांच वर्ष की सेवा की हो।	
	वांछनीय:	
	विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव	
	टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो कि	
	प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर	
	नियुक्ति के विचार किए जाने के तहत पात्र नहीं होंगे। इसी	
	प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए	
	विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी	
	अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति	
	से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर	
	प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से	
	अधिक नहीं होगी।	
	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए	
	अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
	तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6 सहायक	* 38 (2018)	समूह 'ख'	स्तर 6	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं
	* कार्यभार के आधार		(35400-112400 रुपए)			होता
	पर परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(8) लागू नहीं होता	(9) प्रोन्नित प्राप्त लोगों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नित द्वारा जिसके सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके विष्ठ लोगों पर भी विचार किया	(12) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण	(13) लागू नहीं।
		द्वारा	जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो,	वसूली अधिकरण – अध्यक्ष	

से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों	2. सचिव या रजिस्ट्रार,
जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली	ऋण वसूली अपीलीय
है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा	अधिकरण या ऋण वसूली
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	अधिकरण – सदस्य
प्रतिनियुक्ति:	3. सहायक रजिस्ट्रार या
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या	वसूली अधिकारी, ऋण
अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी	
(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर	वसूली अधिकरण – सदस्य
सदृश पदधारण करता हो; या	
(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स	
(25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य इसकी	
नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।	
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो	
प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए	
जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति	
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र	
नहीं होंगे।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्र सरकार के इसी	
अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति	
से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर	
प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से	
अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 लेखा	* 09 (2018)	समूह	स्तर 6	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सहायक	* कार्यभार पर	'ख'	(35400-112400 रुपए)	होता		
	परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू	प्रतिनियुक्ति	केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी,—	लागू नही	• 1
होता	नहीं —े—	द्वारा	(क) (i) वर्तमान संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर	होता	होता
	होता		सदृश पद धारित करने वाले; अथवा		
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-		
			81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य नियमित आधार पर		
			इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।		
			का हा। (ख) जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा		
			समकक्ष केन्द्रीय सरकार के किसी भी संस्थान से नकद और लेखा		
			के काम का प्रशिक्षण लिया हो।		
			टिप्पण: 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय		
			सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस		
			नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर		
			प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं		

होगी।	
टिप्पण: 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु	
सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक	
नहीं होगी।	

((1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8 आः	शुलिपिक	* 19 (2018)	समूह	स्तर 6 (35400-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
ग्रेड ।		* कार्यभार के	'ख'	112400 रुपए)			
		आधार पर					
		परिवर्तन किया					
		जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू	प्रोन्नति	प्रोन्नति	प्रोन्नति:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं
नहीं कोक	व्यक्तियों	द्वारा	वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4	(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	होता
होता	के लिए दो वर्ष	जिसके ना हो सकने	में आशुलिपिक ग्रेड-2 जिसने श्रेणी में दस वर्ष	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—	
	વા બબ	्रहा सकन पर	नियमित सेवा की हो।	1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय	
		प्रतिनियुक्ति	टिप्पण: जहां पर किनष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक	्र अधिकरण अथवा पीठासीन	
		द्वारा	अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी	। अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण	
			प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ	– अध्यक्ष	
			लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि		
			उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के	2. सचिव या रजिस्ट्रार,	
			आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम	ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	
			हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ	अथवा ऋण वसूली	
			व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से	अधिकरण – सदस्य	
			ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में	3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली	
			प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी	अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण	
			कर ली हो।	— सदस्य	
			प्रतिनियुक्तिः		
			केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी		
			(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित		
			आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या		
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स		
			(25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य		
			में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात		
			श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो।		
			टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय		
			अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,		
			प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं		
			होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति		
			द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
			नहा हागा टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत		
			केन्द्रीय सरकार या उसी या किसी अन्य संगठन		
			या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित		
			किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की		

अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं	
होगी।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के	
लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने	
की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं	
होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9 उच्च श्रेणी लिपिक	* 29 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 4 (25500- 81100 रुपए)	अचयन	लागू नहीं होता	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू	सीधी	प्रोन्नति	प्रोन्नति:	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं
नहीं	भर्ती हेतु	द्वारा	वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2	(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	होता
होता	दो वर्ष	जिसके ना	में अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में आठ वर्ष	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—	
	प्रोन्नत	हो सकने	नियमित सेवा की हो।		
	व्यक्तियों	पर	टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक	1. रजिस्ट्रार या सचिव,	
	के लिए	प्रतिनियुक्ति	अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी	ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण –	
	शून्य	द्वारा	प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ	अध्यक्ष	
			लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि	2. रजिस्ट्रार या सचिव,	
			उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के	ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य	
			आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम	3. वसूली अधिकारी या सहायक	
			हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ	 रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण	
			व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से		
			ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में		
			प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी		
			कर ली हो।		
			प्रतिनियुक्ति:		
			केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों		
			या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी		
			(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित		
			आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या		
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स		
			(19900-63200 रुपए) में स्तर 2 या समतुल्य		
			नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात		
			अवर श्रेणी लिपिक जिसने आठ वर्ष सेवा की हो।		
			टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय		
			अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,		
			प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं		
			होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति		
			द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र		
			नहीं होंगे।		
			टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत		

केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या	
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित	
किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की	
अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं	
होगी।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के	
लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने	
की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं	
होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 10 आशुलिपिक ग्रेड II	(2) * 08 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) समूह 'ग'	(4) स्तर 4 (25500- 81100 रुपए)	(5) लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन	(7) (i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उसके समतुल्य (ii) कौशल परीक्षण की शर्ते श्रूत लेख: 10 मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट प्रतिलेखन: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) (मैनुअल टाइपराइटिंग पर) अथवा
						टाइपराइटिंग पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों; अथवा (ii) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए विहित आर्हता रखता हो।	लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 अवर श्रेणी लिपिक	* 38 (2018)	समूह	स्तर 2 (19900-	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड

* कार्यभार वे	·ग'	63200 रुपए)	अनुदेशों अथवा आदेशों के	अथवा विश्वविद्यालय से
आधार पर		**	अनुसार सरकारी सेवकों के	
परिवर्तन किय			लिए 40 वर्ष तक शिथिल की	अर्हता
जा सकता है।			जा सकती है)	(ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में
			टिप्पण: आयु सीमा निर्धारण	35 शब्द प्रति मिनट
			निर्णायक तिथि कर्मचारी	अथवा हिन्दी में 30 शब्द
			चयन आयोग द्वारा दिए गए	
			विज्ञापन के अनुसार होगा	100 11-4 1111 11113 11 11
			(जहां भर्ती कर्मचारी चयन	30 शब्द प्रति मिनट
			आयोग द्वारा नहीं की जाती	प्रत्येक शब्द के लिए औसत
			है, वहां आयु सीमा निर्धारण	5 कुंजी दबावों के आधार
			निर्णायक तारीख आवेदन की	पर प्रत्येक घंटा 10,500
			अंतिम तारीख के अनुसार	कुंजी दबावों अथवा प्रत्येक
			होगा)।	घंटा 9000 कुंजी दबावों
				के तदनुरूप हो)।

(0)	(0)	(10)	(11)	(42)	(12)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(0) हां	(<i>a</i>) सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	(i) 50% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 50% विभागीय अर्हकता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नतिः बहु कार्य कर्मचारिवृंद में से व्यक्ति जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य हों या विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष होगी। टिप्पण 2: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति या अनुस्चित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक छूट दी जाएगी। टिप्पण 3: यदि खंड (ii) के अंतर्गत स्तंभ 10 के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसी अतिरक्त संख्या वाले कर्मचारियों तदनंतर वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने हेतु विचार किया जाएगा तािक पूर्व में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो कि बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। प्रतिनियुक्तिः: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के कर्मचारिवृंद में से:— (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा	(12) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण — अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वस्ली अधिकरण — सदस्य और 3. सहायक रजिस्ट्रार या वस्ली अधिकारी, ऋण वस्ली अधिकरण — सदस्य	लागू नहीं होता

विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित	
अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि	
सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं	
होगी।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के	
लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने	
की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं	
होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12 स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	* 05(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900- 63200 रुपए)	लाग् नहीं	18 से 25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख निरात की गई अंतिम तारीख वह होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। * यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।	(i) मोटर कार के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञा- पत्र होना चाहिए; (ii) मोटर रचना तंत्र की जानकारी (आवेदक वाहन की छोटी त्रुटियों को दूर करने योग्य होना चाहिए); (iii) मोटर कार के लिए चालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव; और (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वाछनीय: होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुस्चित जातियों और अनुस्चित जातियों और अनुस्चित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू	सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति	लागू नहीं
नहीं	से आने	तथा	ऋण वसूली अपील अधिकरण अथवा ऋण	समिति (पुष्टि पर विचार करने के	
होता	वाले अथवा	आमेलन	वसूली अधिकरणों के समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स	लिए) में निम्नलिखित शामिल	
	पुनर्नियोजन	जिसके ना	(18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन	होंगे:-	
	वालों हेतु दो वर्ष	हो सकने	नियमित कर्मचारियों में से मोटर कार चलाने की	1. पंजीयक या सचिव,	
	दावध	पर सीधी भर्ती द्वारा	क्षमता के आकलन हेतु चालन परीक्षा के आधार	ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	
		मता क्षारा	पर जिनके पास विधिमान्य चालन अनुज्ञण्ति	– अध्यक्ष	
		मणक उन्में	हो। इसमें सफल ना होने पर केन्द्रीय सरकार के	2. पंजीयक या सचिव,	
		सशस्त्र बलों के कार्मिकों	अन्य मंत्रालयों में समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स	ऋण वसूली अधिकरण –	
		हेतु;	(18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन	मदस्य	
		्र ^{ु,} प्रतिनियुक्ति	ानयामत कमचारिया म स जा स्तम (7) म उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं को पूरा करते हों।	तपत्प 3. वसूली अधिकारी या सहायक	
		अथवा अथवा	प्रतिनियुक्ति अथवा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए	पंजीयक, ऋण वसूली अधिकरण	
		पुनर्नियोजन पुनर्नियोजन	पुनर्नियोजन:		
		3	सशस्त्र बलों के वे कार्मिक जो कि सेवानिवृत्त	– सदस्य	
			होने वाले हैं अथवा जिन्हें कि एक वर्ष की अवधि		
			के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है		
			और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और		
			विनिर्धारित अर्हताएं हैं, पर भी विचार किया		
			जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक		
			प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा उस		
			तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया		
			जाता है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने		
			रहने दिया जा सकता है।		
			टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय		
			सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन		
			अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले		
			धारित अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं		
			का अवाध साधारणतया तान वर्ष स आधक नहा होगी।		
			टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के		
			लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने		
			की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं		
			होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13 बहु कार्य	* 50 (2018)	समूह	स्तर 1	लागू	18 से 25 वर्ष के बीच	मैट्रिकुलेशन या
कर्मचारिवृंद	* कार्यभार के	'ग'	(18000-	नहीं	टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने	समतुल्य
	आधार पर		56900 रुपए)	होता	के लिए निर्णायक तारीख भारत में	
	परिवर्तन किया				अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के	
	जा सकता है।				लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी	
					(न कि वह अंतिम तारीख जो असम,	
					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,	
					मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम,	
					जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,	
					हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति	

		जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	
		का गई हे)। 	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13))
लागू	दो वर्ष	कर्मचारी	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के	लागू न	नहीं
नहीं होता		चयन आयोग		लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—	होता	
81(11		जायाग द्वारा		1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण		
		सीधी		– अध्यक्ष		
		भर्ती		2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण –		
				सदस्य		
				3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली		
				अधिकरण – सदस्य		

तीसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

क्रम संख्या	पद	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार

चौथी अनुसूची

(नियम 6 देखें)

क्रम संख्या	पद	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	केन्द्र सरकार (माननीय वित्त मंत्री)
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में यथा उपबंधित

[फ़ा. सं. 5/2/2016- डीआरटी] वीवीएस खड़ायत, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2018

G.S.R 536(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), and in supersession of—

- 1) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 2) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 3) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai (Court Master) Recruitment Rules, 2015;
- 4) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 5) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 6) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 7) the Debts Recovery Tribunal, Ernakulam Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 8) the Debts Recovery Tribunal, Ernakulam, (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 9) the Debts Recovery Tribunal-I, Ernakulam (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- the Debts Recovery Tribunal-1, Ernakulam (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- the Debts Recovery Tribunal, Ernakulam (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- the Debts Recovery Tribunal-2, Ernakulam (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- the Debts Recovery Tribunal-2, Ernakulam (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- the Debts Recovery Tribunal No.1 Chennai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- the Debts Recovery Tribunal, Chennai (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- the Debts Recovery Tribunal-I, Chennai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- the Debts Recovery Tribunal-1, Chennai (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- the Debts Recovery Tribunal-I, Chennai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 19) the Debts Recovery Tribunal No.2 Chennai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 20) the Debts Recovery Tribunal-II Chennai, (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 21) the Debts Recovery Tribunal-II, Chennai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- the Debts Recovery Tribunal-2, Chennai (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- the Debts Recovery Tribunal-2, Chennai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 24) the Debts Recovery Tribunal-III, Chennai (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2009;
- 25) the Debts Recovery Tribunal-III, Chennai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- the Debts Recovery Tribunal-3, Chennai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- the Debts Recovery Tribunal, Madurai (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2009;
- the Debts Recovery Tribunal, Madurai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 29) the Debts Recovery Tribunal, Madurai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 30) the Debts Recovery Tribunal, Coimbatore, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2003;
- 31) the Debts Recovery Tribunal, Coimbatore, (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 32) the Debts Recovery Tribunal, Coimbatore (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;

- the Debts Recovery Tribunal, Coimbatore (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 34) the Debts Recovery Tribunal, Coimbatore (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 35) the Debts Recovery Tribunal, Bangalore Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 36) the Debts Recovery Tribunal, Bangalore, (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- 37) the Debts Recovery Tribunal-I, Bengaluru (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 38) the Debts Recovery Tribunal-I, Bengaluru (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 39) the Debts Recovery Tribunal, Bengaluru (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016
- 40) the Debts Recovery Tribunal-2, Bengaluru (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 41) the Debts Recovery Tribunal-2, Bengaluru (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017.

except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Group 'A', 'B' and 'C' in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, and, Debts Recovery Tribunal, Ernakulam-1, Debts Recovery Tribunal, Ernakulam-2, Debts Recovery Tribunal, Chennai-1, Debts Recovery Tribunal, Chennai-3, Debts Recovery Tribunal, Madurai, Debts Recovery Tribunal, Coimbatore, Debts Recovery Tribunal, Bangalore-1 and Debts Recovery Tribunal, Bangalore-2, namely:-

- 1. **Short Title and Commencement.** (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and Debts Recovery Tribunals at Ernakulam, Chennai, Madurai, Coimbatore and Bangalore Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Grade and strength.** The various grades and the number of posts in each grade in Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and each Debts Recovery Tribunal under its jurisdiction are as specified in the First Schedule annexed hereto.
- 3. **Number of post, classification and Level in the pay matrix.** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Second Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related to the said post shall be specified in columns (5) to (13) of the Second Schedule.
- 5. **Appointing Authority**.- The Appointing Authority in respect of the post specified under column (2) of the Third Schedule shall be the authority specified in the corresponding entry under column (3) of the said Schedule.
- 6. **Disciplinary and Appellate Authorities.** The Disciplinary and Appellate Authorities shall be as specified in the Fourth Schedule attached hereto.
- 7. **Transfer**.- Every person appointed to the post in Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, and Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction is liable to be transferred within the jurisdiction of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai. Provided that an officer appointed on deputation basis or against encadred posts are not liable to be transferred.
- 8. **Seniority.** (1) A common seniority list shall be maintained for each grade for the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and all the Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction.
- (2) The seniority shall be fixed as per the orders issued by the Central Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training from time to time in this regard.
- 9. **Disqualifications**:- No person –
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 10. **Power to relax** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 11. **Saving** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

First Schedule

(See Rule 2)

Serial Number	Name of the post				Numbe	er of post						Total
		DRAT, Chennai	DRT-1 Bangalore	DRT-2, Bangalore	DRT-1 Chennai	DRT-2 Chennai	DRT-3 Chennai	DRT- Coimbatore	DRT-1 Ernakulam	DRT-2 Ernakulam	DRT Madurai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Registrar	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9
2.	Assistant Registrar	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3.	Recovery Officer	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
4.	Section Officer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
5.	Private Secretary	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6.	Assistant	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
7.	Accounts Assistant	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8.	Stenographer Grade-1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
9.	Upper Division Clerk	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
10.	Stenographer Grade-II	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	8
11.	Lower Division Clerk	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
12.	Staff Car Driver	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	5
13.	Multi-Tasking Staff	3	7	0	7	7	6	7	7	0	6	50

Second Schedule

(See rule 3 and 4)

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age Limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Registrar.	09* (2018) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'.	Level 12 (Rs.78800- 209200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualificatio n prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumst ances in which Union Public Service Commiss ion is to be consulted in making recruit-tment.
Not	(9) Not	(10) (i) 50% by	(11) Promotion:	(12) Departmental Promotion Committee	(13) Not
applicable.	applicable.		Promouon:	(for considering promotion) consisting of:-	applic able.
		promotion failing which by	Assistant Registrar or Recovery Officer in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade.	Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services	
		deputation;	Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being	Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of	
		(ii) 50% by	considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more	Financial Services) - Member;	
		deputation.	than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Director, Department of Financial Services Member. Selection Committee (for considering deputation) consisting of:-	
			Deputation:	1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal),	
			(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals;	Department of Financial Services - Chairperson; 2. Presiding Officer,	
			 (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or (ii) with five years service in the grade 	Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services)	
			rendered after appointment the glade on a regular basis in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or	Member; 3. Director, Department of Financial Services -	
			equivalent, in the parent cadre or department; or .	Member; 4. Legal Adviser, Reserve Bank of India	
			(b) Officers of the public sector banks,-	Member.	
			(i) holding analogous posts in scale V on a regular basis in the parent cadre or department;		
			(ii) with five years regular service in the post in scale IV in the parent cadre or department;		
			Desirable:		
			Experience in legal or judicial work.		
			Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion		

shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.	
Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.Assistant Registrar.	09* (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs.67700- 208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	By promotion	Promotion:	Departmental Promotion	Not applicable.
applicable.	years.	failing which by	(i) 75% from the Section Officers in	Committee (for considering	1 tot applicable.
-FF	7	deputation.	level 7 in the pay matrix	promotion) consisting of :-	
		1	(Rs. 44900-142400) with	, ,	
			seven years regular service in	1. Joint Secretary (Debts	
			the grade; and	Recovery Tribunal),	
			-	Department of	
			(ii) 25% from the Private	Financial Services -Chairperson;	
			Secretaries in level 7 in the pay	Presiding Officer, Debts	
			matrix (Rs.44900-142400) with	Recovery Tribunal (To	
			seven years regular service in	be nominated by	
			the grade.	Department of	
			NT 4 XXII · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Financial Services) - Member;	
			Note: Where juniors who have	3. Director or Deputy Secretary,	
			completed their qualifying or eligibility service are being	(Debts Recovery Tribunal), Department of	
			considered for promotion, their	Financial Services - Member.	
			seniors would also be considered	i maneiai sei vices - iviembei.	
			provided they are not short of the		
			requisite qualifying or eligibility	Selection Committee (for considering	
			service by more than half of such	deputation) consisting of :-	
			qualifying or eligibility service or two	,	
			years, whichever is less, and have	1. Joint Secretary (Debts	
			successfully completed probation	Recovery Tribunal),	
			period for promotion to the next	Department of Financial	
			higher grade along with their juniors	Services - Chairperson;	
			who have already completed such	Presiding Officer, Debts	
			qualifying or eligibility service.	Recovery Tribunal (To be	
				nominated by Department	
			Deputation:	of Financial Services) – Member;	
			(a) Off	3. Director or Deputy	
			(a) Officers under the Central Government or State	Secretary, Department of Financial Services - Member;	
			Governments or Courts	4. Director or Deputy	
			or Tribunals,-	Secretary(Debts	
			or infoundis,	Recovery Tribunal),	
			(i) holding analogous	Department of Financial	
			post on regular basis in	Services - Member;	
			the parent cadre or	5. Joint Legal Adviser,	
			department; or	Reserve Bank of India - Member.	
			(ii) with five years		
			service in the grade		
			rendered after		
			appointment thereto on a		
			regular basis in the post		
			of Section Officer in		

	,			
	1	level 9 in the pay matrix		
		(Rs. 53100-167800) or		
		equivalent, in the parent		
		cadre or department; or		
		(iii) with six years		
		(iii) with six years service in the grade		
		rendered after		
		appointment thereto on a		
		regular basis in the post		
		of Section Officer in		
		Level 8 in the pay matrix		
		(Rs. 47600-151100) or		
		equivalent;and		
		4.5.45		
		(iv)with seven years		
		service in the grade		
		rendered after		
		appointment thereto on a regular basis in the post		
		of Section Officer in		
		level 7 in the pay matrix		
		(Rs.44900-142400) or		
		equivalent;		
		(b) Officers of the public sector		
		banks,-		
		(i) Scale IV Officers holding		
		analogous post on regular basis in the parent cadre or		
		department; or		
		A		
		(ii) Scale III Officers with five		
		years regular service in the post.		
		Docimoble		
		Desirable:		
		Experience in legal or judicial work.		
		r Junior III III		
		Note1: The departmental officers in		
		the feeder category who are in the		
		direct line of promotion shall not be		
		eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly,		
		the deputationists shall not be eligible		
		for consideration for appointment by		
		promotion.		
		Note 2: The period of deputation		
		including the period of deputation in		
		another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this		
		appointment in the same or some		
		other Organisation or Department of		
		the Central Government shall		
		ordinarily not exceed four years.		
		Note 3: The maximum age limit for		
		appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on		
		the closing last date of receipt of		
		applications.		
L		11	I	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.Recovery Officer.	*subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs 67700- 208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not	By deputation.	(a) Officers under the Central	Selection Committee (for considering	Not applicable.
	applicable.		Government or State Governments	deputation) consisting of:-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			or Courts or Tribunals	1 I de Constant Delta	
			(i) holding analogous post on regular basis in the	Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal),	
			parent cadre or	Department of Financial	
			department; or	Services - Chairperson;	
			(ii) with five years	2. Presiding Officer,	
			service in the grade rendered after	Debts Recovery Tribunal (To be	
			appointment thereto	nominated by Department	
			on a regular basis in	of Financial Services - Member;	
			the post of Section	3. Director or Deputy	
			Officer in level 9 in the pay matrix	Secretary, Department of Financial Services - Member;	
			(Rs.53100-167800) or	4 .Director or Deputy	
			equivalent, in the	Secretary (Debts	
			parent cadre or department; or	Recovery Tribunal), Department of Financial	
			(iii) with six years	Services - Member;	
			service in the grade	5. Joint Legal Adviser,	
			rendered after	Reserve Bank of	
			appointment thereto on a regular basis in	India - Member.	
			the post of Section		
			Officer in level 8 in		
			the pay matrix		
			(Rs.47600-151100) or equivalent, in the		
			parent cadre or		
			department;or		
			(iv)with seven years service in		
			the grade rendered after appointment thereto on a		
			regular basis in the post of		
			Section Officer		
			in level 7 in the pay matrix		
			(Rs.44900-142400) or equivalent,		
			in the parent cadre or		
			department;		
			(1) Off and of the maltiness to		
			(b) Officers of the public sector banks,-		
			(i) Scale IV Officers holding		
			analogous post on regular		
			basis in the parent cadre or		
			department;or		
			(ii) Scale III Officers with		
			five years service in the		
			grade rendered after		
			appointment thereto on a regular basis in the post.		
			regular basis in the post.		
			Desirable:		
			Degree in law or having legal experience.		
			ехрененее.		
			Note 1: The period of deputation		
			including the period of		
			deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding		
			this appointment in the same or		
			some other Organisation or		
			Department of the Central		
			Government shall ordinarily not exceed four years.		
			exceed four years.		
			Note 2: The maximum age limit		
			for appointment on deputation		
			shall be not exceeding fifty-six		
			years as on the closing last date of receipt of applications.		
1			1	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.Section Officer.	*subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 7 (Rs. 44900- 142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Assistants in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal -Chairperson; 2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member; 3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not applicable.
			Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals;		
			 (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department. 		
			Desirable:		
			Experience in legal or judicial work.		
			Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
			Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
			Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.		

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	(7)
(1) (2) (3) (4) (5) (0)	(1)

5.Private Secretary.	10 * (2018)	Group 'B'.	Level 7 (Rs.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
	*subject to variation dependent on workload.		44900- 142400).			

(0)	(0)	(10)		T	T
Not	(9) Not	(10) By promotion	(11) Promotion:	Group 'B' Departmental Promotion	(13) Not applicable.
applicable.	applicable.	failing which by deputation.	Stenographers Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility	Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson; 2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member; 3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.	
			service. Deputation:		
			Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Stenographer Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department. Desirable: Experience in legal or judicial work. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
			Note 2: The period of deputation including the period of deputation in		

another ex-cadre post held	
immediately preceding this	
appointment in the same or	
some other Organisation or	
Department of the Central	
Government shall ordinarily	
not exceed three years.	
Note 3: The maximum age	
limit for appointment on	
deputation shall be not	
exceeding fifty-six years as on	
the closing last date of receipt	
of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.Assistant.	*Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs.35400- 112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

•					
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years	By promotion	Promotion:	Group 'B' Departmental Promotion	Not applicable.
applicable.	for promotees.	failing which by deputation.	Upper Division Clerks in Level 4 in	Committee (for considering promotion) consisting of :-	
	promotees	oj deparación.	the pay matrix (Rs. 25500-81100)	Consisting of 1	
			with ten years regular service in the	Chairperson, Debts Recovery	
			grade.	Appellate Tribunal or Presiding	
			Ni-A Wilson Control of the Island	Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson:	
			Note: Where juniors who have completed their qualifying or	Tribunal - Chairperson; 2. Secretary or Registrar,	
			eligibility service are being	Debts Recovery Appellate	
			considered for promotion, their	Tribunal or Debts Recovery	
			seniors would also be considered	Tribunal - Member;	
			provided they are not short of the	3 . Assistant Registrar or	
			requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal -Member.	
			qualifying or eligibility service or two	Recovery IllounaiMember.	
			years, whichever is less, and have		
			successfully completed probation		
			period for promotion to the next		
			higher grade along with their juniors		
			who have already completed such qualifying or eligibility service.		
			quantying of englothity service.		
			Deputation:		
			Officers under the Central		
			Government or State Government or		
			Courts or Tribunals,-		
			(i) holding analogous post on a regular basis in the parent		
			cadre or department; or		
			(ii) with ten years service in the		
			grade rendered after		
			appointment thereto on a		
			regular basis in Level 4 in the		
			pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent		
			cadre or department.		
			Note 1: The departmental officers in		
			the feeder category who are in the		
			direct line of promotion shall not be		
			eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly,		
			the deputationists shall not be eligible		
1			for consideration for appointment by		
			promotion.		
			Note 2: The period of deputation		

including the period of deputation is another ex-cadre post help immediately preceding the appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shate ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.Accounts Assistant.	09* (2018)	Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400-	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
	*subject to variation dependent on		112400).			
	workload.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Officers under the Central Government,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service in the grade	Not applicable.	Not applicable.
			rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department; and (b) who have undergone training in cash and accounts		
			work in Institute of Secretariat Training and Management or equivalent Institute of Central Government		
			Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
			Note 2 : The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.Stenographer	19* (2018)	Group 'B'.	Level 6	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Grade I.			(Rs. 35400-			
	*Subject to		112400).			
	variation					
	dependent					
	on					
	workload.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years	Ву	Promotion:	Group 'B' Departmental Promotion	Not
applicable.	for	promotion		Committee (for considering promotion)	applicable.
	promotees.	failing which	Stenographers Grade II in level 4 in	consisting of :-	
		by	the pay matrix (Rs. 25500-81100)		
		deputation.	with ten years regular service in the	Chairperson, Debts Recovery	
			grade.	Appellate Tribunal or Presiding	
				Officer, Debts Recovery	
			Note: Where juniors who have	Tribunal - Chairperson;	

completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member; Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.
Deputation:	
Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-	
ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.	

(1)	2) (3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Upper 29 * (20 Division Clerk. *Subject variation depend on wor	(18) Group 'C'.	Level 4 (Rs.25500- 81100).	Non-selection.	Not applicable.	Degree of a recognized university or equivalent.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years	Ву	Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
applicable.	for direct	promotion		Committee (for considering promotion)	
	recruitment.	failing which	Lower Division Clerk in level 2 in the	consisting of :-	
	Nil for	by	pay matrix (Rs. 19900-63200) with		
	promotees.	deputation.	eight years regular service in the	1.Registrar or Secretary,	
			grade.	Debts Recovery Appellate	
				Tribunal - Chairperson;	
			Note: Where juniors who have		
			completed their qualifying or	2.Registrar or Secretary,	

1	T	,
eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation:	Debts Recovery Tribunal - Member; 3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal - Member.	
Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-		
 (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Lower Division Clerk with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent, in the parent cadre or department. 		
Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 3 : The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

		T				th	
10.Stenographer	* 08 (2018)	Group 'C'.	Level 4	Not	Between 18 and 27 years	(i) 12 th class pass of	
Grade II.			(Rs. 25500-	applicable.		from a recognis	sed Board or
	*Subject to		81100).		(Relaxable for Government		
	variation				Servant up to 40 years in		
	dependent				accordance with	(ii) Skill Test Nor	ms:-
	on				instructions or orders		
	workload.				issued by the Central	Dictation:	
					Government).	10 minutes	@ 80 words per
						minute	
					Note: The crucial date for		
					determining the age-limit	Transcription:	
					shall be as advertised by	65 minutes	s (English), 75
					the Staff Selection	minutes (Hi	ndi) (On Manual
					Commission.	Typewriter)	or 50 minutes
						(English), 65	5 minutes (Hindi)
						(On Comput	er).
(8)	(9)	(1)	0)	(11)	(12)		(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recru	itment through	Not	Group 'C' Departs	mental Promotion	Not Applicable.
		Staff Selection (Commission.	applicable	c. Committee (for consider	ering confirmation)	
					consisting of :-		
		Note: Vacancie	es caused by the				
		incumbent bei	ing away on		 Registrar or Secretary 	/,	
		deputation or 1	long illness or		Debts Recovery App	ellate	
		study leave of	r under other		Tribunal	 Chairperson; 	
		circumstances for	or a duration of				
		one year or mor	re may be filled		Registrar or Secretar		
		on deputation	basis from the		Debts Recovery Trib	ounal - Member;	
		officers of	the Central				
		Government,-			3. Recovery Officer or		
					Assistant Registrar, I		
		(a) (i)	holding		Recovery Tribunal	- Member.	
			ogous posts on				
		_	lar basis in the				
		parei					
			rtment; and				
			possessing the				
			ifications				
			cribed for direct				
		recru	iits under				
		colui	mn (7).				
				1			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Lower 3 Division Clerk.	(2) 38* (2018) * subject to variation dependent on workload.	(3) Group 'C'.	(4) Level 2 (Rs. 19900- 63200.	Non-selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by Staff Selection Commission (where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).	 (i) 12thclass or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) Typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depressions per Hour or 9000 Key Depressions per Hour on an average of 5 key depressions for each word)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	wo years	(i) 50% by direct	Promotion:	Group 'C' Departmental	Not
Yes Tv for		\ /	` /	` /	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.Staff	05* (2018)	Group 'C'.	Level 2	Not	Between 18 and 25* years	(i) Possession of a valid driving
Car			(Rs.19900-	applicable.	(Relaxable for Government Servants	licence for motor cars;
Driver	*subject to		63200).		up to 40 years in accordance with	(ii) Knowledge of motor
(Ordin	variation				the instructions or orders issued by	mechanism (The candidate
ary	dependent				the Central Government).	should be able to remove
Grade)	on					minor-defects in vehicle);
	workload				Note 1: The crucial date for	(iii) Experience of driving a motor
					determining the age-limit shall be	car for at least 3 years; and
					the closing date for receipt of	(iv) Pass in 10 th standard.
					application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu	Desirable: 3 years service as Home Guard or Civil Volunteers. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the

	and Kashmir State, Lahaul and Spiti	discretion of the competent authority
	District and Pangi Sub-Division of	in the case of candidates belonging to
	Chamba District of Himachal	the Scheduled Castes or Scheduled
	Pradesh, Andaman and Nicobar	Tribes if at any stage of selection, the
	Islands and Lakshadweep).	competent authority is of the opinion
		that sufficient number of candidates
	*If the direct recruitment is to be	with requisite experience is not likely
	made by direct open competitive	to be available to fill up the vacancy
	Examination, the age-limit would be	reserved for them.
	18-27 years.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years	Deputation or	Deputation or absorption:	Group 'C' Departmental Promotion	Not
applicable.	for direct	absorption		Committee (for considering confirmation)	applicable.
	recruits or	failing which	From amongst regular Group 'C'	consisting of :-	
	re-employed.	by direct	employees in Level 1 in the pay matrix		
		recruitment.	(Rs 18000-56900) in Debts Recovery	1.Registrar or Secretary,	
			Appellate Tribunal or Debts Recovery	Debts Recovery Appellate	
		For Armed	Tribunals who possess valid Driving	Tribunal - Chairperson;	
		Forces	License for Motor Cars on the basis of a		
		Personnel:	Driving Test to assess the competence	2.Registrar or Secretary,	
		Deputation or	to drive Motor Cars failing which from	Debts Recovery Tribunal - Member;	
		re-employment.	amongst regular Group 'C' employees		
			in Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-	3.Recovery Officer or	
			56900) in other Ministries of the	Assistant Registrar, Debts	
			Central Government who fulfill the	Recovery Tribunal - Member.	
			necessary qualifications as mentioned in		
			column (7).		
			Deputation or re-employment for		
			Armed Forces Personnel:		
			Armed Forces Personner:		
			The Armed Forces Personnel due to		
			retire or who are to be transferred to		
			reserve within a period of one year and		
			having the requisite experience and		
			qualifications prescribed shall also be		
			considered. Such persons would be		
			given deputation terms upto the date on		
			which they are due for release from the		
			Armed Forces; therafter they may be		
			continued on re-employment.		
			Note 1: The period of deputation		
			including the period of deputation in		
			another ex-cadre post held		
			immediately preceding this		
			appointment in the same or some other		
			Organisation or Department of the		
			Central Government shall ordinarily		
			not exceed three years.		
			Note 2: The maximum age limit for		
			appointment on deputation shall be not		
			exceeding fifty-six years as on the		
			closing last date of receipt of		
			applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.Multi-	50* (2018)	Group 'C'.	Level 1	Not applicable.	Between 18 and 25 years.	Matriculation or equivalent.
Tasking			(Rs.18000-			
Staff.	*subject to		56900).		Note 1: The crucial date for	
	variation				determining the age-limit shall	
	dependent				be the closing date for receipt	
	on				of application from candidates	
	workload.				in India (and not the closing	
					date prescribed for those in	
					Assam, Meghalaya, Arunachal	

		Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi subdivision of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	
		_	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	By direct recruitment	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
applicable.	years.	through Staff		Committee (for considering confirmation)	
		Selection		consisting of :-	
		Commission.			
				1.Registrar or Secretary,	
				Debts Recovery Appellate	
				Tribunal - Chairperson;	
				2.Registrar or Secretary,	
				Debts Recovery Tribunal - Member;	
				3.Recovery Officer or	
				Assistant Registrar, Debts	
				Recovery Tribunal - Member.	

Third Schedule

(See Rule 5)

Serial Number	Post	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
3.	Group 'A'	Central Government

Fourth Schedule

(See Rule 6)

Serial Number	Post	Appointing Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate	Chairperson, Debts Recovery
		Tribunal	Appellate Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate	Central Government (Hon'ble
		Tribunal	Minister of Finance)
3.	Group 'A'	Central Government	As provided in Central Civil
			Services (Classification, Control and
ı			Appeal) Rules, 1965

[F. No. 5/2/2016-DRT] V.V.S KHARAYAT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2018

सा.का.नि. 537(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित का अधिक्रांत करते हुए –

- (1) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (2) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (3) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली, (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015;
- (4) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (5) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (6) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली, (आश्लिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (7) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, दिल्ली, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (8) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2001;
- (9) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, दिल्ली, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (10) ऋण वसुली अधिकरण नं. 1, दिल्ली, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (11) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, दिल्ली, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (12) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2001;
- (13) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, दिल्ली, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (14) ऋण वसुली अधिकरण नं. 2, दिल्ली, (बह कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (15) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, दिल्ली, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (16) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, दिल्ली, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (17) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, दिल्ली, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (18) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2003;
- (19) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, दिल्ली, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (20) ऋण वसुली अधिकरण नं. 3, दिल्ली, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (21) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, दिल्ली, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (22) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2001;
- (23) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (24) ऋण वसुली अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (25) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (26) ऋण वसली अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (27) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चण्डीगढ़, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2009;

- (28) ऋण वसुली अधिकरण नं. 2, चण्डीगृह, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (29) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, चण्डीगढ़, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (30) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, चण्डीगढ़, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (31) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, चण्डीगढ़, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (32) ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (33) ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2001;
- (34) ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (35) ऋण वसुली अधिकरण, जयपुर, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (36) ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;

केन्द्रीय सरकार, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़-1, ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़-2, ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़-3, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली-1, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली-3 और ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर में समूह 'क', 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ग्रेड और संख्या ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली और उसके अधिकारिता के अंतर्गत प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण में विभिन्न ग्रेड और प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों की संख्या उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन से उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो दूसरी अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. नियुक्ति प्राधिकारी तीसरी अनुसूची के स्तंभ (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) के अंतर्गत तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा।
 - 6. अपील प्राधिकारी अनुशासनात्मक और अपील प्राधिकारी उपाबद्ध संलग्न चौथी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- 7. स्थानांतरण ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली और उसके अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ऋण वस्ली अधिकरणों में पद पर नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है। परन्तु प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा संवर्गीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
- 8. ज्येष्ठता (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली तथा उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी ऋण वसूली अधिकरणों के लिए प्रत्येक ग्रेड हेतु एक साझी वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी।
- (2) ज्येष्ठता का निर्धारण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के नियत किया जाएगा।
 - 9. निरर्हता वह व्यक्ति:
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हे, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता हे कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 10. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 11. व्यावृत्ति इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

क्रम सं	. पद का नाम		पदों की संख्या						कुल	
		डीआरएटी,	डीआरटी-1,	डीआरटी-	डीआरटी-	डीआरटी-	डीआरटी-	डीआरटी-	डीआरटी,	
		दिल्ली	चण्डीगढ़	2,	3,	1, दिल्ली	2, दिल्ली	3, दिल्ली	जयपुर	
				चण्डीगढ़	चण्डीगढ़					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	रजिस्ट्रार	1	1	1	1	1	0	1	1	7
2.	सहायक रजिस्ट्रार	0	1	1	1	1	1	1	1	7
3.	वसूली अधिकारी	0	2	2	2	2	2	2	2	14
4.	अनुभाग अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1	8
5.	निजी सचिव	1	1	1	1	1	1	1	1	8
6.	सहायक	2	4	4	4	4	4	4	4	30
7.	लेखा सहायक	0	1	1	1	1	1	1	1	7
8.	आशुलिपिक ग्रेड-1	1	2	2	2	2	2	2	2	15
9.	उच्च श्रेणी लिपिक	2	3	3	3	3	3	3	3	23
10.	आशुलिपिक ग्रेड-।।	1	1	0	1	1	1	1	1	7
11.	अवर श्रेणी लिपिक	2	4	4	4	4	4	4	4	30
12.	स्टाफ कार ड्राईवर	1	1	0	0	1	1	1	1	6
13.	बहु कार्य कर्मचारिवृंद	4	7	6	0	7	7	7	7	45

दूसरी अनुसूची (नियम 3 और 4 देखें)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	क्या चयन	सीधी भर्ती से आने वालों	सीधी भर्ती से आने वालों
			स्तर	अथवा गैर-	हेतु आयु-सीमा	हेतु शैक्षिक तथा अन्य
				चयन पद है		योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 रजिस्ट्रार	* 07 (2018)	समूह 'क'	स्तर 12 (78800-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	* कार्यभार के		209200 रुपए)			
	आधार पर परिवर्तन किया					
	पारवतन ।कया जासकताहै।					

सीधे भर्ती किए	परिवीक्षा	भर्ती की	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में
जाने वाले	की	पद्धति:	दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	समिति है, तो उसकी संरचना	किन
व्यक्तियों के लिए	^{ज्या} अवधि.	गर्छाता. भर्ती सीधे	आमेलन किया जाएगा	सामात ह, ता उसका सरचना	परिस्थितियों
विहित आयु और	,	होगी या	जाताराम मिना आदुसा		में संघ लोक
शैक्षिक अर्हताएं	यदि कोई	प्रोन्नति प्रोन्नति			सेवा आयोग
प्रोन्नत व्यक्तियों	हो	द्वारा या			से परामर्श
की दशा में लागू		प्रतिनियुक्ति			किया
होंगी या नहीं		पर या			जाएगा
		आमेलन			•

		T			Т
(8) लागू नहीं होता	(9) लागू नहीं होता	द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10) (i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसमें ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा	(11) प्रोज्जित: वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में सहायक रजिस्टार या वसूली अधिकारी जिसने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। टिप्पणी: जहां पर किनष्ट लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके विष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने किनष्ट व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता या पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	(12) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर वनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य 3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य चयन समिति (प्रतिनियुक्ति	(13) लागू नहीं होता
		(ii) 50% प्रतिनियुक्ति	विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता या पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अविध	2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य 3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य	
			अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 सहायक रजिस्ट्रार	* 07 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से	
अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 वसूली अधिकारी	* 14 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	सकता है।					

(8)	(9) (10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागूँ प्रतिनियुक्ति नहीं द्वारा होता	(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) स्तर 9 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) स्तर 8 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; या (iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो; या (ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी- (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करने वाले स्केल-IV अधिकारी; या (iii) पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में स्केल-III अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष सेवा की है। वांछनीय: विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) – सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकण), वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य 5. संयुक्त विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 अनुभाग अधिकारी	* 08 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू ८:	प्रोन्नति	प्रोन्नित:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति	लागू
होता	नहीं	द्वारा	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 में ऐसे		नहीं

होर	ता	जिसमें	सहायकों ने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।	समिति (प्रोन्नति पर विचार	होता
		सफल ना	टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा	करने के लिए) निम्नलिखित से	
		हो सकने	पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है,	मिलकर बनेगी:-	
		पर	उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी	1. अध्यक्ष, ऋण वसूली	
		प्रतिनियुक्ति	सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो	अपीलीय अधिकरण या	
		के आधार	वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने	पीठासीन अधिकारी ऋण	
		पर	कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी	वसूली अधिकरण – अध्यक्ष	
			कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा	2. सचिव या रजिस्ट्रार,	
			अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	ऋण वसूली अपीलीय	
			प्रविनियुक्तिः	अधिकरण या ऋण वसूली	
			केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयो या अधिकरणों	अधिकरण – सदस्य	
			के अंतर्गत अधिकारी	3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली	
				अधिकारी, ऋण वसूली	
			(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश	अधिकरण – सदस्य	
			पदधारण करता हो; या		
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-		
			112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य में नियमित आधार पर		
			इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।		
			बांछनीय:		
			विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव		
			टिप्पण 1: पोषक श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की		
			प्रत्यक्ष पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ		
			पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति		
			द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ के पात्र नहीं होंगे।		
			टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा		
			किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले		
			धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित		
			सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
			टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम		
			आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से		
			अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 निजी सचिव	* 08 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

लागू नहीं लागू प्रोन्नति प्रोन्नति: समृह 'ख	(12)	(13)
होता नहीं द्वारा जिसमें आशुलिपिक ग्रेड-। जिसने श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो। सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अविकरण प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों 3. सहायः अश्विकरणों उत्तरिकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों 3. सहायः अश्विकरणों उत्तरिकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों 3. सहायः अश्विकरणों उत्तरिकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों 3. सहायः विकार किया जाएगा वर्ष के से समिति (करने के विकार के विचार किया किया किया जाएगा वर्श के विकार के विचार किया जाएगा वर्श के विकार के अभीलीय पीठासीन वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने वस्ति आधिकरण अधिकरण अधिकरण अधिकरण अधिकरण अधिकरण अधिकरण अधिकरण अधिकरण अधिकरण कन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों 3. सहायः	' विभागीय प्रोन्नति (प्रोन्नति पर विचार लिए) निम्नलिखित से नेगी:- ग्रक्ष, ऋण वस्ली अधिकरण या अधिकारी ऋण धेकरण – अध्यक्ष या पंजीयक, वस्ली अपीलीय या ऋण वस्ली – सदस्य क पंजीयक या वस्ली	लागू नहीं होता

(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश
पदधारण करता हो; या
(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-
112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य आशुलिपिक ग्रेड में
नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात ग्रेड । में पांच वर्ष
की सेवा की हो।
वांछ्रनीय:
विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति
की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचार
किए जाने के तहत पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं
होंगे।
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा
किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले
धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्तिं की अवधि सहित
सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम
आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष
से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6 सहायक	* 30 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्निति प्राप्त लोगों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोज्ञति: वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां पर किनष्ट लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके विरष्ट लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने किनष्ट व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिचुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्र सरकार के इसी अथवा	समृह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकरण - अध्यक्ष 2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य 3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य	लागू नहीं

िकसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले 📗
धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्तिं की अवधि सहित
सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम
आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष
से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 लेखा	* 07 (2018)	समूह 'ख'	स्तर 6	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सहायक	* कार्यभार पर		(35400-112400 रुपए)	होता		
	परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी,-	लागू नहीं होता	लागू न	हीं
होता	होता	द्वारा	(क) (i) वर्तमान संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश		होता	
			पद धारित करने वाले; अथवा			
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-			
			81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी			
			नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो। (ख) जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समकक्ष			
			किन्द्रीय सरकार के किसी भी संस्थान से नकद और लेखा के काम का			
			प्रशिक्षण लिया हो।			
			टिप्पण: 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के			
			उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले			
			धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है			
			साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।			
			टिप्पण: 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा			
			आवेदन प्राप्त करने की तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8 आशुलिपिक	* 15 (2018)	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
ग्रेड।	* कार्यभार के		112400 रुपए)			
	आधार पर परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्निति व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोज्ञतिः वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में आशुलिपिक ग्रेड-2 जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण अथवा पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष 2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण अथवा ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य 3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य	लागू नहीं होता

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
प्रतिनियुक्तिः
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या
अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी
(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार
पर सदृश पदधारण करता हो; या
(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स
(25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य में
नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में
दस वर्ष की सेवा की हो।
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो
प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार
किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने
के पात्र नहीं होंगे।
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत
केन्द्रीय सरकार याँ उसी या किसी अन्य संगठन या
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम
तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9 उच्च श्रेणी	* 23 (2018)	समूह	स्तर 4 (25500-	अचयन	लागू नहीं होता	(i) किसी मान्यता प्राप्त
लिपिक	* कार्यभार के	'ग'	81100 रुपए)			विश्वविद्यालय से डिग्री या
	आधार पर					समतुल्य
	परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोक्तिः वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 में अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पणः जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिनुष्ठिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियक्ति के पश्चात अवर	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य	लागू नहीं होता

श्रेणी लिपिक जिसने आठ वर्ष सेवा की हो।	
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो	
प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार	
किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति	
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने	
के पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत	
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या	
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी	
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि	
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10 आशुलिपिक ग्रेड ।।	* 07 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 4 (25500- 81100 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा।	(i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उसके समतुल्य (ii) कौशल परीक्षण की शर्तें श्रूत लेख: 10 मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट प्रतिलेखन: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) (मैनुअल टाइपराइटिंग पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों; अथवा (ii) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए विहित आईता रखता हो।	लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 अवर श्रेणी लिपिक	* 30 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900- 63200 रुपए)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35
	जा सकता है।				(शब्द प्रति मिनट अथवा

	टिप्पण: आयु सीमा निर्धारण	हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट
	निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन	
	आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन	(35 शब्द प्रति मिनट तथा
	के अनुसार होगा (जहां भर्ती	30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक
	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा	शब्द के लिए औसत 5 कुंजी
	नहीं की जाती है, वहां आयु	दबावों के आधार पर प्रत्येक
	सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख	घंटा 10,500 कुंजी दबावों
	आवेदन की अंतिम तारीख के	
	अनुसार होगा)।	कुंजी दबावों के तदनुरूप हो)।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(o) 表i	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	(i) 50% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 50% विभागीय अर्हकता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोज्ञतिः बहु कार्य कर्मचारिवृंद में से व्यक्ति जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य हों या विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष होगी। टिप्पण 2: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक छूट दी जाएगी। टिप्पण 3: यदि खंड (ii) के अंतर्गत स्तंभ 10 के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसी अतिरक्त संख्या वाले कर्मचारियों तदनंतर वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने हेतु विचार किया जाएगा ताकि पूर्व में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो कि बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। प्रितियुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के कर्मचारिवृंद में से:- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) वेतन मैट्टिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनयुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य और 3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12 स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	* 06 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900- 63200 रुपए)	लागू नहीं	18 से 25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित	
					करने के लिए निर्णायक तारीख	वाडा पुरसा सा दूर गरन

भारत में अभ्यतियों से आवेवन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख वह होगी (न कि वह ऑतम तारीख वो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणोपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू. कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लहा कि कि रामी उप खंड, असमा और निकोबाद हीग तथा लक्षिण को स्थान से की जाती है, तो आयु सीमा 18- विवेक तुमार अनुमूचित जातियों और अनुमूचित जातियों और अनुमूचित जातियों और अनुमूचित जातियों के अभ्यर्थियों के विवेक तुमार अनुमूचित जातियों और अनुमूचित जातियों और अनुमूचित जातियों और अनुमूचित जातियों के अभ्यर्थियों की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित अनुमूचित जातियों के अभ्यर्थियों के विवेक तुमार अनुमूचित जातियों और अनुमूचित जातियों और अनुमूचित जातियों और अनुमूचित जातियों के अभ्यर्थियों के तिए अर्थिति अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्रतेश संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	1			, , 6
अंतिम तारीख जह होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, विपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्या जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निवास द्वीप तथा लक्षद्वीप के अर्थ्यर्थियों के तथा में उन कारणों के लिए जो सक्षम लक्षद्वीप के अर्थ्यर्थियों के तथा में उन कारणों के लिए जो सक्षम से की जाती है, तो आयु सीमा 18- 27 वर्ष के बीच होगी। 27 वर्ष के बीच होगी। अर्थित अर्थ्यर्थ के तथा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्रिक्षित की जा सकती है। स्टिप्प 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताए) उन कारणों के लिए जो सक्षम प्रविक्षारी के विक्षा में तथा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्रविक्षारी के विक्षा में तथा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्रविक्षारी के विक्षा में तथा में तथा में तथा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्रविक्षारी के विक्षा मुस्तिन जानजातियों के अरम्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राथिकारी के विक्षा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राथिकारी के व्या से तथा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राथिकारी के व्या से तथा है के उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों के पर्योस मेंख्या में उपलब्ध होने की संभावना उपलब्ध होने की संभावना				योग्य होना चाहिए);
वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, विपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्या जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अरुवर्थियों के लिए विहित की गई है)। * यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धांस्म परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18- 27 वर्ष के वीच होगी। का कम स कम 3 वर्ष को अनुभव, और सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवा सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवा सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवा सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवा सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवा सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की विवेक । उर्ज की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की जिल्ला सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल से का सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 4 कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष कि सिवल सिवल सिवल सिवल सिवल सिवल सिवल सिव				(iii) मोटर कार के लिए चालन
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणीपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्या जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) * यदि सीधि भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18- 27 वर्ष के वीच होगी। **27 वर्ष के वीच होगी। **28 के विच होगी। **39,443, आर (१) (10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहए। बाह्म वाहए। बाह्म वाहए। बाह्म वाहए। विवित स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा। दिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के दिक्षण 1: अर्हताएं, अन्यथा मुअर्हित अभ्यर्थियों के दिक्षण 1: अर्हताएं, अन्यथा मुअर्हित अभ्यर्थियों के त्राप्ता में उपलब्ध होने की संभावना				
मिजोरम, मिणपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जल कम से कम 3 वर्ष की सेवा प्रदेश के लाहोल और स्पीति जल कम से कम 3 वर्ष की सेवा टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्रविक्त की गई है)। * यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18- 27 वर्ष के बीच होगी। * यप के क्षा होल के पांगी उप खंड, अंक्सा प्रविक्त की जा सकती है। * यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित त्रमुक्त की मं न समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना				अनुभव; और
त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पानी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के तिए जो सक्षम से की जाती है, तो आयु सीमा 18- 27 वर्ष के बीच होगी। विहेत की गई है। विहत की गई होम गाई या सिविल स्वयंसेवक के रूप में कम में कम भाई है। विहत स्वार्ध के कम में अपिक की जा सकती है। विहत की गई हो। विहत की गई होम गाई या सिवल स्वयंसेवक के रूप में कम में कम में कम भाई हो। विह्निल स्वयंसेवक के रूप में कम में अहित हो। विह्निल स्वयंसेवक के रूप में कम में कम में कम में कम में अपिक सिवा। विला स्वयंसेवक के रूप में कम में अपिक से सम से विधी खुली पत्र हो। विह्निल सव्यंसेवक के रूप में कम में कम में कम में कम में कम में कम में अहित हो। विह्निल सव्यंसेवक के रूप में कम में कम में कम में कम में अहित हो। विह्निल सव्यंसेवक के रूप में कम में कम में कम में कम में अहित हो। विह्निल सव्यंभवियां के सम में सा से कम में अहित हो। विला स्वयंसेवक के रूप में सिवा। विह्निल सव्यंभवियां के कम में कम म			मघालय, अरुणाचल प्रदश,	(iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना
राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अध्यर्थियों के लिए जो सक्षम प्रिक्वित अभ्यर्थियों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार वित्ति की गई है)। * यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी। * यर्ष के लहाख खंड, हिमाचल तथा से कम अ वर्ष के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातात्यों और अनुसूचित जातात्यों और अनुसूचित जातात्यों के अध्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अध्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना				
प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा मुं अर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। र्याप 2: अनुभव संबंधी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18- 27 वर्ष के बीच होगी। राज्य के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अमुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना				
तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। * यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18- 27 वर्ष के बीच होगी। 27 वर्ष के बीच होगी। * यह साथी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18- विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना			राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल	
अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। * यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18- के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुस्चित जातियों और अनुस्चित जातियों और अनुस्चित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब बयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षिता/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना			प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले	
लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो सक्षम प्रिक्षकारी के विवेकानुसार विहित की गई है)। * यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी। 27 वर्ष के बीच होगी। * यदि भीधी भर्ती सीधी खुली प्रहिताएं) उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना			तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड,	
लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो सक्षम प्रिष्ठिकारी के विवेकानुसार विहित की गई है)। * यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18- 27 वर्ष के बीच होगी। 27 वर्ष के बीच होगी। 28 खुला (अहंताएं) उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के व्यथा के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना			अंडमान और निकोबार द्वीप तथा	
शिथिल की जा सकती है। शिथल				
प्रितस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18- 27 वर्ष के बीच होगी। 27 वर्ष के बीच होगी। 28 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना			विहित की गई है)।	
प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18- 27 वर्ष के बीच होगी। के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना			* यदि सीधी भर्ती सीधी खुली	_
से की जाती है, तो आयु सीमा 18- 27 वर्ष के बीच होगी। के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना			9	
27 वर्ष के बीच होगी। के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना				
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना				
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना			21 44 47 414 81411	क विवकानुसार अनुसूचित । जातियों और अनुमनित
दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना				
सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना				
प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना				
यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना				
आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना				
वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना				
वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना				लिए अपेक्षित अनुभव रखने
उपलब्ध होने की संभावना				वाले उन समुदायों के
नहीं है।				
				नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू	सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं
नहीं	से आने	तथा	ऋण वसूली अपील अधिकरण अथवा ऋण वसूली	(पृष्टि पर विचार करने के लिए) में	
होता	वाले अथवा	आमेलन	अधिकरणों के समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स (18000-	." निम्नलिखित शामिल होंगे:-	
	पुनर्नियोजन	जिसके ना	56900 रुपए) में स्तर 1 के उन नियमित कर्मचारियों		
	वालों हेतु	हो सकने	में से मोटर कार चलाने की क्षमता के आकलन हेतु	ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण –	
	दो वर्ष	पर सीधी	चालन परीक्षा के आधार पर जिनके पास विधिमान्य	। अध्यक्ष	
		भर्ती द्वारा	चालन अनुज्ञण्ति हो। इसमें सफल ना होने पर केन्द्रीय	2. पंजीयक या सचिव,	
			सरकार के अन्य मंत्रालयों में समूह 'ग' के वेतन	ऋण वसूली अधिकरण — सदस्य	
		सशस्त्र बलों	मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन	उ. वस्ली अधिकारी या सहायक	
		के कार्मिकों	नियमित कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित	पंजीयक, ऋण वसूली अधिकरण	
		हेतु;	आवश्यक अर्हताएं को पूरा करते हों।	="	
		प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति अथवा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए	– सदस्य	
		अथवा	पुनर्नियोजन:		
		पुनर्नियोजन	सशस्त्र बलों के वे कार्मिक जो कि सेवानिवृत्त होने वाले		
			हैं अथवा जिन्हें कि एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व		
			में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास		
			अपेक्षित अनुभव और विनिर्धारित अर्हताएं हैं, पर भी		
			विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख		
			तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा उस		
			तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है		
			तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा		
			सकता है।		
			टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के		

इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस	
नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर	
प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से	
अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
तारीख को छप्पेन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
13 बहु कार्य कर्मचारिवृंद	* 45 (2018) * कार्यभार के आधार पर	समूह 'ग'	स्तर 1 (18000- 56900 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई	मैट्रिकुलेशन समतुल्य	या
	परिवर्तन किया जा सकता है।				अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा,		
					सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंवा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान		
					और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।		

	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(1:	3)
तार् नहीं चयन अभिषारा चयन जिल्ला किस्प्राम्य प्राप्तात सामात (पुष्ट पर विचार करन के लिए) तिमू लिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रिजस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण — अध्यक्ष 2. रिजस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण — सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रिजस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण — सदस्य	लागू नहीं	दो वर्ष क च आ द्व	कर्मचारी वयन आयोग द्वारा सीधी	्राग् लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण –	लागू	∍) नहीं

तीसरी अनुसूची (नियम 5 देखें)

क्रम संख्या	पद	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार

चौथी अनुसूची (नियम 6 देखें)

क्रम संख्या	पद	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	केन्द्र सरकार (माननीय वित्त मंत्री)

3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील)
			नियम, 1965 में यथा उपबंधित

[फ़ा. सं. 5/2/2016- डीआरटी]

वी. वी. एस. खड़ायत, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2018

G.S.R. 537(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), and in supersession of-

- (1) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- (2) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- (3) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, (Court Master) Recruitment Rules, 2015;
- (4) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- (5) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi (Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2017;
- (6) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi (Stenographer Grade II), Recruitment Rules, 2017;
- (7) the Debts Recovery Tribunal, Delhi, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- (8) the Debts Recovery Tribunal, No.1, Delhi Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- (9) the Debts Recovery Tribunal-1, Delhi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- (10) the Debts Recovery Tribunal- I, Delhi (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- (11) the Debts Recovery Tribunal-1, Delhi (Stenographer Grade II), Recruitment Rules, 2017;
- (12) the Debts Recovery Tribunal, No. 2 Delhi Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts recruitment Rules, 2001;
- (13) the Debts Recovery Tribunal, No. II Delhi, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted), Recruitment Rules, 2002;
- (14) the Debts Recovery Tribunal-2, Delhi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- (15) the Debts Recovery Tribunal-II, Delhi (Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2017;
- (16) the Debts Recovery Tribunal-2, Delhi (Stenographer Grade II), Recruitment Rules, 2017;
- (17) the Debts Recovery Tribunal-III Delhi, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted), Recruitment Rules, 2002;
- (18) the Debts Recovery Tribunal-III, Delhi, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2003;
- (19) the Debts Recovery Tribunal-3, Delhi (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- (20) the Debts Recovery Tribunal-III, Delhi (Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2017;
- (21) the Debts Recovery Tribunal-3, Delhi (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- (22) the Debts Recovery Tribunal, Chandigarh, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- (23) the Debts Recovery Tribunal, Chandigarh, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- (24) the Debts Recovery Tribunal-1, Chandigarh (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- (25) the Debts Recovery Tribunal-I, Chandigarh (Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2017;
- (26) the Debts Recovery Tribunal-1, Chandigarh (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;

- (27) the Debts Recovery Tribunal-II, Chandigarh (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2009;
- (28) the Debts Recovery Tribunal-2, Chandigarh (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- (29) the Debts Recovery Tribunal-II, Chandigarh (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- (30) the Debts Recovery Tribunal-3, Chandigarh (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- (31) the Debts Recovery Tribunal-3, Chandigarh (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- (32) the Debts Recovery Tribunal, Jaipur (Group 'C and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- (33) the Debts Recovery Tribunal, Jaipur, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- (34) the Debts Recovery Tribunal, Jaipur (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- (35) the Debts Recovery Tribunal, Jaipur (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- (36) the Debts Recovery Tribunal, Jaipur (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017.

except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Group 'A', 'B' and 'C' in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, and, Debts Recovery Tribunal, Chandigarh-1, Debts Recovery Tribunal, Chandigarh-2, Debts Recovery Tribunal, Chandigarh-3, Debts Recovery Tribunal, Delhi-1, Debts Recovery Tribunal, Delhi-2, Debts Recovery Tribunal, Delhi-3, and Debts Recovery Tribunal, Jaipur, namely:-

- 1. **Short Title and Commencement**.- (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and Debts Recovery Tribunals at Chandigarh, Delhi and Jaipur Recruitment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Grade and strength.** The various grades and the number of posts in each grade in Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and each Debts Recovery Tribunal under its jurisdiction are as specified in the First Schedule annexed hereto.
- 3. **Number of post, classification and Level in the pay matrix**. The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Second Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related to the said post shall be specified in columns (5) to (13) of the Second Schedule.
- 5. **Appointing Authority**.- The Appointing Authority in respect of the post specified under column (2) of the Third Schedule shall be the authority specified in the corresponding entry under column (3) of the said Schedule.
- 6. **Disciplinary and Appellate Authorities.** The Disciplinary and Appellate Authorities shall be as specified in the Fourth Schedule attached hereto.
- 7. **Transfer**.- Every person appointed to the post in Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, and Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction is liable to be transferred within the jurisdiction of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi. Provided that an officer appointed on deputation basis or against encadred posts are not liable to be transferred.
- 8. **Seniority.** (1) A common seniority list shall be maintained for each grade for the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and all the Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction.
- 2. The seniority shall be fixed as per the orders issued by the Central Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training from time to time in this regard.
- 9. **Disqualifications**:- No person –
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

First Schedule (See Rule 2)

Serial Number	Name of the post Number of post							Total		
		DRAT, Delhi	DRT-1, Chandigarh	DRT-2, Chandigarh	DRT-3, Chandigarh	DRT-1, Delhi	DRT- 2, Delhi	DRT- 3, Delhi	DRT, Jaipur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Registrar	1	1	1	1	1	0	1	1	7
2.	Assistant Registrar	0	1	1	1	1	1	1	1	7
3.	Recovery Officer	0	2	2	2	2	2	2	2	14
4.	Section Officer	1	1	1	1	1	1	1	1	8
5.	Private Secretary	1	1	1	1	1	1	1	1	8
6.	Assistant	2	4	4	4	4	4	4	4	30
7.	Accounts Assistant	0	1	1	1	1	1	1	1	7
8.	Stenographer Grade-I	1	2	2	2	2	2	2	2	15
9.	Upper Division Clerk	2	3	3	3	3	3	3	3	23
10.	Stenographer Grade-II	1	1	0	1	1	1	1	1	7
11.	Lower Division Clerk	2	4	4	4	4	4	4	4	30
12	Staff Car Driver	1	1	0	0	1	1	1	1	6
13.	Multi- Tasking Staff	4	7	6	0	7	7	7	7	45

Second Schedule (See rule 3 and 4)

Name of	Number of	Classification.	Level in the	Whether selection	Age Limit for direct	Educational and
the post.	post.		pay matrix.	or non-selection	recruits.	other
				post.		qualifications
						required for
						direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	07* (2018)	Group 'A'.	Level 12	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Registrar.			(Rs.78800-			
	*Subject to		209200).			
	variation					
	dependent					
	on workload					

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstanc es in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
applicable.	applicable.	promotion failing which by deputation; (ii) 50% by deputation.	Assistant Registrar or Recovery Officer in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: (a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals; (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-	Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services -Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member; 3. Director, Department of Financial Services - Member. Selection Committee (for considering deputation) consisting of:— 1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services -Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member; 3. Director, Department of Financial Services	applicable .
			208700) or equivalent, in the parent cadre or department; or . (b) Officers of the public sector banks,— (i) olding analogous posts in scale V on a regular basis in the parent cadre or department; (ii) ith five years regular service in the post in scale IV in the parent cadre or department;	- Member; 4. Legal Adviser, Reserve Bank of India - Member.	

Desirable:
Experience in legal or judicial work.
Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age limit for
appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.Assistant	07* (2018)	Group 'A'.	Level 11	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Registrar.	*subject to		(Rs.67700-			
	variation		208700).			
	dependent					
	on					
	workload.					

(8) (9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Two applicable. years.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: (i) 75% from the Section Officers in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with seven years regular service in the grade; and (ii) 25% from the Private Secretaries in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with seven years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member; 3. Director or Deputy Secretary, (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member. Selection Committee (for considering deputation) consisting of :— 1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson;	Not applicable.

Deputation:

- (a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals.—
 - (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department; or
 - (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent; and
 - (iv)with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent;
- (b) Officers of the public sector banks,—
 - (i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) Scale III Officers with five years regular service in the post.

Desirable:

Experience in legal or judicial work. **Note1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of application.

- 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services)
 - Member;
- 3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services
 - Member;
- 4. Director or Deputy
 Secretary(Debts
 Recovery Tribunal),
 Department of Financial
 Services Member;
- 5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India
 - Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.Recovery Officer.	*subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs 67700- 208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
lot pplicable.	Not applicable.	By deputation.	(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department; or (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent, in the parent cadre or department; or (iv) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent, in the parent cadre or department; (b) Officers of the public sector banks,- (i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Scale III Officers with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post. Desirable: Degree in law or having legal experience. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.	Selection Committee (for considering deputation) consisting of:- 1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services - Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services - Member; 4. Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member; 5. Joint Legal Adviser	Not applicable.

	Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.Section	08	Group 'B'.	Level 7	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Officer.	* (2018)		(Rs.			
	*subject to		44900-			
	variation		142400).			
	dependent					
	on workload.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	Assistants in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals; (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department. Desirable: Experience in legal or judicial work. Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation in another ex-cadre post held immediately	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal -Chairperson; 2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member; 3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not applicable.

preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.Private Secretary.	08 * (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 7 (Rs. 44900- 142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

	T				1
(8) Not applicable.	(9) Not applicable.	(10) By promotion failing which by deputation.	Promotion: Stenographers Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation:	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson; 2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member; 3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not applicable.
			Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Stenographer Grade I in Level 6 in the pay matrix(Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department. Desirable: Experience in legal or judicial work. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be		

eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.Assistant.	30 * (2018) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs.35400- 112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Upper Division Clerks in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government or State Government or Courts or Tribunals,- (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson; 2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member; 3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not applicable.

regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department.	
Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on	
not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.Accounts Assistant.	07* (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400- 112400).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Officers under the Central Government, (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department; and (b) who have undergone training in cash and accounts work in Institute of Secretariat Training and Management or equivalent Institute of Central Government. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment	Not applicable.	Not applicable.
			on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of		

		appli	cations.			
	·	·				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.Stenographer	15* (2018)	Group 'B'.	Level 6	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Grade I.	*Subject to		(Rs.			

35400-112400).

variation dependent on workload.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Stenographers Grade II in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson; 2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member; 3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not applicable.
			Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department. Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the		

_	1		
		applications.	
		11	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
9. Upper Division Clerk.	23 * (2018) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 4 (Rs.25500- 81100).	Non-selection.	Not applicable.	Degree of recognized university equivalent.	a or

(0)	(0)	(10)	(11)	(12)	(12)
(8) Not applicable.	(9) Two years for direct recruitment. Nil for promotees.	(10) By promotion failing which by deputation.	Promotion: Lower Division Clerk in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal —Chairperson; 2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal —Member; 3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal —Member.	Not applicable.
			eligibility service. Deputation:		
			Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Lower Division Clerk with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent, in the parent cadre or department.		
			Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
			Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not		
			Note 3 : The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the		

	closing	ast	date	of	receipt	of
	application	s.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.Stenographer Grade II.	* 07 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 4 (Rs. 25500- 81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government Servant upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University; (ii) Skill Test Norms:- Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute Transcription: 65 minutes (English), 75 minutes (Hindi) (On Manual Typewriter) or 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (On Minutes (Hindi) (Minutes (Hindi) (
						Computer).

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (ii) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson; 2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member; 3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal - Member.	

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.Lower		30* (2018)	Group 'C'.	Level 2	Non-	Between 18 and 27	(i) 12 th class or equivalent
Division	Clerk.	* subject to		(Rs.	selection.	years. (Relaxable for	qualification from a
		variation		19900-		Government	recognised Board or
		dependent		63200.		Servants upto 40	University.
		on workload.				years in accordance	
						with the instructions	(ii) Typing speed of 35
						or orders issued by	words per minute in
						the Central	English or 30 words per
						Government).	minute in Hindi on

			computer.
		Note: The crucial	
		date for determining	(35 words per minute and
		the age limit shall be	30 words per minute
		as fixed by Staff	correspond to 10500 Key
		Selection	Depressions per Hour or
		Commission (where	9000 Key Depressions per
		recruitment is not	Hour on an average of 5
		through Staff	key depressions for each
		Selection	word)
		Commission, crucial	
		date for determining	
		the age-limit shall be	
		the last date for	
		receipt of	
		applications).	

Yes Two (i) 50% by direct recruit-timent through Staff Selection Commission. (ii) 50% by promotion on the on the basis of a departmental qualifying examination failing which by deputation: Note 2 Relaxable in case of the employees belonging to Scheduled Cate or Scheduled Tribe upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 3 If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) under column 10 qualified at the examination, such excess number of employees than the number of						
years for direct frecruits. tment through Staff Selection Commission. (ii) 50% by promotion on the on the basis of a departmental qualifying examination failing which by deputation. Note 2 Relaxable in case of the employees belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 3 If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) under column 10 qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.	(8)	(9)	\ /	\	` ′	` '
	Yes Tye di	wo (i) ears for irect ecruits.	50% by direct recruit- tment through Staff Selection Commission. 50% by promotion on the on the basis of a departmental qualifying examination failing	Promotion: From amongst Multi-Tasking Staff with three years regular service in the grade and who possess 12 th class pass or equivalent qualification, on the basis of a departmental qualifying examination. Note1 The maximum agelimit for appearing in the examination shall be forty five years. Note 2 Relaxable in case of the employees belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 3 If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) under column 10 qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of:- 1. Registrar or Secretary Debts Recovery AppellateTribunal - Chairperson; 2. Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member; 3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal	Not Applicable.

 		ı	
	or State Government or		
	Courts or Tribunals:-		
	a) (i) holding analogous post		
	on regular basis in the		
	parent cadre or		
	department; or		
	(ii) With three years regular		
	service in level-1 (Rs		
	18000-56900/) in the Pay		
	Matrix in the parent cadre		
	or department; and		
	b) Possessing educational		
	qualifications as		
	prescribed under column		
	(7) for direct recruits		
	Note1 The period of		
	deputation including the		
	period of deputation in		
	another ex-cadre post held		
	immediately preceding this		
	appointment in the same or		
	some other Organisation or		
	Department of Central		
	Government shall ordinarily		
	not exceed three years.		
	,		
	Note 2 The maximum age		
	limit for appointment by		
	deputation shall not exceed		
	fifty-six years as on date of		
	-		
	receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.Staff	06*	Group	Level 2	Not	Between 18 and 25* years	(i) Possession of a valid
Car	(2018)	'C'.	(Rs.19900-	applicable	(Relaxable for Government	driving licence for motor
Driver	*subject		63200).		Servants upto 40 years in	cars;
(Ordin	to				accordance with the	(ii) Knowledge of motor
ary	variation				instructions or orders issued by	mechanism (The candidate
Grade.	dependent				the Central Government).	should be able to remove
	on					minor-defects in vehicle);
	workload				Note 1: The crucial date for	(iii) Experience of driving a
					determining the age limit shall	motor car for at least 3
					be the closing date for receipt	years; and
					of application from candidates	(iv) Pass in 10 th standard.
					in India (and not the closing	Desirable: 3 years service
					date prescribed for those in	as Home Guard or Civil
					Assam, Meghalaya, Arunachal	Volunteers.
					Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent
					*If the direct recruitment is to	authority is of the opinion that

	ı						
		be	made	by	direct	open	sufficient number of candidates
		com	petitive	Exa	minatio	n, the	with requisite experience is not
		age	limit wo	ould b	e 18-27	years.	likely to be available to fill up
							the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years	Deputation	Deputation or absorption:	Group 'C' Departmental	Not
applicable.	for direct	or	From amongst regular Group 'C	Promotion Committee (for	applicable.
	recruits or	absorption	employees in Level 1 in the pay	y considering confirmation)	
	re-	failing	matrix (Rs 18000-56900) in Debt	s consisting of :-	
	employed.	which by	Recovery Appellate Tribunal or Debt	s 1.Registrar or Secretary,	
		direct	Recovery Tribunals who possess valid	d Debts Recovery Appellate	
		recruitment.	Driving License for Motor Cars on the	e Tribunal - Chairperson;	
		For Armed	basis of a Driving Test to assess the	e 2.Registrar or Secretary,	
		Forces	competence to drive Motor Car	s Debts Recovery Tribunal	
		Personnel:	failing which from amongst regula	r - Member;	
		Deputation	Group 'C' employees in Level 1 in the	e 3.Recovery Officer or	
		or re-	pay matrix (Rs. 18000-56900) in othe	r Assistant Registrar, Debts	
		employment.	Ministries of the Central Governmen	· ·	
			who fulfill the necessary qualification	s	
			as mentioned in column (7).		
			Deputation or re-employment for	r	
			Armed Forces Personnel:		
			The Armed Forces Personnel due to		
			retire or who are to be transferred to	0	
			reserve within a period of one yea	r	
			and having the requisite experience	e	
			and qualifications prescribed shall also	0	
			be considered. Such persons would be	e	
			given deputation terms upto the date	e	
			on which they are due for release from	n	
			the Armed Forces; therafter they may	y	
			be continued on re-employment.		
			Note 1: The period of deputation		
			including the period of deputation in		
			another ex-cadre post held		
			immediately preceding thi		
			appointment in the same or some		
			other Organisation or Department o		
			the Central Government shal	1	
			ordinarily not exceed three years.		
			Note 2: The maximum age limit fo	r	
			appointment on deputation shall be	e	
			not exceeding fifty-six years as or	n	
			the closing last date of receipt o	f	
			applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
13.Multi-	45* (2018)	Group 'C'.	Level 1	Not	Between 18 and 25 years.	Matriculation	or
Tasking	*subject to		(Rs.18000-	applicable.		equivalent.	
Staff.	variation		56900).		Note 1: The crucial date for		
	dependent				determining the age limit		
	on				shall be the closing date for		

workload.	receipt of application from	
	candidates in India (and not	
	the closing date prescribed	
	for those in Assam,	
	Meghalaya, Arunachal	
	Pradesh, Mizoram, Manipur,	
	Nagaland, Tripura, Sikkim,	
	Ladakh Division of Jammu	
	and Kashmir State, Lahaul	
	and Spiti district and Pangi	
	sub-division of Chamba	
	district of Himachal Pradesh,	
	Andaman and Nicobar	
	Islands and Lakshadweep).	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	By direct	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
applicable.	years.	recruitment		Committee (for considering	
		through Staff		confirmation) consisting of :-	
		Selection		1.Registrar or Secretary,	
		Commission.		Debts Recovery Appellate	
				Tribunal - Chairperson;	
				2.Registrar or Secretary,	
				Debts Recovery Tribunal - Member;	
				3.Recovery Officer or	
				Assistant Registrar, Debts	
				Recovery Tribunal - Member.	

Third Schedule (See Rule 5)

Serial Number	Post	Appointing Authority	
(1)	(2)	(3)	
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal	
3.	Group 'A'	Central Government	

Fourth Schedule (See Rule 6)

Serial Number	Post	Appointing Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate
			Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal	Central Government (Hon'ble Minister
			of Finance)
3.	Group 'A'	Central Government	As provided in Central Civil Services
			(Classification, Control and Appeal)
			Rules, 1965

[F.No. 5/2/2016-DRT]

V.V.S. KHARAYAT, Under Secy.

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2018

सा.का.नि. **538(अ)**.— केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित का अधिक्रांत करते हुए -

- (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001:
- (2) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (3) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता, (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015;
- (4) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (5) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (6) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (7) ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (৪) ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (9) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, हैदराबाद, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (10) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, हैदराबाद, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (11) ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद, (बह कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (12) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, हैदराबाद, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (13) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, हैदराबाद, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (14) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (15) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (16) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (17) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (18) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, (बह कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (19) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (20) ऋण वसूली अधिकरण, कोलकाता, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (21) ऋण वसूली अधिकरण नं.स 1, कोलकाता, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (22) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, कोलकाता, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (23) ऋण वसुली अधिकरण नं. 1, कोलकाता, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (24) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (25) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, कोलकाता, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (26) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, कोलकाता, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (27) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, कोलकाता, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (28) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, कोलकाता, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;

- (29) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003;
- (30) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, कोलकाता, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (31) ऋण वसली अधिकरण नं. 3, कोलकाता, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (32) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, कोलकाता, (आश्लिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (33) ऋण वसुली अधिकरण नं. 3, कोलकाता, (बह कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (34) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003;
- (35) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (36) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (37) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (38) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (39) ऋण वसुली अधिकरण, सिलीगुड़ी, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (40) ऋण वसूली अधिकरण, सिलीगुड़ी, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (41) ऋण वसूली अधिकरण, कटक, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (42) ऋण वसूली अधिकरण, कटक, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (43) ऋण वसूली अधिकरण, कटक, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (44) ऋण वसूली अधिकरण, कटक, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (45) ऋण वसूली अधिकरण, कटक, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;

केन्द्रीय सरकार, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता और ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद-1, ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद-2, ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, ऋण वसूली अधिकरण, कोलकाता-1, ऋण वसूली अधिकरण, कोलकाता-2, ऋण वसूली अधिकरण, कोलकाता-3, ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, ऋण वसूली अधिकरण, सिलीग़ड़ी और ऋण वसूली अधिकरण, कटक में समूह 'क', 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता और ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद, गृवाहाटी, कोलकाता, विशाखापट्टनम, सिलीगृड़ी और कटक भर्ती नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **ग्रेड और संख्या** ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता और उसके अधिकारिता के अंतर्गत प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण में विभिन्न ग्रेड और प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों की संख्या उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।
- 3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन से उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो दूसरी अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **नियुक्ति प्राधिकारी** तीसरी अनुसूची के स्तंभ (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) के अंतर्गत तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा।
- 6. **अपील प्राधिकारी** अनुशासनात्मक और अपील प्राधिकारी उपाबद्ध संलग्न चौथी अनुसुची में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- 7. **स्थानांतरण** ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता और उसके अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ऋण वसूली अधिकरणों में पद पर नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है। परन्तु प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा संवर्गीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
- 8. **ज्येष्ठता** (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता तथा उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी ऋण वसूली अधिकरणों के लिए प्रत्येक ग्रेड हेत् एक साझी वरिष्ठता सुची बनाई जाएगी।

(2) ज्येष्ठता का निर्धारण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के नियत किया जाएगा।

- 9. **निरर्हता** वह व्यक्ति:
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हे, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 10. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 11. **व्यावृत्ति** इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पहली अनुसूची (नियम 2 देखें)

					•	11144 2 4						
क्रम	पद का नाम					पदों '	की संख्या					कुल
सं.												
		डीआरएटी,	डीआरटी,	डीआरटी,	डीआरटी-	डीआरटी-	डीआरटी-	डीआरटी-	डीआरटी-	डीआरटी,	डीआरटी,	
		कोलकाता	कटक	गुवाहाटी	1,	2,	3,	1,	2,	सिलीगुड़ी	विशाखापट्टनम	
					कोलकाता	कोलकाता	कोलकाता	हैदराबाद	अहमदाबाद			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	रजिस्ट्रार	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2.	सहायक रजिस्ट्रार वसूली	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3.	वसूली अधिकारी	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
4.	अनुभाग अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
5.	निजी सचिव	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6.	सहायक	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
7.	लेखा सहायक	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8.	आशुलिपिक ग्रेड-1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
9.	उच्च श्रेणी लिपिक	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
10.	आशुलिपिक ग्रेड-⊟	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
11.	अवर श्रेणी लिपिक	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
12.	स्टाफ कार ड्राईवर	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8
13.	बहु कार्य कर्मचारिवृंद	4	7	7	7	7	7	7	0	0	7	53

दूसरी अनुसूची (नियम 3 और 4 देखें)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	क्या चयन	सीधी भर्ती से आने वालों	सीधी भर्ती से आने वालों
			स्तर	अथवा गैर-	हेतु आयु-सीमा	हेतु शैक्षिक तथा अन्य
				चयन पद है		योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. रजिस्ट्रार	* 10 (2018)	समूह 'क'	स्तर 12 (78800-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	* कार्यभार के		209200 रुपए)			
	आधार पर					
	परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8) लागू नहीं होता	(9) लागू नहीं होता	(10) (i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसमें ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोक्ततः वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में सहायक रजिस्टार या वसूली अधिकारी जिसने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। टिप्पणी: जहां पर किनष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके विरष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने किनष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता या पात्र तो सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिचुक्तिः (क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें अथवा न्यायालयों अथवा अभिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) जो विभाग के मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा (ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी,-	(12) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य 3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने हेतु) की संरचना निम्नानुसार है: 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य 3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं	(13) लागू नहीं होता

	favore warm
(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित सेवा के साथ	विभाग – सदस्य
आधार पर वेतनमान में V सदृश पदधारण करते हों;	4. विधिक सलाहकार,
(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतनमान ।V में पद	भारतीय रिजर्व बैंक – सदस्य
पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ;	
वांछनीय:	
विधिक अथवा न्यायायिक कार्य का अनुभव	
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी	
जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर	
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत	
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या	
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी	
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि	
साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक रजिस्ट्रार	* 09 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसमें ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोक्तिः (i) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में अनुभाग अधिकारियों से 75%; और (ii) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में निजी सचिवों से 25%। टिप्पणः जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कियछ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितियुक्तिः (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारण करता हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के अतिरिक्त मूल संवर्ग या विभाग में या उसके समान पद में स्तर 9 में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर हो; या	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग — अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकरण (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाए) — सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग — सदस्य चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग — अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय	लाम् ^र ीर न रहे

(iii) वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) के स्तर 8 या	सेवाएं विभाग द्वारा नामित
समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर	किया जाए) – सदस्य
इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की हो;	3. निदेशक या उप सचिव,
(iv) वेतन मैट्टिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या	वित्तीय सेवाएं विभाग 🕒
	सदस्य
समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो।	4. निदेशक या उप सचिव,
। (ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-	(ऋण वसूली अधिकरण),
	वित्तीय सेवाएं विभाग –
(i) स्केल-IV के अधिकारी जो मूल संवर्ग या विभाग में	सदस्य
नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों;	
(ii) स्केल-।।। के अधिकारी जिसने पद में पांच वर्ष	5 संयुक्त विधिक सलाहकार,
नियमित सेवा की हो।	भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य
बांछनीय:	
विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव	
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि	
प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के	
विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए	
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा	
किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले	
धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित	
सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
हिष्यण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम	
आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करा आधार पर नियुक्ति हतु आधकतम	
अधिक नहीं होगी।	
जावस गहा हागा।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. वसूली अधिकारी	* 18 (2018) * कार्यभार के आधार	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	पर परिवर्तन किया जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू - 0 :	प्रतिनियुक्ति	(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या	चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर	लागू ————————————————————————————————————
होता	नृहीं	द्वारा	अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी	विचार करने के लिए)	नहीं
	होता		(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -	
			पदधारण करता हो; या	1. संयुक्त सचिव,	
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-	(ऋण वसूली अधिकरण),	
			167800 रुपए) स्तर 9 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद में	वित्तीय सेवाएं विभाग –	
			नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष	अध्यक्ष	
			की सेवा की हो; या	2. पीठासीन अधिकारी,	
				ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय	
			(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-	सेवाएं विभाग द्वारा नामित	
			151100 रुपए) स्तर 8 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद	किया जाए) – सदस्य	
			पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; या	3. निदेशक या उप सचिव,	
			(iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-	वित्तीय सेवाएं विभाग –	
			142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद	सदस्य	
			पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो; या	4. निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकण), वित्तीय	
			(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-	वसूली अधिकण), वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य	
			(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश	सवाए विभाग - सदस्य 5. संयुक्त विधिक सलाहकार,	
			पदधारण करने वाले स्केल-।V अधिकारी; या) अस्युक्त ।यावक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य	

(ii) पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात	
श्रेणी में स्केल-।।। अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष सेवा की है।	
वांछनीय:	
विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव	
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा	
किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले	
धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित	
सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम	
आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से	
अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. अनुभाग अधिकारी	* 10 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू	प्रोन्नति	प्रोन्नति:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति	लागू
होता	नहीं	द्वारा	वेतन मैट्टिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 में ऐसे	समिति (प्रोन्नति पर विचार	नहीं
	होता	जिसमें	सहायकों ने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।	करने के लिए) निम्नलिखित से	होता
		सफल ना	टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा	मिलकर बनेगी:-	
		हो सकने	पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है,	1. अध्यक्ष, ऋण वसूली	
		पर	उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी	अपीलीय अधिकरण या	
		प्रतिनियुक्ति	सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो	पीठासीन अधिकारी ऋण	
		के आधार	वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने	वसूली अधिकरण – अध्यक्ष	
		पर	कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी	ू 2. सचिव या रजिस्ट्रार,	
			कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा	ऋण वसूली अपीलीय	
			अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	अधिकरण या ऋण वसूली	
			प्रतिनियुक्ति:	अधिकरण – सदस्य	
			केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयो या अधिकरणों	3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली	
			के अंतर्गत अधिकारी	अधिकारी, ऋण वसूली	
			(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश	अधिकरण – सदस्य	
			पदधारण करता हो; या		
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-		
			112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य में नियमित आधार पर		
			इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।		
			वांछनीय:		
			विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव		
			टिप्पण 1; पोषक श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की		
			प्रत्यक्ष पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ		
			पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति		
			द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ के पात्र नहीं होंगे।		
			टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा		
			किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले		
			धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित		
			सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम		
			ाटपण 3: प्रातानयुक्ति के आधार पर नियुक्ति हतु आधकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से		
			्रजायु-सामा जापदन प्राप्त करन का जातम ।ताच का छुल्पन पप स - अधिक नहीं होगी।		
<u> </u>	<u> </u>	1	- and to the form		1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. निजी	* 10 (2018)	समूह 'ख'	स्तर 7	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सचिव	* कार्यभार के आधार		(44900-142400 रुपए)			
	पर परिवर्तन किया जा					
	सकता है।					

(8)	(9) (10)	(11)	(12)	(13)
(8) लागू नहीं होता	(9) (10) लागू प्रोन्निति नहीं द्वारा होता जिसमें सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोक्तिः वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) के स्तर 6 में ऐसा आशुलिपिक ग्रेड-। जिसने श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण: जहां पर किनष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने किनष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितेनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400- 112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य आशुलिपिक ग्रेड में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात ग्रेड । में पांच वर्ष की सेवा की हो। वाखनीयः विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचार किए जाने के तहत पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(12) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समित (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष 2. सचिव या पंजीयक, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य 3. सहायक पंजीयक या वसूली अधिकरण – सदस्य	(13) लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. सहायक	* 38 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9) (10)	(8) (9)	(11)	(12)	(13)
(8) लागू नहीं होता	न्निति प्रोन्निति ।प्त द्वारा ोगोंके जिसके रेएदो सफल ना	गू नहीं प्रोन्नति	प्रोक्तिः वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां पर किष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके विष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने किष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रविनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्च पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष	(12) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष 2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य 3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली अधिकरण – सदस्य	(13) लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. लेखा सहायक	* 09 (2018) * कार्यभार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
लागू न	हीं लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी,-	लागू नहीं होता	लागू न	हीं
होता	होता	द्वारा	(क) (i) वर्तमान संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश		होता	
			पद धारित करने वाले; अथवा			
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100			
			रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी			
			नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।			
			(ख) जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समकक्ष			
			केन्द्रीय सरकार के किसी भी संस्थान से नकद और लेखा के काम का			
			प्रशिक्षण लिया हो।			
			टिप्पण: 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के			
			उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले			
			धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है			
			साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।			

	टिप्पण: 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. आशुलिपिक	* 19 (2018)	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
ग्रेड।	* कार्यभार के		112400 रुपए)			
	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(1:	3)
लागू	प्रोन्नति	प्रोन्नति	प्रोन्नति:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू	नहीं
नहीं	व्यक्तियों	द्वारा	वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में	(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	होता	
होता	के लिए	जिसके ना	आशुलिपिक ग्रेड-2 जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-		
	दो वर्ष	हो सकने	सेवा की हो।	1. अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय		
		पर प्रतिनियुक्ति	टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा	्र अधिकरण अथवा पीठासीन अधिकारी,		
		प्रातानयुक्त द्वारा	अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर	ऋण वसूली अधिकरण – अध्यक्ष		
		α(\ (विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी	2. सचिव या रजिस्ट्रार,		
			विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित	ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण अथवा		
			अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष,	ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य		
			इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने	3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली		
			अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा	अधिकारी,		
			पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड	ऋण वसूली अधिकरण 🔷 सदस्य		
			में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर			
			ली हो।			
			प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या			
			कन्द्राय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालया या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी			
			(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार			
			पर सदृश पदधारण करता हो; या			
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स			
			(ा) मूल सवर्गवा विमाग में वर्तन माट्टक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या			
			(25500-51100 रवए) न स्तर 4 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी			
			नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष की सेवा			
			की हो।			
			टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो			
			प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार			
			किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त			
			व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने			
			के पात्र नहीं होंगे।			
			टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत			
			केन्द्रीय सरकार या उसी या किसी अन्य संगठन या			
			विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी			
			अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।			
			साबारणतथा तान वेष से आबक नहा हागा। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए			
			अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम			
			तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. उच्च श्रेणी	* 29 (2018)	समूह	स्तर 4 (25500-	अचयन	लागू नहीं होता	(i) किसी मान्यता प्राप्त
लिपिक	* कार्यभार के	'ग'	81100 रुपए)			विश्वविद्यालय से डिग्री या
	आधार पर					समतुल्य
	परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू	सीधी	प्रोन्नति	प्रोष्ठि:	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं
न्हीं	भर्ती हेतु	द्वारा	वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 में	(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	होता
होता	दो वर्ष	जिसके ना	अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	
	प्रोन्नत	हो सकने	सेवा की हो।	1. रजिस्ट्रार या सचिव,	
	व्यक्तियों के लिए	पर प्रतिनियुक्ति	टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर	ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण –	
	भ ।लए शून्य	त्रातानपुरक द्वारा	विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी	अध्यक्ष	
	1,6	& (∖(विचार किया जा रहा ह, उनक वारष्ठ लागा पर मा	2. रजिस्ट्रार या सचिव,	
			अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष,	ऋण वसूली अधिकरण 🔑 सदस्य	
				3. वसूली अधिकारी या सहायक	
			इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने	रजिस्ट्रार,	
			अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा	ऋण वसूली अधिकरण 🕒 सदस्य	
			पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड		
			में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर		
			ली हो।		
			प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या		
			कन्द्राय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालया या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी		
			(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार		
			पर सदृश पदधारण करता हो; या		
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स		
			(19900-63200 रुपए) में स्तर 2 या समतुल्य		
			नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात अवर श्रेणी लिपिक जिसने आठ वर्ष सेवा की हो।		
			त्रणा लिपका जसने आठ वेष सवा का हा। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो		
			प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार		
			किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति		
			व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
			कपात्र नहाहागा टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत		
			केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या		
			विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी		
			अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि		
			साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
			टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए		
			अधिकतम् आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम		
			तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. आशुलिपिक ग्रेड ।।	* 10 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 4 (25500- 81100 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उसके समतल्य

	टिप्पण : आयु सीमा	प्रतिलेखन:
	निर्धारण निर्णायक	65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट
	तारीख कर्मचारी चयन	(हिन्दी) (मैनुअल टाइपराइटिंग
		पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी),
	होगा।	्र 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों; अथवा (ii) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए विहित आईता रखता हो।	लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. अवर श्रेणी लिपिक	* 38 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900- 63200 रुपए)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती है, वहां आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख आवेदन की अंतिम तारीख के अनुसार होगा)।	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गित (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दवावों के आधार पर प्रत्येक घंटा 10,500 कुंजी दवावों अथवा प्रत्येक घंटा 9000 कुंजी दवावों के तदनुरूप हो)।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
हां	सीधी	(i) 50%	प्रोन्नति:	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति		नहीं
	भर्ती हेतु	कर्मचारी	बहु कार्य कर्मचारिवृंद में से व्यक्ति जिन्होंने 12वीं कक्षा	(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	होता	
	दो वर्ष	चयन	उत्तीर्ण या समतुल्य हों या विभागीय अर्हक परीक्षा के	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-		
		आयोग के	आधार पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।	1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली		
		माध्यम से	टिप्पण 1: परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम	अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष		
		सीधी भर्ती	आयु सीमा पैंतालीस वर्ष होगी। टिप्पण 2 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा	2. रजिस्ट्रार या सचिव,		
		द्वारा;	ाटप्पण z: कन्द्राय सरकार द्वारा जारा अनुदशा अथवा आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति या अनुसूचित	ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य		
		(ii) 50%	जनजाति से संबंधित कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष	और		
		विभागीय	तक छुट दी जाएगी।	3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली		
		अर्हकता के		अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण –		
		आधार पर	उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे	सदस्य		
		प्रोन्नति	कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसी			

द्वारा उसमें अतिरिक्त संख्या वाले कर्मचारियों तदनंतर वर्षों में होने	
असफल वाली रिक्तियों को भरने हेतु विचार किया जाएगा	
होने पर तािक पूर्व में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर	
प्रतिनियुक्ति उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो कि	
द्वारा बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।	
प्रतिनियुक्तिः	
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या	
अधिकरणों के कर्मचारिवृंद में से:-	
(क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार	
पर सदृश पदधारण करता हो; या	
(ii) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1	
में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और	
(ख) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ	
(7) के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों	
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के	
इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस	
नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद	
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन	
वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	* 08 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900- 63200 रुपए)	नागू नहीं	18 से 25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1: अगु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख वह होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। * यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।	(i) मोटर कार के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञा-पत्र होना चाहिए; (ii) मोटर रचना तंत्र की जानकारी (आवेदक वाहन की छोटी त्रुटियों को दूर करने योग्य होना चाहिए); (iii) मोटर कार के लिए चालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव; और (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वांस्नीय: होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए

	आरक्षित/रिक्तियों को भरने के
	लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के
	अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
	उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(0)	(0)	(40)	(1.1)	(10)	(4.5)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू	सीधी भर्ती	9	प्रतिनियुक्ति तथा वामेलनः	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं
न्हीं	से आने	तथा	ऋण वसूली अपील अधिकरण अथवा ऋण वसूली	(पुष्टि पर विचार करने के लिए) में	
होता	वाले अथवा	आमेलन	अधिकरणों के समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स (18000-	निम्नलिखित शामिल होंगे:-	
	पुनर्नियोजन <u>ेः</u>	जिसके ना	56900 रुपए) में स्तर 1 के उन नियमित कर्मचारियों	1. पंजीयक या सचिव,	
	वालों हेतु	हो सकने	में से मोटर कार चलाने की क्षमता के आकलन हेतु	ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण –	
	दो वर्ष	पर सीधी	चालन परीक्षा के आधार पर जिनके पास विधिमान्य	अध्यक्ष	
		भर्ती द्वारा	चालन अनुज्ञण्ति हो। इसमें सफल ना होने पर केन्द्रीय	2. पंजीयक या सचिव,	
			सरकार के अन्य मंत्रालयों में समूह 'ग' के वेतन	ऋण वसूली अधिकरण — सदस्य	
		सशस्त्र बलों	मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन	ऋण पसूला आधकारण — संदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक	
		के कार्मिकों	नियमित कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित	**	
		हेतु;	आवश्यक अर्हताएं को पूरा करते हों।	पंजीयक, ऋण वसूली अधिकरण ——	
		प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति अथवा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए	– सदस्य	
		अथवा	पुनर्नियोजन:		
		पुनर्नियोजन	संशस्त्र बलों के वे कार्मिक जो कि सेवानिवृत्त होने वाले		
			हैं अथवा जिन्हें कि एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व		
			में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास		
			अपेक्षित अनुभव और विनिर्धारित अर्हताएं हैं, पर भी		
			विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख		
			तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा उस		
			तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है		
			तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा		
			सकता है।		
			टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के		
			इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस		
			नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर		
			प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से		
			अधिक नहीं होगी।		
			टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए		
			अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम		
			तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
13. बहु कार्य कर्मचारिवृंद	* 53 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 1 (18000- 56900 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंवा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	मैट्रिकुलेशन समतुल्य	या

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण - सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली निम्नले अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य	2, 2

तीसरी अनुसूची (नियम 5 देखें)

क्रम संख्या	पद	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार

चौथी अनुसूची (नियम 6 देखें)

क्रम संख्या	पद	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	केन्द्र सरकार (माननीय वित्त मंत्री)
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील)
			नियम, 1965 में यथा उपबंधित

[फा. सं. 5/2/2016- डीआरटी] वीवीएस खड़ायत, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2018

G.S.R. 538(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), and in supersession of-

- 1) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata, Groups 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 2) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;

- 3) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata (Court Master) Recruitment Rules, 2015;
- 4) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 5) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata (Stenographer Grade-II) Recruitment Rules, 2017;
- 6) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 7) the Debts Recovery Tribunal, Hyderabad Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 8) the Debts Recovery Tribunal, Hyderabad, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002.
- 9) the Debts Recovery Tribunal-I, Hyderabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 10) the Debts Recovery Tribunal-I, Hyderabad (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 11) the Debts Recovery Tribunal, Hyderabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 12) the Debts Recovery Tribunal-2, Hyderabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 13) the Debts Recovery Tribunal-2, Hyderabad (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 14) the Debts Recovery Tribunal, Guwahati, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 15) the Debts Recovery Tribunal, Guwahati, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998:
- 16) the Debts Recovery Tribunal, Guwahati (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 17) the Debts Recovery Tribunal, Guwahati (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 18) the Debts Recovery Tribunal, Guwahati (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 19) the Debts Recovery Tribunal, No.1, Kolkata, Groups 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 20) the Debts Recovery Tribunal, Calcutta, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998:
- 21) the Debts Recovery Tribunal-I, Kolkata (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 22) the Debts Recovery Tribunal-1, Kolkata (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 23) the Debts Recovery Tribunal-1, Kolkata (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 24) the Debts Recovery Tribunal, No.2 Kolkata Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 25) the Debts Recovery Tribunal-II, Kolkata (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002:
- 26) the Debts Recovery Tribunal-II, Kolkata (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 27) the Debts Recovery Tribunal-2, Kolkata (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 28) the Debts Recovery Tribunal-2, Kolkata (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 29) the Debts Recovery Tribunal- III, Kolkata Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2003;
- 30) the Debts Recovery Tribunal- III Kolkata (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002:
- 31) the Debts Recovery Tribunal-III, Kolkata (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 32) the Debts Recovery Tribunal-3, Kolkata (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 33) the Debts Recovery Tribunal-3, Kolkata (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 34) the Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2003;
- 35) the Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam (Group 'C' and 'D' posts)(Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 36) the Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 37) the Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 38) the Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 39) the Debts Recovery Tribunal, Siliguri (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017,
- 40) the Debts Recovery Tribunal, Siliguri (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;

- 41) the Debts Recovery Tribunal, Cuttack, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 42) the Debts Recovery Tribunal, Cuttack, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002:
- 43) the Debts Recovery Tribunal, Cuttack (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 44) the Debts Recovery Tribunal, Cuttack (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 45) the Debts Recovery Tribunal, Cuttack (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016.

except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Group 'A', 'B' and 'C' in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata, and, Debts Recovery Tribunal, Hyderabad-1, Debts Recovery Tribunal, Hyderabad-2, Debts Recovery Tribunal, Guwahati, Debts Recovery Tribunal, Kolkata-1, Debts Recovery Tribunal, Kolkata-2, Debts Recovery Tribunal, Kolkata-3, Debts Recovery Tribunal, Visakhapatnam, Debts Recovery Tribunal, Siliguri and Debts Recovery Tribunal, Cuttack, namely:-

- 1. **Short Title and Commencement**.- (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and Debts Recovery Tribunals at Hyderabad, Guwahati, Kolkata, Visakhapatnam, Siliguri and Cuttack Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Grade and strength.** The various grades and the number of posts in each grade in Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and each Debts Recovery Tribunal under its jurisdiction are as specified in the First Schedule annexed hereto.
- 3. **Number of post, classification and Level in the pay matrix.** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Second Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related to the said post shall be specified in columns (5) to (13) of the Second Schedule.
- 5. **Appointing Authority**.- The Appointing Authority in respect of the post specified under column (2) of the Third Schedule shall be the authority specified in the corresponding entry under column (3) of the said Schedule.
- 6. **Disciplinary and Appellate Authorities.** The Disciplinary and Appellate Authorities shall be as specified in the Fourth Schedule attached hereto.
- 7. **Transfer.** Every person appointed to the post in Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata, and Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction is liable to be transferred within the jurisdiction of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata. Provided that an officer appointed on deputation basis or against encadred posts are not liable to be transferred.
- 8. **Seniority.** (1) A common seniority list shall be maintained for each grade for the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and all the Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction.
- (2) The seniority shall be fixed as per the orders issued by the Central Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training from time to time in this regard.
- 9. **Disqualifications:** No person –
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 10. **Power to relax** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 11. **Saving** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

First Schedule (See Rule 2)

Serial Number	Name of the post				Numl	per of post						Total
		DRAT, Kolkata	DRT Cuttack	DRT Guwahati	DRT-1 Kolkata	DRT-2 Kolkata	DRT-3 Kolkata	DRT- 1 Hyderabad	DRT-2 Hyderabad	DRT Siliguri	DRT Vishakhapatnam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Registrar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2.	Assistant Registrar	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3.	Recovery Officer	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
4.	Section Officer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
5.	Private Secretary	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6.	Assistant	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
7.	Accounts Assistant	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8.	Stenographer Grade-1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
9.	Upper Division Clerk	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
10.	Stenographer Grade-II	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
11.	Lower Division Clerk	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
12.	Staff Car Driver	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8
13.	Multi- Tasking Staff	4	7	7	7	7	7	7	0	0	7	53

Second Schedule (See rule 3 and 4)

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age Limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Registrar.	10* (2018) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'.	Level 12 (Rs.78800- 209200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation , if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	(i) 50% by promotion failing which by deputation; (ii) 50% by deputation.	Promotion: Assistant Registrar or Recovery Officer in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: (a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals; (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent, in the parent cadre or department; or (b) Officers of the public sector banks,- (i) holding analogous posts in scale V on a regular basis in the parent cadre or department; (ii) with five years regular service in the post in scale IV in the parent cadre or department; Desirable: Experience in legal or judicial work. Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The period of deputation in another exceading fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.	Departmental Promotion Committee (for considering promo-tion) consisting of:- 1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services -Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member; 3. Director, Department of Financial Services - Member. Selection Committee (for considering deputation) consisting of:- 1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services -Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member; 3. Director, Department of Financial Services - Member; 4. Legal Adviser, Reserve Bank of India -Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.Assistant Registrar.	99* (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs.67700- 208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(8) Not applicable.	(9) Two years.	By promotion failing which by deputation.	(i) 75% from the Section Officers in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with seven years regular service in the grade; and (ii) 25% from the Private Secretaries in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with seven years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: (a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department; or (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent; and (iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent; and	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services -Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member; 3. Director or Deputy Secretary, (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member. Selection Committee (for considering deputation) consisting of:- 1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services - Member; 4. Director or Deputy Secretary(Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member; 5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India - Member.	(13) Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(iv)with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent;		
			(b) Officers of the public sector banks,- (i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;or		
			(ii) Scale III Officers with five years regular service in the post.		
			Desirable: Experience in legal or judicial work. Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this		
			appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.Recovery Officer.	*subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs 67700- 208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department; or	Selection Committee (for considering deputation) consisting of:- 1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services - Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services - Member; 4. Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial	Not applicable.

	(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent, in the parent cadre or department; or (iv) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent, in the parent cadre or department;	Services - Member; 5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India - Member.	
	(b) Officers of the public sector banks,- (i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;or (ii) Scale III Officers with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post. Desirable: Degree in law or having legal experience. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.Section	10* (2018)	Group 'B'.	Level 7	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Officer.		_	(Rs.			
	*subject to		44900-			
	variation		142400).			
	dependent					
	on workload.					

(8) Not applicable.	(9) Not applicable.	(10) By promotion failing which by deputation.	Promotion: Assistants in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal -Chairperson; 2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate	Not applicable.
---------------------------	---------------------------	--	---	--	-----------------

., , ., ., .	Tribunal or Debts Recovery	
considered provided they are not short	Tribunal - Member;	
of the requisite qualifying or eligibility	3 . Assistant Registrar or	
service by more than half of such	Recovery Officer, Debts	
qualifying or eligibility service or two	Recovery Tribunal - Member.	
years, whichever is less, and have		
successfully completed probation		
period for promotion to the next higher		
grade along with their juniors who have		
already completed such qualifying or		
eligibility service.		
Deputation:		
Off and the Control Community		
Officers under the Central Government or State Governments or Courts or		
Tribunals;		
,,		
(i) holding analogous post on a		
regular basis in the parent cadre or		
department; or (ii) with five years regular service in		
the grade rendered after		
appointment thereto on a regular		
basis in Level 6 in the pay matrix		
(Rs. 35400-112400) or equivalent,		
in the parent cadre or department.		
Desirable: Experience in legal or judicial work.		
Note1: The departmental officers in the		
feeder category who are in the direct		
line of promotion shall not be eligible		
for consideration for appointment on		
deputation. Similarly, the deputationists		
shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
Tot appointment by promotion.		
Note 2: The period of deputation		
including the period of deputation in		
another ex-cadre post held immediately		
preceding this appointment in the same		
or some other Organisation or Department of the Central Government		
shall ordinarily not exceed three years.		
Note 3: The maximum age limit for		
appointment on deputation shall be not		
exceeding fifty-six years as on the		
closing last date of receipt of		
applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.Private	10 * (2018)	Group 'B'.	Level 7	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Secretary.		_	(Rs.			
	*subject to		44900-			
	variation		142400).			
	dependent					
	on workload.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Stenographers Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal — Chairperson; 2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal — Member; 3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal — Member.	Not applicable.

would seniors also considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-

(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Stenographer Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent, in the parent cadre or department.

Desirable:

Experience in legal or judicial work

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)
6.Assistant.	38 * (2018)	Group 'B'.		Level 6	Selection.	Not applicable.	Not a	pplicable.
	*0.1			(Rs.35400-				
	*Subject to variation			112400).				
	dependent							
	on							
	workload.	1				T		T
(8)	(9)	(10)		(11)	(12)		(13)
Not	Two years	By promotion Promotion: Group 'B' Departmental Promo				Not applicable.		
applicable.	for promotees.	failing which by deputation.	Up	ner Division (Clerks in Level 4 in	Committee (for considerin consisting of :-	g promotion)	
	F	by acputation.			(Rs. 25500-81100)			
				•	egular service in the	1. Chairperson, Debts Reco		
			gra	de.		Appellate Tribunal or Pre Officer, Debts Recovery	esiaing	
			Not	e: Where i	uniors who have	Tribunal - C	Chairperson;	
				pleted their		2. Secretary or Registrar,		
			_	ibility serv sidered for	rice are being promotion, their	Debts Recovery Appellat Tribunal or Debts Recover		
					also be considered	Tribunal	- Member;	
					e not short of the	3 . Assistant Registrar or		
					ring or eligibility than half of such	Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal	-Member.	
					bility service or two			
					is less, and have			
				cessfully cor od for prom	mpleted probation notion to the next			
			ĥigl	ner grade alon	g with their juniors			
					ly completed such			
			qua	lifying or eligi	bility service.			
			Dep	outation:				
			Gov	vernment or Surts or Tribuna	tate Government or			
			(i)	holding ar	nalogous post on a			
			(ii	cadre or de	partment; or years service in the rendered after			
				appointmen regular bas	nt thereto on a sis in Level 4 in the			
					(Rs. 25500-81100) lent, in the parent			
				cadre or de				
			NI n.4	o1. The deci-	entmontal officers in			
					rtmental officers in ory who are in the			
			dire	ct line of pro	motion shall not be			
					consideration for eputation. Similarly,			
					shall not be eligible			
			for		for appointment by			
			•		eriod of deputation			
			inc	luding the peri	iod of deputation in			
				other <i>ex-cae</i> nediately	dre post held preceding this			
			app	ointment in	the same or some			
			oth the		on or Department of Government shall			
					eed three years.			
			Not	e 3: The max	timum age limit for			
					deputation shall be y-six years as on the			
					te of receipt of			
			app	lications.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Accounts Assistant.	%subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400- 112400).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Officers under the Central Government, (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department; and (b) who have undergone training in cash and accounts work in Institute of Secretariat Training and Management or equivalent Institute of Central Government. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of applications.	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stenographer	19* (2018)	Group 'B'.	Level 6	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Grade I.		_	(Rs. 35400-			
	*Subject to		112400).			
	variation					
	dependent					
	on					
	workload.					

(8) Not	(9) Two years	(10) By	(11) Promotion:	Group 'B' Departmental Promotion	(13) Not
applicable.	for promotees.	promotion failing which by deputation.	Stenographers Grade II in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation:	Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal — Chairperson; 2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal — Member; 3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal — Member.	applicable.

Officers under the Central	
Government or State Governments or	
Courts or Tribunals,-	
Courts of Thousans,	
(i) holding analogous post on regular	
basis in the parent cadre or	
department; or	
(ii) with ten years service in the	
grade rendered after appointment	
thereto on a regular basis in level	
4 in the pay matrix (Rs. 25500-	
81100) or equivalent, in the parent	
cadre or department.	
Note 1: The departmental officers in	
the feeder category who are in the	
direct line of promotion shall not be	
eligible for consideration for	
appointment on deputation.	
Similarly, the deputationists shall not	
be eligible for consideration for	
appointment by promotion.	
appointment by promotion.	
Note 2: The period of deputation	
including the period of deputation in	
immediately preceding this	
appointment in the same or some	
other Organisation or department of	
the Central Government shall	
ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum age limit for	
appointment on deputation shall be	
not exceeding fifty-six years as on the	
closing last date of receipt of	
applications.	
Tr	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Upper Division Clerk.	29 * (2018) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level 4 (Rs.25500- 81100).	Non-selection.	Not applicable.	Degree of a recognized university or equivalent.

(8)	(9)	(10)		(11)			(12)		(13)
Not	Two years	By	Note1: The	lepartmental off	cers in	Group 'C	' Departmental	Promotion	Not applicable.
applicable.	for direct	promotion		tegory who are			(for considering	promotion)	
	recruitment.	failing which		promotion shall		consisting of	i:—		
	Nil for	by	U	consideration		4.5	a .		
	promotees.	deputation.	appointment		utation.	1.Registrar o			
				deputationists si for considerati		Tribunal	overy Appellate	nairperson;	
			appointment b		011 101	Titounai	— C	ian person,	
			ирропинен	y promotion.		2.Registrar o	or Secretary.		
			Note 2: The	period of dep	utation		overy Tribunal —	Member;	
				period of dep			•		
			in another	ex-cadre pos		3.Recovery	Officer or		
			immediately	1 0	this		Registrar, Debts		
				in the same o		Recovery '	l'ribunal —	Member.	
				sation or departs Government					
				exceed three ye					
			ordinarity no	exceed times ye	ars.				
			Note 3: The	maximum age li	mit for				
				on deputation s					
				g fifty-six years					
			_	ast date of rec	eipt of				
	<u> </u>		applications.						
(1	-/	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	7 (:) 10th	(7)
10. Stenograph	ner	*10 (2018)	Group	Level 4	Not app	oncable.	Between 18 and 2	(1) 12	class pass or

Creade II		'C'.	(D. 25500		anninglant from a
Grade II.		С.	(Rs. 25500-	years	equivalent from a
	*Subject to		81100).		recognized Board or
	variation			(Relaxable for	University;
	dependent on			Government Servant	
	workload.			upto 40 years in	(ii) Skill Test Norms:—
				accordance with	
				instructions or orders	Dictation:
				issued by the Central	10 minutes @ 80
				Government).	words per minute
				Note: The crucial	Transcription:
				date for determining	65 minutes
				the age limit shall be	(English), 75
				as advertised by the	minutes (Hindi)
				Staff Selection	(On Manual
				Commission.	Typewriter) or 50
					minutes (English),
					65 minutes (Hindi)
					(On Computer).

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through	Not	Group 'C' Departmental Promotion	Not Applicable
		Staff Selection Commission.	applicable.	Committee (for considering confirmation)	
				consisting of :—	
		Note: Vacancies caused by the			
		incumbent being away on		1.Registrar or Secretary,	
		deputation or long illness or		Debts Recovery Appellate Tribunal — Chairperson:	
		study leave or under other circumstances for a duration of		Tribunal — Chairperson;	
		one year or more may be filled		2.Registrar or Secretary,	
		on deputation basis from the		Debts Recovery Tribunal — Member;	
		officers of the Central			
		Government,-		3.Recovery Officer or	
				Assistant Registrar, Debts	
		(a) (i) holding		Recovery Tribunal — Member.	
		analogous posts on			
		regular basis in the			
		parent cadre or			
		department; and (ii) possessing the			
		qualifications			
		prescribed for direct			
		recruits under			
		column (7).			
		commi (7).			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Lower	38* (2018)	Group 'C'.	Level 2	Non-	Between 18 and 27	(i) 12 th class or equivalent qualification
Division			(Rs.	selection.	years. (Relaxable for	from a recognised Board or
Clerk.	* subject to		19900-		Government Servants	University.
	variation		63200.		upto 40 years in	
	dependent				accordance with the	(ii) Typing speed of 35 words per
	on				instructions or orders	minute in English or 30 words per
	workload.				issued by the Central	minute in Hindi on computer.
					Government).	_
					·	(35 words per minute and 30 words
					Note: The crucial date	per minute correspond to 10500 Key
					for determining the age	Depressions per Hour or 9000 Key
					limit shall be as fixed	Depressions per Hour on an average of
					by Staff Selection	5 key depressions for each word)
					Commission (where	• •
					recruitment is not	
					through Staff Selection	
					Commission, crucial	
					date for determining	
					the age-limit shall be	
					the last date for receipt	
					of applications).	

(8) (9) (10) (11)	(12) (13)
-------------------	-----------

Yes	Two years	(i) 50% by direct recruitment	Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion	Not
168	for direct recruits.	through Staff Selection Commission.	From amongst Multi- Tasking Staff with	Committee (for promotion or confirmation) consisting of :—	Applicable.
		(ii) 50% by promotion on the on the basis of a	three years regular service in the grade and who possess 12th	Registrar or Secretary Debts Recovery AppellateTribunal — Chairperson;	
		departmental qualifying examination failing which by deputation.	class pass or equivalent qualification, on the	Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal — Member;	
		by department.	basis of a departmental qualifying examination.	Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal — Member.	
			Note 1 The maximum age-limit for appearing in the examination shall be forty five years.		
			Note 2 Relaxable in case of the employees belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe upto		
			five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central		
			Note 3 If more of		
			such employees than the number of vacancies available		
			under clause (ii) under column 10 qualified at the examination, such		
			excess number of employees shall be considered for filling		
			the vacancies arising in the subsequent years so that the		
			employees qualifying at an earlier examination are		
			considered before those who qualify at a later examination.		
			Deputation:—		
			From amongst staff of Central or State Government or		
			Courts or Tribunals:—		
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
			(ii) With three years regular service in		
			level-1 (Rs 18000-56900/) in the Pay Matrix in		
			the parent cadre or department; and		
			(b) Possessing educational qualifications as		

massached under
prescribed under
column (7) for
direct recruits
Note1 The period of
deputation including
the period of
deputation in another
ex-cadre post held
immediately
preceding this
appointment in the
same or some other
Organisation or
Department of Central
Government shall
ordinarily not exceed
three years.
Note 2 The
maximum age limit
for appointment by
deputation shall not
exceed fifty-six years
as on date of receipt
of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 12.Staff Car Driver (Ordin ary Grade)	(2) 08* (2018) *subject to variation dependent on workload	(3) Group 'C'.	(4) Level 2 (Rs.19900- 63200).	Not applicable.	Between 18 and 25* years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(i) Possession of a valid driving licence for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years; and (iv) Pass in 10 th standard. Desirable: 3 years service as Home Guard or Civil Volunteers. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates
					*If the direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation or absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces	Deputation or absorption: From amongst regular Group 'C' employees in Level 1 in the pay matrix (Rs 18000-56900) in Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunals who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from amongst regular Group 'C' employees	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:— 1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal — Chairperson;	Not applicable.

	Personnel:	in Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-	2.Registrar or Secretary,	
		56900) in other Ministries of the	2.Registral of Secretary,	
	Deputation or	Central Government who fulfill the	Debts Recovery Tribunal — Member;	
	re-employment.			
		necessary qualifications as mentioned in		
		column (7).	3.Recovery Officer or	
		Deputation or re-employment for		
		Armed Forces Personnel:	Assistant Registrar, Debts	
			Recovery Tribunal — Member.	
		The Armed Forces Personnel due to		
		retire or who are to be transferred to		
		reserve within a period of one year and		
		having the requisite experience and		
		qualifications prescribed shall also be		
		considered. Such persons would be		
		given deputation terms upto the date on		
		which they are due for release from the		
		Armed Forces; therafter they may be		
		continued on re-employment.		
		Note 1: The period of deputation		
		including the period of deputation in		
		another <i>ex-cadre</i> post held		
		immediately preceding this		
		appointment in the same or some other		
		Organisation or Department of the		
		Central Government shall ordinarily		
		not exceed three years.		
		·		
		Note 2: The maximum age limit for		
		appointment on deputation shall be not		
		exceeding fifty-six years as on the		
		closing last date of receipt of		
		applications.		
		<u> </u>	I I	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Multi- Tasking	53* (2018)	Group 'C'.	Level 1 (Rs.18000-	Not applicable.	Between 18 and 25 years.	Matriculation or equivalent.
Tasking Staff.	*subject to variation dependent on workload.		(Rs.18000- 56900).		Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi subdivision of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and	
					Lakshadweep).	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: — 1.Registrar or Secretary,	Not applicable.
				Debts Recovery Appellate Tribunal — Chairperson;	
				2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal — Member;	
				3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal — Member.	

Third Schedule (See Rule 5)

Serial Number	Post	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
3.	Group 'A'	Central Government

Fourth Schedule (See Rule 6)

Serial Number	Post	Appointing Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal	Central Government (Hon'ble Minister of Finance)
3.	Group 'A'	Central Government	As provided in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965

[F. No. 5/2/2016-DRT] V.V.S KHARAYAT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2018

सा.का.नि. 539(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित का अधिक्रांत करते हुए —

- (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (2) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (3) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई, (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015;
- (4) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (5) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (6) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (7) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (8) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (9) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (10) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (11) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (12) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (13) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, मुम्बई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (14) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, मुम्बई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (15) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, मुम्बई, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (16) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, मुम्बई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (17) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (18) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, मुम्बई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (19) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, मुम्बई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (20) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, मुम्बई, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (21) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, मुम्बई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (22) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (23) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, मुम्बई, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (24) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, मुम्बई, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (25) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, मुम्बई, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (26) ऋण वसूली अधिकरण नं. 3, मुम्बई, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (27) ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;

- (28) ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1998;
- (29) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, अहमदाबाद, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (30) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, अहमदाबाद, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (31) ऋण वसूली अधिकरण नं. 1, अहमदाबाद, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (32) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, अहमदाबाद, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2009;
- (33) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, अहमदाबाद, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (34) ऋण वसूली अधिकरण नं. 2, अहमदाबाद, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (35) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003;
- (36) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (37) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (38) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (39) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;
- (40) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001;
- (41) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002;
- (42) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017;
- (43) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2017;
- (44) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2016;

केन्द्रीय सरकार, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व िकया गया है, या करने का लोप िकया गया है, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, ऋण वसूली अधिकरण, मुम्बई-1, ऋण वसूली अधिकरण, मुम्बई-2, ऋण वसूली अधिकरण, मुम्बई-3, ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद-1, ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद-2, ऋण वसूली अधिकरण, पुणे और ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर में समूह 'क', 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर भर्ती नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **ग्रेड और संख्या** ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई और उसके अधिकारिता के अंतर्गत प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण में विभिन्न ग्रेड और प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों की संख्या उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।
- 3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन से उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो दूसरी अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **नियुक्ति प्राधिकारी** तीसरी अनुसूची के स्तंभ (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) के अंतर्गत तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा।

- 6. **अपील प्राधिकारी** अनुशासनात्मक और अपील प्राधिकारी उपाबद्ध संलग्न चौथी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- 7. **स्थानांतरण** ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई और उसके अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ऋण वस्ली अधिकरणों में पद पर नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है बशर्ते प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा संवर्गीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
 - 8. **ज्येष्ठता** (1) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई तथा उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी ऋण वसूली अधिकरणों के लिए प्रत्येक ग्रेड हेत् एक साझी वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी।
- (2) ज्येष्ठता का निर्धारण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के नियत किया जाएगा।

9. **निरर्हता -** वह व्यक्ति:

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 10. **शिथिल करने की शक्ति** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 11. व्यावृत्ति इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पहली अनुसूची

(नियम 2 देखें)

क्रम सं.	पद का नाम				पदों व	की संख्या					कुल
		डीआरएटी,	डीआरटी-∣,	डीआरटी-॥,	डीआरटी,	डीआरटी-	डीआरटी-	डीआरटी-	डीआरटी,	डीआरटी,	
		मुम्बई	अहमदाबाद	अहमदाबाद	औरंगाबाद	1, मुम्बई	2, मुम्बई	3, मुम्बई	नागपुर	पुणे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	रजिस्ट्रार	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
2.	सहायक रजिस्ट्रार	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
3.	वसूली अधिकारी	0	2	2	2	2	2	2	2	2	16
4.	अनुभाग अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
5.	निजी सचिव	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
6.	सहायक	2	4	4	4	4	4	4	4	4	34
7.	लेखा सहायक	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
8.	आशुलिपिक ग्रेड-1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17
9.	उच्च श्रेणी लिपिक	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26
10.	आशुलिपिक ग्रेड-॥	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8
11.	अवर श्रेणी	2	4	4	4	4	4	4	4	4	34

	लिपिक										
12.	स्टाफ कार ड्राईवर	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8
13.	बहु कार्य कर्मचारिवृंद	4	7	5	7	7	7	7	7	6	57

दूसरी अनुसूची

(नियम 3 और 4 देखें)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-	सीधी भर्ती से आने वालों हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती से आने वालों हेतु शैक्षिक तथा अन्य
				चयन पद है		योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 रजिस्ट्रार	* 09 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 12 (78800- 209200 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले वाले वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्निति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 50% प्रोन्नित द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोक्तति: वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में सहायक रजिस्टार या वसूली अधिकारी जिसने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। टिप्पणी: जहां पर किनष्ट लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने किनष्ट व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता या पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिचुक्तिः (क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें अथवा न्यायालयों अथवा अभिकरणों के अंतर्गत अधिकारी	विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए) निम्निलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य 3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य चयन समिति (प्रतिनियुक्ति	लागू नहीं होता।

(i) जो विभाग के मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा (ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी,- (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित सेवा के साथ आधार पर वेतनमान में V सदृश पदधारण करते हों; (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतनमान IV में पद पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ; वांख्रनीय: विधिक अथवा न्यायायिक कार्य का अनुभव टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	पर विचार करने हेतु) की संरचना निम्नानुसार है: 1. संयुक्त सचिव, (ऋण वसूली अधिकरण), वित्तीय सेवाएं विभाग – अध्यक्ष 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, (वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य 3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य 4. विधिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक – सदस्य
	· ·
साथ आधार पर वेतनमान में V सदृश पदधारण	नामित किया जाएगा) –
करते हों;	
(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतनमान IV में पद	3. निदेशक, वित्तीय सेवाएं
पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ;	विभाग – सदस्य
T	4. विधिक सलाहकार,
	भारतीय रिजर्व बैंक – सदस्य
•	
ानयुक्ति के लिए विचार किए जाने के पत्रि नहां होगी इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत	
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या	
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि	
जिन्य कांडर बाह्य पद पर प्रातानवाक्त का जयाव साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के	
लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की	
अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 सहायक रजिस्ट्रार	* 08 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति:	विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू
होता		जिसके ना	(i) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन	(प्रोन्नति पर विचार करने के	नहीं
		हो सकने पर	मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में अनुभाग	लिए) में निम्नलिखित से	होता।
		प्रतिनियुक्ति	्र अधिकारियों से 75%; और	मिलकर बनेगी:-	
		द्वारा	(ii) श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन	1. संयुक्त सचिव,	
			्ति) अर्था में सात पर्य का नियानत सर्या के साथ पत्ती मैट्टिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 में निजी सचिवों से	(ऋण वसूली अधिकरण),	
				वित्तीय सेवाएं विभाग –	
			25%1	अध्यक्ष	
			टिप्पण: जहां पर किनष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा	्र 2. पीठासीन अधिकारी,	
			पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है,	· ·	
			उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी	ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय	
			सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो	सेवाएं विभाग द्वारा नामित	
			वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने	किया जाए) – सदस्य	
			कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी	3. निदेशक या उप सचिव,	
			कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा	(ऋण वसूली अधिकरण),	

अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	वित्तीय सेवाएं विभाग –
प्रतिनियुक्तिः	सदस्य
(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या	चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर
अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी	विचार करने के लिए)
(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान	निम्नलिखित से मिलकर
पदधारण करता हो; या	बनेगी:-
(ii) वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) में नियुक्ति	1. संयुक्त सचिव,
के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के अतिरिक्त मूल	(ऋण वसूली अधिकरण),
संवर्ग या विभाग में या उसके समान पद में स्तर 9 में अनुभाग	वित्तीय सेवाएं विभाग –
अधिकारी के पद में नियमित आधार पर हो; या	अध्यक्ष
(iii) वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) के स्तर 8	2. पीठासीन अधिकारी,
या समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद में नियमित आधार पर	ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय
इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की हो;	सेवाएं विभाग द्वारा नामित
(iv) वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर 7 या	किया जाए) – सदस्य
समतुल्य में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी	3. निदेशक या उप सचिव,
में सात वर्ष की सेवा की हो।	वित्तीय सेवाएं विभाग –
(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-	सदस्य
(i) स्केल-।V के अधिकारी जो मूल संवर्ग या विभाग में	4. निदेशक या उप सचिव,
नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों;	(ऋण वसूली अधिकरण),
(ii) स्केल-Ⅲ के अधिकारी जिसने पद में पांच वर्ष	वित्तीय सेवाएं विभाग –
नियमित सेवा की हो।	सदस्य
वांछनीय:	5 संयुक्त विधिक सलाहकार,
विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव	भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति	नारसाय रिशय अयम् - सप्रस्य
के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए	
9 .	
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी	
अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से	
एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
दिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम	
आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से	
अधिक नहीं होगी।	
	<u> </u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 वसूली अधिकारी	* 16 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(0)	(=)	()	4	(1.5)	()
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू	प्रतिनियुक्ति	(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या	चयन समिति (प्रतिनियुक्ति पर	लागू
होता	नहीं	द्वारा	अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी	विचार करने के लिए)	नहीं ।
	होता		(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	
			पदधारण करता हो; या	1. संयुक्त सचिव,	
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-	(ऋण वसूली अधिकरण),	
			्र 167800 रुपए) स्तर 9 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद में	वित्तीय सेवाएं विभाग –	
			नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष	अध्यक्ष	
			=	2. पीठासीन अधिकारी,	
			की सेवा की हो; या	ऋण वसूली अधिकरण (वित्तीय	
			(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-	सेवाएं विभाग द्वारा नामित	
			151100 रुपए) स्तर 8 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद	किया जाए) – सदस्य	

पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; या	3. निदेशक या उप सचिव,
(iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-	वित्तीय सेवाएं विभाग –
142400 रुपए) में स्तर 7 या समतुल्य अनुभाग अधिकारी के पद	सदस्य
पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो; या	4. निदेशक या उप सचिव (ऋण
(ख) पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अधिकारी-	वसूली अधिकण), वित्तीय
(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश	सेवाएं विभाग - सदस्य
पदधारण करने वाले स्केल-IV अधिकारी; या	5. संयुक्त विधिक सलाहकार,
(ii) पद में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात	भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य
 श्रेणी में स्केल-।।। अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष सेवा की है।	
वांछनीय:	
विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव	
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा	
किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले	
धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित	
सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम	
आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
जावक गहा हागा।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 अनुभाग	* 09 (2018)	समूह 'ख'	स्तर 7	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
अधिकारी	* कार्यभार के आधार		(44900-142400 रुपए)			
	पर परिवर्तन किया जा					
	सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू	प्रोन्नति	प्रोन्नति:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति	लागू
होता	नहीं े	द्वारा	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 में ऐसे	समिति (प्रोन्नति पर विचार	नहीं
	होता	जिस में	सहायकों ने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।	करने के लिए) निम्नलिखित से	होता ।
		सफल ना	टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा	मिलकर बनेगी:-	
		हो सकने	पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है,	1. अध्यक्ष, ऋण वसूली	
		पर	उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी	अपीलीय अधिकरण या	
		प्रतिनियुक्ति	सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो	पीठासीन अधिकारी ऋण	
		के आधार पर	वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने	वसूली अधिकरण – अध्यक्ष	
		। पर	कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी	2. सचिव या रजिस्ट्रार,	
			कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा	ऋण वसूली अपीलीय	
			अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	अधिकरण या ऋण वसूली	
			प्रतिनियुक्ति:	अधिकरण – सदस्य	
			केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयो या अधिकरणों	3. सहायक रजिस्ट्रार या वसूली	
			के अंतर्गत अधिकारी	अधिकारी, ऋण वसूली	
			(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश	अधिकरण – सदस्य	
			पदधारण करता हो; या		
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-		
			112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य में नियमित आधार पर		
			इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।		
			वांछनीय:		
			विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव		
			टिप्पण 1: पोषक श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की		
			प्रत्यक्ष पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचारार्थ		
			पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति		
			द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ के पात्र नहीं होंगे।		

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा
किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले
धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित
सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम
आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से
अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 निजी सचिव	* 09 (2018)	समूह 'ख'	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा		(14300 142400 (15)			
	सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नित द्वारा जिसमें सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोक्तिः वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) के स्तर 6 में ऐसा आशुलिपिक ग्रेड-। जिसने श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण: जहां पर किनष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके विरष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वर्शतें कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने किष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिनेयुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 या समतुल्य आशुलिपिक ग्रेड में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात ग्रेड । में पांच वर्ष की सेवा की हो। वाखनीयः विधिक या न्यायिक कार्य में अनुभव टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के विचार किए जाने के तहत पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अध्यक्ष, ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकरण - अध्यक्ष 2. सचिव या पंजीयक, ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण या ऋण वस्ली अधिकरण - सदस्य 3. सहायक पंजीयक या वस्ली अधिकारी, ऋण वस्ली अधिकारी, ऋण वस्ली अधिकरण - सदस्य सहायक पंजीयक या वस्ली अधिकारी, ऋण वस्ली अधिकरण - सदस्य	लाम् नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6 सहायक	* 34 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्निति प्राप्त लोगों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके सफल ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोचित: वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिचित्रक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(12) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समित (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. अध्यक्ष, ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण या पीठासीन अधिकारी ऋण वस्ली अधिकरण – अध्यक्ष 2. सचिव या रिजस्ट्रार, ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण वा ऋण वस्ली अधिकरण – सदस्य 3. सहायक रिजस्ट्रार या वस्ली अधिकरण – सदस्य	ला म्र [्] न हीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 लेखा	* 08 (2018)	समूह 'ख'	स्तर 6	लागू	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सहायक	* कार्यभार पर		(35400-112400 रुपए)	होता			
	परिवर्तन किया						
	जा सकता है।						

(8)	(9)	(10)	(11)	(1:	2)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी,—		नहीं	लागू नहीं
होता	होता	द्वारा	(क) (i) वर्तमान संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद	होता		होता ।
			धारित करने वाले; अथवा			
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100			
			रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति			
			के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।			
			(ख) जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा समकक्ष केन्द्रीय			
			सरकार के किसी भी संस्थान से नकद और लेखा के काम का प्रशिक्षण लिया हो।			
			टिप्पण: 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या			
			किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य			
			काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक			
			नहीं होगी।			
			टिप्पण: 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन			
			प्राप्त करने की तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।			

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	आशुलिपिक	* 17 (2018)	समूह 'ख'	स्तर 6 (35400-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
ग्रेड		* कार्यभार के		112400 रुपए)			
		आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नित द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोक्कतिः वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर 4 में आशुलिपिक ग्रेड-2 जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पणः जहां पर किनष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी विचार किया जाएगा वशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अपने किनष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिगुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500- 81100 रुपए) में स्तर 4 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के अधार पर नियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. अध्यक्ष, ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण अथवा पीठासीन अधिकारी, ऋण वस्ली अधिकरण – अध्यक्ष 2. सचिव या रजिस्ट्रार, ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण अथवा ऋण वस्ली अधिकरण – सदस्य 3. सहायक रजिस्ट्रार या वस्ली अधिकारी, ऋण वस्ली अधिकरण – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9 उच्च श्रेणी	* 26 (2018)	समूह	स्तर 4 (25500-	अचयन	लागू नहीं	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
लिपिक	* कार्यभार के आधार पर	'ग'	81100 रुपए)		होता	से डिग्री या समतुल्य
	परिवर्तन किया जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर 2 में अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता

				,
	प्रोन्नत	हो सकने	सेवा की हो।	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—
	व्यक्तियों	पर	टिप्पण: जहां पर कनिष्ठ लोगों जिन्होंने अर्हक अथवा	1. रजिस्ट्रार या सचिव,
	के लिए	प्रतिनियुक्ति	अर्हता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति पर	ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण –
	शून्य	द्वारा	विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ लोगों पर भी	ऋण वसूला अपालाय आधकरण
			विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित	
			अर्हकता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष,	2. रजिस्ट्रार या सचिव,
			इनमें से जो कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने	ऋण वसूली अधिकरण - सदस्य
				3. वसूली अधिकारी या सहायक
			अपने कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसे अर्हकता/पात्र सेवा	रजिस्ट्रार,
			पहले से ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड	ऋण वसूली अधिकरण — सदस्य
			में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर	
			ली हो।	
			प्रतिनियुक्तिः	
			केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या	
			अधिकरणों के अंतर्गत अधिकारी	
			(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश	
			पदधारण करता हो; या	
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (19900-	
			63200 रुपए) में स्तर 2 या समतुल्य नियमित आधार	
			पर इसकी नियुक्ति के पश्चात अवर श्रेणी लिपिक जिसने	
			आठ वर्ष सेवा की हो।	
			टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो	
			प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर विचार	
			किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति	
			व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने	
			के पात्र नहीं होंगे।	
			टिप्पण 2: प्रतिनिय्क्ति की अवधि जिसके अंतर्गत	
1			केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या	
			विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी	
			अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि	
			साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
			टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए	
			अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
			तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

10 आशुलिपिक ग्रेड ।।	* 08 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 4 (25500- 81100 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा।	(i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उसके समतुल्य (ii) कौशल परीक्षण की शर्तें श्रूत लेख: 10 मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट प्रतिलेखन: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) (मैनुअल
						मिनट (हिन्दी) (मैनुअल टाइपराइटिंग पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य	लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—	लागू नहीं होता

परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों; अथवा (ii) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए विहित आईता रखता हो।	1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य 3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य
---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 अवर श्रेणी लिपिक	* 34 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर 2 (19900- 63200 रुपए)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती है, वहां आयु सीमा निर्धारण निर्णायक तारीख आवेदन की अंतिम तारीख के अनुसार होगा)।	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गित (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दवावों के आधार पर प्रत्येक घंटा 10,500 कुंजी दवावों अथवा प्रत्येक घंटा 9000 कुंजी दवावों के तदनुरूप हो)।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	;)
हां ·	(9) सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	(10) (i) 50% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 50% विभागीय अर्हकता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उसमें असफल	(11) प्रोम्नि: बहु कार्य कर्मचारिवृंद में से व्यक्ति जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य हों या विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष होगी। टिप्पण 2: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक छूट दी जाएगी। टिप्पण 3: यदि खंड (ii) के अंतर्गत स्तंभ 10 के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसी अतिरिक्त संख्या वाले कर्मचारियों तदनंतर वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने हेतु विचार किया जाएगा	(12) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण – अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वस्ली अधिकरण – सदस्य और 3. सहायक रजिस्ट्रार या वस्ली अधिकारी, ऋण वस्ली अधिकरण – सदस्य		3) नहीं
		प्रतिनियुक्ति द्वारा	उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो कि बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। प्रितिनुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें या न्यायालयों या अधिकरणों के कर्मचारिवृंद में से:— (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करता हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ			

T	
(7) के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों	
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के	
इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस	
नियुक्ति से एकदम पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद	
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन	
वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

चालक * (साधारण आध श्रेणी) परि	(2) 08(2018) कार्यभार के आधार पर रिवर्तन किया	(3) समूह 'ग'	(4) स्तर 2 (19900- 63200 रुपए)	(5) लागू नहीं	(6) 18 से 25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	(7) (i) मोटर कार के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञा-पत्र होना चाहिए; (ii) मोटर रचना तंत्र की
चालक * (साधारण आध श्रेणी) परि	कार्यभार के आधार पर ारिवर्तन किया	समूह 'ग'			सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष	मान्य चालन अनुज्ञा-पत्र होना चाहिए; (ii) मोटर रचना तंत्र की
(साधारण श्रेणी) अाध परि	गधार पर ारिवर्तन किया		63200 रुपए)	नहीं	अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष	चाहिए; (ii) मोटर रचना तंत्र की
					टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख वह होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। * यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।	जानकारी (आवेदक वाहन की छोटी वृटियों को दूर करने योग्य होना चाहिए); (iii) मोटर कार के लिए चालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव; और (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वांखनीय: होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अपुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों कै अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित/रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू	सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति तथा आमेलन:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं
लागू नहीं होता	से आने	तथा	ऋण वसूली अपील अधिकरण अथवा ऋण वसूली	(पष्टि पर विचार करने के लिए) में	
होता	वाले अथवा	आमलन	अधिकरणों के समूह 'ग' के वेतन मैट्रिक्स (18000-	निस्त्रिवित शामिल होंगे —	
	पुनर्नियोजन वालों हेतु	ाजसक ना	56900 रुपए) में स्तर 1 के उन नियमित कर्मचारियों में से मोटर कार चलाने की क्षमता के आकलन हेतु	1. पंजीयक या सचिव,	

दो वर्ष	पर सीधी	चालन परीक्षा के आधार पर जिनके पास विधिमान्य	ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण –
	भर्ती द्वारा	चालन अनुज्ञण्ति हो। इसमें सफल ना होने पर केन्द्रीय	अध्यक्ष
		सरकार के अन्य मंत्रालयों में समूह 'ग' के वेतन	2. पंजीयक या सचिव,
	सशस्त्र बलों	मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 के उन	ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य
	के कार्मिकों	नियमित कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित	3. वसूली अधिकारी या सहायक
	हेतु;	आवश्यक अर्हताएं को पूरा करते हों।	पंजीयक, ऋण वसूली अधिकरण
	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति अथवा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए	
	अथवा	पुनर्नियोजन:	
	पुनर्नियोजन	सशस्त्र बलों के वे कार्मिक जो कि सेवानिवृत्त होने वाले	
	9	हैं अथवा जिन्हें कि एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व	
		में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास	
		अपेक्षित अनुभव और विनिर्धारित अर्हताएं हैं, पर भी	
		विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख	
		तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा उस	
		तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाता है	
		तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा	
		सकता है।	
		टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के	
		इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस	
		नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर	
		प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से	
		अधिक नहीं होगी।	
		टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए	
		अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	
		तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13 बहु कार्य	* 57 (2018)	समूह	स्तर 1	लागू	18 से 25 वर्ष के बीच	मैट्रिकुलेशन
कर्मचारिवृंद	* कार्यभार के	'ग'	(18000-	नहीं	टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख	या समतुल्य
	आधार पर		56900	होता	भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई	
	परिवर्तन		रुपए)		अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,	
	किया जा				अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम,	
	सकता है।				जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और	
					स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और	
					निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई	
					है)।	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	3)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(15) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण — अध्यक्ष 2. रजिस्ट्रार या सचिव, ऋण वसूली अधिकरण — सदस्य	(' '	नहीं नहीं
				3. वसूली अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण – सदस्य		

तीसरी अनुसूची (नियम 5 देखें)

क्रम संख्या	पद	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार

चौथी अनुसूची (नियम 6 देखें)

क्रम संख्या	पद	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह 'ग'	रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण
2.	समूह 'ख'	अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	केन्द्र सरकार (माननीय वित्त मंत्री)
3.	समूह 'क'	केन्द्र सरकार	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील)
			नियम, 1965 में यथा उपबंधित

[फ़ा. सं. 5/2/2016- डीआरटी] वीवीएस खड़ायत, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8 th June, 2018

G.S.R. 539(E).— In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), and in supersession of-

- 1) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- 3) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai (Court Master), Recruitment Rules, 2015;
- 4) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 5) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 6) the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 7) the Debts Recovery Tribunal, Aurangabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 8) the Debts Recovery Tribunal, Aurangabad, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 9) the Debts Recovery Tribunal, Aurangabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 10) the Debts Recovery Tribunal, Aurangabad (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 11) the Debts Recovery Tribunal, Aurangabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 12) the Debts Recovery Tribunal, No. 1, Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;
- 13) the Debts Recovery Tribunal, Mumbai, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- 14) the Debts Recovery Tribunal-I, Mumbai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 15) the Debts Recovery Tribunal-1, Mumbai (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 16) the Debts Recovery Tribunal-I, Mumbai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 17) the Debts Recovery Tribunal, No. 2 Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 18) the Debts Recovery Tribunal -II, Mumbai, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 19) the Debts Recovery Tribunal-II, Mumbai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 20) the Debts Recovery Tribunal-2, Mumbai (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 21) the Debts Recovery Tribunal-2, Mumbai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 22) the Debts Recovery Tribunal, No. 3 Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2001;

- 23) the Debts Recovery Tribunal-III Mumbai, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 24) the Debts Recovery Tribunal-III, Mumbai (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 25) the Debts Recovery Tribunal- 3, Mumbai (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 26) the Debts Recovery Tribunal-3, Mumbai (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 27) the Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 28) the Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1998;
- 29) the Debts Recovery Tribunal-I, Ahmedabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 30) the Debts Recovery Tribunal-1, Ahmedabad (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 31) the Debts Recovery Tribunal-1, Ahmedabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 32) the Debts Recovery Tribunal-II, Ahmedabad (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2009;
- 33) the Debts Recovery Tribunal-II, Ahmedabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 34) the Debts Recovery Tribunal-2, Ahmedabad (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 35) the Debts Recovery Tribunal, Pune Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) Posts Recruitment Rules, 2003;
- 36) the Debts Recovery Tribunal, Pune, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 37) the Debts Recovery Tribunal, Pune (Lower Division Clerk), Recruitment Rules, 2017;
- 38) the Debts Recovery Tribunal, Pune (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 39) the Debts Recovery Tribunal, Pune (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016;
- 40) the Debts Recovery Tribunal, Nagpur, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001;
- 41) the Debts Recovery Tribunal, Nagpur, (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002;
- 42) the Debts Recovery Tribunal, Nagpur (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017;
- 43) the Debts Recovery Tribunal, Nagpur (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2017;
- 44) the Debts Recovery Tribunal, Nagpur (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2016.

except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Group 'A', 'B' and 'C' in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, and, Debts Recovery Tribunal, Aurangabad, Debts Recovery Tribunal, Mumbai-1, Debts Recovery Tribunal, Mumbai-2, Debts Recovery Tribunal, Mumbai -3, Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad-1, Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad -2, Debts Recovery Tribunal, Pune, and Debts Recovery Tribunal, Nagpur, namely:-

- 1. **Short Title and Commencement.** (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and Debts Recovery Tribunals at Aurangabad, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Nagpur Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Grade and strength.** The various grades and the number of posts in each grade in Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and each Debts Recovery Tribunal under its jurisdiction are as specified in the First Schedule annexed hereto.
- 3. **Number of post, classification and Level in the pay matrix**.- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Second Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related to the said post shall be specified in columns (5) to (13) of the Second Schedule .
- 5. **Appointing Authority**.- The Appointing Authority in respect of the post specified under column (2) of the Third Schedule shall be the authority specified in the corresponding entry under column (3) of the said Schedule.
- 6. **Disciplinary and Appellate Authorities.** The Disciplinary and Appellate Authorities shall be as specified in the Fourth Schedule attached hereto.

- 7. **Transfer**.- Every person appointed to the post in Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, and Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction is liable to be transferred within the jurisdiction of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai. Provided that an officer appointed on deputation basis or against encadred posts are not liable to be transferred.
- 8. **Seniority.** (1) A common seniority list shall be maintained for each grade for the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and all the Debts Recovery Tribunals under its jurisdiction.
- (2) The seniority shall be fixed as per the orders issued by the Central Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training from time to time in this regard.
- 9. **Disqualifications:** No person –
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 10. **Power to relax** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 11. **Saving** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

First Schedule (See Rule 2)

Serial Number	Name of the post				Number of po	ost					Total
	r	DRAT, Mumbai	DRT-1 Ahmedabad	DRT-2 Ahmedabad	DRT Aurangabad	DRT-1 Mumbai	DRT-2 Mumbai	DRT- 3 Mumbai	DRT Nagpur	DRT Pune	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Registrar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
2.	Assistant Registrar	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
3.	Recovery Officer	0	2	2	2	2	2	2	2	2	16
4.	Section Officer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
5.	Private Secretary	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
6.	Assistant	2	4	4	4	4	4	4	4	4	34
7.	Accounts Assistant	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
8.	Stenographer Grade-1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17
9.	Upper Division Clerk	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26
10.	Stenographer Grade-II	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8
11.	Lower Division Clerk	2	4	4	4	4	4	4	4	4	34

12.	Staff Car Driver	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8
13.	Multi- Tasking Staff	4	7	5	7	7	7	7	7	6	57

Second Schedule (See rule 3 and 4)

Name of the	Number of	Classification.	Level in	Whether selection	Age Limit for direct	Educational and
post.	post.		the pay	or non-selection	recruits.	other
			matrix.	post.		qualifications
						required for
						direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Registrar.	09* (2018)	Group 'A'.	Level 12	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
			(Rs.78800-			
	*Subject to		209200).			
	variation					
	dependent					
	on workload					

Whether age and educational qualificatio n prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstanc es in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8) (9) Not applicable. Not applica	(i) 50% by promotion failing which by deputation; (ii) 50% by deputation.	Promotion: Assistant Registrar or Recovery Officer in level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: (a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals; (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member; 3. Director, Department of Financial Services - Member. Selection Committee (for considering deputation) consisting of: 1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be	Not applicable .

(ii) with five years service in the grade	nominated by Depart-	
rendered after appointment thereto	ment of Financial	
on a regular basis in level 11 in the	Services) –Member;	
pay matrix (Rs. 67700-208700) or	3. Director, Department of	
equivalent, in the parent cadre or	Financial Services	
department; or .	- Member;	
(b) Officers of the public sector banks,-	4. Legal Adviser, Reserve	
(2) 11	Bank of India	
(i)holding analogous posts in scale V on a	- Member.	
regular basis in the parent cadre or		
department;		
(ii) with five years regular service in the		
post in scale IV in the parent cadre or		
department; Desirable:		
Experience in legal or judicial work.		
Experience in legal of Judicial work.		
Note1: The departmental officers in the		
feeder category who are in the direct line		
of promotion shall not be eligible for		
consideration for appointment on		
deputation. Similarly, the deputationists		
shall not be eligible for consideration for		
appointment by promotion.		
Note 2: The period of deputation including		
the period of deputation in another ex-		
cadre post held immediately preceding		
this appointment in the same or some other		
Organisation or Department of the Central		
Government shall ordinarily not exceed		
four years.		
Note 3: The maximum age limit for		
appointment on deputation shall be not		
exceeding fifty-six years as on the closing		
last date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.Assistant	08* (2018)	Group 'A'.	Level 11	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Registrar.			(Rs.67700-			
	*subject to		208700).			
	variation					
	dependent					
	on					
	workload.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: (i) 75% from the Section Officers in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with seven years regular service in the grade; and (ii) 25% from the Private Secretaries in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with seven years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of inancial Services -Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) - Member; 3. Director or Deputy Secretary, (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member.	Not applicable.

seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

- (a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-
- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department; or
- (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent; and
- (iv) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent;
- (b) Officers of the public sector banks,-
- (i) Scale IV Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) Scale III Officers with five years regular service in the post.

Desirable:

Experience in legal or judicial work.

Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Selection Committee (for considering deputation) consisting of :-

- Joint Secretary (Debts RecoveryTribunal), Department of Financial Services - Chairperson;
- 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services) Member;
- Director or Deputy ecretary,
 Department
 of Financial Services
 Member;
- 4. Director or Deputy
 Secretary(Debts
 Recovery Tribunal),
 Department of Financial
 Services Member:
- 5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India Member.

Note 2: The period of deputation	
including the period of	
deputation in another ex-cadre	
post held immediately preceding	
this appointment in the same or	
some other Organisation or	
Department of the Central	
Government shall ordinarily not	
exceed four years.	
Note 3: The maximum age limit	
for appointment on deputation	
shall be not exceeding fifty-six	
years as on the closing last date	
of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Recove Officer.	*subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (Rs 67700- 208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	(a) Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent, in the parent cadre or department; or (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent, in the parent cadre or department; or (iv) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Section Officer in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent, n the parent cadre or department;	Selection Committee (for considering deputation) consisting of:- 1. Joint Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Chairperson; 2. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal (To be nominated by Department of Financial Services - Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Financial Services - Member; 4. Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal), Department of Financial Services - Member; 5. Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India - Member.	Not applicable.

Г	ı	
	(b) Officers of the public	
	sector banks,-	
	(i) Scale IV Officers holding	
	analogous post on regular	
	basis in the parent cadre or	
	department;or	
	(ii) Scale III Officers with five	
	years service in the grade	
	rendered after appointment	
	thereto on a regular basis in	
	the post.	
	Desirable:	
	Degree in law or having legal	
	experience.	
	Note 1: The period of	
	deputation including the	
	period of deputation in	
	another ex-cadre post held	
	immediately preceding this	
	appointment in the same or	
	some other Organisation or	
	Department of the Central	
	Government shall ordinarily	
	not exceed four years.	
	Note 2: The maximum age	
	limit for appointment on	
	deputation shall be not	
	exceeding fifty-six years as on	
	the closing last date of receipt	
	of applications.	
	11	
•		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.Section	09* (2018)	Group 'B'.	Level 7	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Officer.			(Rs.			
	*subject to		44900-			
	variation		142400).			
	dependent					
	on					
	workload.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	Assistants in Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal or Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal - Chairperson; 2. Secretary or Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal - Member; 3. Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not applicable.

		their innions rules have the de-	
		their juniors who have already	
		completed such qualifying or	
		eligibility service.	
		Deputation:	
		Officers under the Central	
		Government or State Governments	
		or Courts or Tribunals;	
		(i) holding analogous post on a	
		regular basis in the parent	
		cadre or department; or	
		(ii) with five years regular service	
		in the grade rendered after	
		appointment thereto on a	
		regular basis in Level 6 in the	
		pay matrix (Rs. 35400-	
		112400) or equivalent, in the	
		parent cadre or department.	
		Desirable:	
		Experience in legal or judicial	
		work.	
		Note1: The departmental officers	
		in the feeder category who are in	
		the direct line of promotion shall	
		not be eligible for consideration for	
		appointment on deputation.	
		Similarly, the deputationists shall	
		not be eligible for consideration for	
		appointment by promotion.	
		Note 2: The period of deputation	
		including the period of deputation	
		in another ex-cadre post held	
		immediately preceding this	
		appointment in the same or some	
		other Organisation or Department	
		of the Central Government shall	
		ordinarily not exceed three years.	
		Note 3: The maximum age limit	
		for appointment on deputation	
		shall be not exceeding fifty-six	
		years as on the closing last date of	
		receipt of applications.	
1	1	receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.Private Secretary.	09 * (2018) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 7 (Rs. 44900- 142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Ву	Promotion:	Group 'B' Departmental Promotion	Not
applicable.	applicable.	promotion	Stenographers Grade I in	Committee (for considering promotion)	applicable.
		failing which	Level 6 in the pay matrix	consisting of :-	
		by	(Rs.35400-112400) with	1. Chairperson, Debts Recovery	
		deputation.	five years regular service	Appellate Tribunal or Presiding	
			in the grade.	Officer, Debts Recovery	
			Note: Where juniors who	Tribunal - Chairperson;	
			have completed their	2. Secretary or Registrar,	

qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,-

- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Stenographer Grade I in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent, in parent cadre or department.

Desirable:

Experience in legal or judicial work.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held

Debts Recovery Appellate Tribunal or Debts Recovery Tribunal

Member;

 Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal
 Member.

I
immediately preceding this
appointment in the same or
some other Organisation or
Department of the Central
Government shall
ordinarily not exceed three
years.
Note 3: The maximum age
limit for appointment on
deputation shall be not
exceeding fifty-six years as
on the closing last date of
receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.Assistant.	34 * (2018)	Group 'B'.	Level 6	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
	*Subject to		(Rs.35400-			
	variation		112400).			
	dependent					
	on					
	workload.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years	By promotion	Promotion:	Group 'B' Departmental Promotion	Not
applicable.	for	failing which	Upper Division Clerks in Level 4	Committee (for considering	applicable.
аррисаотс.	promotees.	by	in the pay matrix (Rs. 25500-	promotion) consisting of :-	аррисаотс.
	promotees.	deputation.	81100) with ten years regular	promotion) consisting or .	
		deputation.	service in the grade.	Chairperson, Debts Recovery	
			Note: Where juniors who have	Appellate Tribunal or Presiding	
			completed their qualifying or	Officer, Debts Recovery	
			eligibility service are being	Tribunal -	
			considered for promotion, their	Chairperson;	
			seniors would also be considered	2. Secretary or Registrar,	
			provided they are not short of the	Debts Recovery Appellate	
			requisite qualifying or eligibility	Tribunal or Debts Recovery	
			service by more than half of such	Tribunal -	
			qualifying or eligibility service or	Member;	
			two years, whichever is less, and	3 . Assistant Registrar or	
			have successfully completed	Recovery Officer, Debts	
			probation period for promotion to	Recovery Tribunal -	
			the next higher grade along with	Member.	
			their juniors who have already		
			completed such qualifying or		
			eligibility service.		
			Deputation:		
			Officers under the Central		
			Government or State Government		
			or Courts or Tribunals,-		
			(i) holding analogous post on		
			a regular basis in the parent		
			cadre or department; or		
			(ii) with ten years service in		
			the grade rendered after		
			appointment thereto on a		
			regular basis in Level 4 in		
			the pay matrix (Rs. 25500-		
			81100) or equivalent, in the		
			parent cadre or department.		

Note1: The departmental officers
in the feeder category who are in
the direct line of promotion shall
not be eligible for consideration
for appointment on deputation.
Similarly, the deputationists shall
not be eligible for consideration
for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation
including the period of
deputation in another ex-cadre
post held immediately preceding
this appointment in the same or
some other Organisation or
Department of the Central
Government shall ordinarily not
exceed three years.
Note 3: The maximum age limit
for appointment on deputation
shall be not exceeding fifty-six
years as on the closing last date
of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.Accounts	08* (2018)	Group 'B'.	Level 6	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Assistant.	*subject to		(Rs.			
	variation		35400-			
	dependent		112400).			
	on					
	workload.					

Not applicable. Not applicable. By deputation. Officers under the Central Government,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department; and (b) who have undergone training in cash and accounts work in Institute of Secretariat Training and Management or equivalent Institute of Central Government Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six processes on the design last date of precint of	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
applications.	Not	Not	Ву	Officers under the Central Government, (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent, in the parent cadre or department; and (b) who have undergone training in cash and accounts work in Institute of Secretariat Training and Management or equivalent Institute of Central Government Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing last date of receipt of	()	` /

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.Stenographer Grade I.	*Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400- 112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

	•	1.	•		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years	By	Promotion:	Group 'B' Departmental Promotion	Not
applicable.	for	promotion	Stenographers Grade II in level 4	Committee (for considering	applicable.
аррпсавіс.	promotees.	failing	in the pay matrix (Rs. 25500-	promotion) consisting of :-	аррисаотс.
	promotees.	which by	81100) with ten years regular	promotion) consisting or	
		deputation.	service in the grade.	Chairperson, Debts Recovery	
		deputation.	_	_	
			Note: Where juniors who have	Appellate Tribunal or Presiding	
			completed their qualifying or	Officer, Debts Recovery Tribunal -	
			eligibility service are being		
			considered for promotion, their	Chairperson;	
			seniors would also be considered	2. Secretary or Registrar,	
			provided they are not short of the	Debts Recovery Appellate	
			requisite qualifying or eligibility	Tribunal or Debts Recovery	
			service by more than half of such	Tribunal -	
			qualifying or eligibility service or	Member;	
			two years, whichever is less, and	3 . Assistant Registrar or	
			have successfully completed	Recovery Officer, Debts	
			probation period for promotion to	Recovery Tribunal -	
			the next higher grade along with	Member.	
			their juniors who have already		
			completed such qualifying or		
			eligibility service.		
			Deputation:		
			Officers under the Central		
			Government or State		
			Governments or Courts or		
			Tribunals,-		
			(i) holding analogous post on		
			regular basis in the parent cadre		
			or department; or		
			(ii) with ten years service in the		
			grade rendered after appointment		
			thereto on a regular basis in level		
			4 in the pay matrix (Rs. 25500-		
			81100) or equivalent, in the		
			parent cadre or department.		
			Note1: The departmental officers		
			in the feeder category who are in		
			the direct line of promotion shall		
			not be eligible for consideration		
			for appointment on deputation.		
			Similarly, the deputationists shall		
			not be eligible for consideration		
			for appointment by promotion.		
			Note 2: The period of deputation		
			including the period of		
			deputation in another ex-cadre		
			post held immediately preceding		
			this appointment in the same or		
			some other Organisation or		

		Government exceed three Note 3: The for appoint shall be no years as on	of the shall ordina years. maximum a ment on dep t exceeding the closing l applications.	ge limit putation fifty-six			
9. Upper Division Clerk.	(2) 26 * (2018) *Subject to variation dependent on workload.	(3) Group 'C'.	(4) Level 4 (Rs.25500- 81100).	Non-selection.	(6) Not applicable.	\	7) a recognized equivalent.

		ı	T	T	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	(9) Two years for direct recruitment. Nil for promotees.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Lower Division Clerk in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Courts or Tribunals,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii)Lower Division Clerk with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent, in the parent cadre or department. Note1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal —Chairperson; 2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal—Member; 3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal —Member.	Not

shall not be eligible for	
consideration for appointment	
by promotion.	
Note 2: The period of	
deputation including the period	
of deputation in another ex-	
cadre post held immediately	
preceding this appointment in	
the same or some other	
Organisation or department of	
the Central Government shall	
ordinarily not exceed three	
years.	
Note 3: The maximum age limit	
for appointment on deputation	
shall be not exceeding fifty-six	
years as on the closing last date	
of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Stenographer	* 08	Group 'C'.	Level 4	Not	Between 18 and 27	(i) 12 th class pass or equivalent
Grade II.	(2018)		(Rs.	applicable.	years	from a recognised Board or
			25500-			University;
	*Subject		81100).		(Relaxable for	
	to				Government Servant	(ii) Skill Test Norms:—
	variation				upto 40 years in	
	dependent				accordance with	Dictation:
	on				instructions or orders	10 minutes @ 80 words per
	workload				issued by the Central	minute
					Government).	
						Transcription:
					Note : The crucial date	65 minutes (English), 75
					for determining the age	minutes (Hindi) (On
					limit shall be as	Manual Typewriter) or 50
					advertised by the Staff	minutes (English), 65
					Selection Commission.	minutes (Hindi) (On
						Computer).

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : —	
		Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and		1.Registrar or Secretary, Debts Recovery Appellate Tribunal —Chairperson; 2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal—Member; 3.Recovery Officer or Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal—Member.	
		(ii) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).			

		1		1	T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Lower	34* (2018)	Group 'C'.	Level 2	Non-	Between 18 and 27	(i) 12 th class or equivalent
Division	* subject to		(Rs.	selection.	years. (Relaxable for	qualification
Clerk.	varia-tion		19900-		Government	from a recognised Board or
	dependent on		63200.		Servants upto 40	University.
	work-load.				years in accordance	
					with the instructions	(ii) Typing speed of 35 words per
					or orders issued by	minute in English or 30 words per
					the Central	minute in Hindi on computer.
					Government).	
						(35 words per minute and 30
					Note: The crucial	words per minute correspond to
					date for determining	10500 Key Depressions per Hour
					the age limit shall be	or 9000 Key Depressions per
					as fixed by Staff	Hour on an average of 5 key
					Selection	depressions for each word)
					Commission (where	
					recruitment is not	
					through Staff	
					Selection	
					Commission, crucial	
					date for determining	
					the age-limit shall be	
					the last date for	
					receipt of	
					applications).	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(8) Yes	(9) Two years for direct recruits.	(i) 50% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 50% by promotion on the on the basis of a departmental quailfying examination failing which by deputation.	Promotion: From amongst Multi-Tasking Staff with three years regular service in the grade and who possess 12 th class pass or equivalent qualification, on the basis of a departmental qualifying examination. Note 1 The maximum age-limit for appearing in the examination shall be forty five years. Note 2 Relaxable in case of the employees belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 3 If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) under column 10 qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of :— 1.Registrar or Secretary Debts Recovery Appellate Tribunal - Chairperson; 2.Registrar or Secretary, Debts Recovery Tribunal - Member; 3.Assistant Registrar or Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal - Member.	Not Applicable.
			examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the		
			Deputation:— From amongst staff of Central or State Government or Courts or Tribunals:—		

	(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (i) (ii) With three years regular service in level-1 (Rs 18000-56900/) in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and (b) Possessing educational qualifications as prescribed under column (7) for direct recruits Note1 The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2 The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on date of receipt of applications.		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.Staff Car Drive r (Ordi nary Grade).	08* (2018) *subject to variation dependent on work-load	Group 'C'.	Level 2 (Rs.19900-63200).	Not applicable.	Between 18 and 25* years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). *If the direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.	(i) Possession of a valid driving licence for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years; and (iv) Pass in 10 th standard. Desirable: 3 years service as Home Guard or Civil Volunteers. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	Deputation	Deputation or absorption:	Group 'C' Departmental Promotion	Not
applicable.	years	or		Committee (for considering	applicable.
	for direct	absorption	From amongst regular Group 'C'	confirmation) consisting of :-	
	recruits or	failing	employees in Level 1 in the pay		
	re-	which by	matrix (Rs 18000-56900) in Debts	1.Registrar or Secretary,	
	employed.	direct	Recovery Appellate Tribunal or	Debts Recovery Appellate	
		recruitment.	Debts Recovery Tribunals who	Tribunal - Chairperson;	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
13. Multi-	57* (2018)	Group 'C'.	Level 1	Not	Between 18 and 25 years.	Matriculation	or
Tasking	*subject to		(Rs.18000-	applicable.		equivalent.	
Staff.	variation		56900).		Note 1: The crucial date		
	dependent				for determining the age		
	on				limit shall be the closing		
	workload.				date for receipt of		
					application from		
					candidates in India (and		
					not the closing date		
					prescribed for those in		
					Assam, Meghalaya,		
					Arunachal Pradesh,		
					Mizoram, Manipur,		
					Nagaland, Tripura,		
					Sikkim, Ladakh Division		
					of Jammu and Kashmir		
					State, Lahaul and Spiti		
					district and Pangi sub-		
					division of Chamba district of Himachal Pradesh,		
					of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar		
					Islands and Lakshadweep).		

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	By direct	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
applicable.	years.	recruitment		Committee (for considering	
		through Staff		confirmation) consisting of :	
		Selection			
		Commission.		1.Registrar or Secretary,	
				Debts Recovery Appellate	
				Tribunal —Chairperson;	
				2.Registrar or Secretary,	
				Debts Recovery Tribunal—Member;	
				Debts Recovery Tribunal—Member,	
				3.Recovery Officer or	
				Assistant Registrar, Debts	
				Recovery Tribunal—Member.	

Third Schedule (See Rule 5)

Serial Number	Post	Appointing Authority	
(1)	(2)	(3)	
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal	
3.	Group 'A'	Central Government	

Fourth Schedule (See Rule 6)

Serial Number	Post	Appointing Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Group 'C'	Registrar, Debts Recovery Appellate Tribunal	Chairperson, Debts Recovery Appellate
			Tribunal
2.	Group 'B'	Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal	Central Government (Hon'ble Minister
			of Finance)
3.	Group 'A'	Central Government	As provided in Central Civil Services
			(Classification, Control and Appeal)
			Rules, 1965

[F. No. 5/2/2016-DRT] V.V.S. KHARAYAT, Under Secy.

KUMAR